

63RD

**ANNUAL REPORT
2022-23**

**६३ वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२२-२३**



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

Board of Management

(As of 1st August 2023)

Shri Dolar V. Kotecha, Chairman
(Chairman, Gujarat SCARDB)

Shri K. Ravinder Rao, Vice Chairman
(President, Telangana SCAB)

Shri Moinul Hassan, Ex-MP, Vice Chairman
(Special Officer, West Bengal SCARDB)

Shri R. ParimelAzhagan, Vice Chairman
(Chairman, Tamil Nadu CSARDB)

Shri Suresh Kumar Goyal, Vice Chairman
(Chairman, Punjab SCARDB)

Dr Bijender Singh
President, Delhi SCB

Shri Bijay Kumar Singh
Director, Multi SCLDB (Bihar - Jharkhand)

Shri A.R. Shivaram
Director, Karnataka SCARDB

Shri W.K. Kyndiah
Chariman, Meghalaya CAB

Shri Dalip Singh Yadav
Director, Haryana SCARDB

Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman, H.P. SCARDB

Shri Sivadasan Nair
Co-opted

Shri K.K. Ravindran
Managing Director

प्रबन्धन मंडल

(9 अगस्त 2023 तक)

श्री डोलर व. कोटेचा, अध्यक्ष
(अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी)

श्री के रविन्द्र राव, उपाध्यक्ष
(अध्यक्ष, तेलगना एससीबी)

श्री मोइनुल हसन, भूतपूर्व सांसद, उपाध्यक्ष
(विशेष अधिकारी, पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी)

श्री परिमलअजागन, उपाध्यक्ष
(अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी)

श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष
(अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी)

डा बिजेन्द्र सिंह
अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

श्री बिजय कुमार सिंह
निदेशक, बहुउद्देशीय एससीएलडीबी
(बिहार-झारखण्ड)

श्री ए आर शिवराम
निदेशक, कर्नाटक एससीएआरडीबी

श्री डब्लु. के. किन्द्या
अध्यक्ष, मेघालया सीएबी

श्री दलीप सिंग यादव
निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

श्री संजय सिंग चौहान
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश एससीएआरडीबी

श्री शिवदासन नायर
सहयोजित

श्री के के रविन्द्रन
प्रबन्ध निदेशक

***SIXTY-THIRD
ANNUAL REPORT
2022-23***



**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED**

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station
Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 • Fax : (022) 2781 4223

E-mail : nafcard.org@gmail.com / ncardbf.org@gmail.com • Website : www.nafcard.org

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE &
RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby issued to conduct the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2022-23 at **7.00 PM** on **10 September 2023** at **Hotel Clarks Amer, Jaipur** to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 26th September 2022 at the Lalit Hotel, Mumbai
2. Consideration of Audited statement of Accounts for the year 2022-23.
3. Consideration of the Audit report for the year ended 31.03.2023.
4. Consideration of Audit Compliance Report for 2022-23.
5. Consideration of Annual Report for the year 2022-23.
6. Appointment of Auditors for the year 2023-24 and fixing audit fees.
7. Consideration of Annual Budget for the year 2024-25.
8. Amendment of Byelaws consequent upon enactment of MSCS (Amendment) Act 2023.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-




(K.K. Ravindran)
Managing Director

Place : Navi Mumbai

Date : 16th August, 2023

BOARD OF MANAGEMENT

(As of 1st August 2023)



Note: The Board consists of maximum 19 Elected Directors representing 19 member banks.
However, as on date Board consists of only 11 Elected Members representing non defaulting member banks.

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2023)

Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Smt. Mamta Singh
Chairperson



Dr. Kaushlendra Singh
Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh
President



Smt. Anita Rawat
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dolar V. Kotecha
Chairman



Shri K.B. Upadhyay-I.A.S(Retd.)
Managing Director

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Naresh Goyal
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Sachin Kanwal
Managing Director



Shri Sanjay Singh Chauhan
Chairman

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Mohammad Aslam Bhat
Managing Director

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari
President, wef 1 Aug 23



Shri B.C. Sateesh
Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri. Jyothi Prasad R.
Administrator



Smt Parvathy Nair
Managing Director

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Waibha K. Kyndiah
Chairman



Shri O.E.J. Nongbri
Managing Director

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.



Shri C. Saravanane
Coop. Officer/ Managing Director

Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Shri Suresh Kumar Goyal
Chairman



Sh. Gulpreet Singh Aulakh, IAS
Managing Director

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Smt. Shilpi Pande
Administrator



Shri Vijay Kumar Sharma
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of 1st August 2023)

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri R. Parimelazhagan
Chairman



Smt. A.K. Sivamalar
Managing Director

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Konduru Ravinder Rao
Chairman



Dr. Nethi Muralidhar
Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Pramod Reang, MLA
President



Shri Nikhil Ranjan Chakraborty
General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Santraj Yadav
Chairman



Shri Shashi Ranjan Kumar Rao
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Moinul Hassan, Ex-MP
Special Officer



Shri Manasij Mukhopadhyay
Managing Director

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.




Shri Ananda Bhuban Das
Chairman



Shri Ghana Pegu
Managing Director

Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.



Shri Sabir Kumar Panda
Management I/C and J.R.C.S.(T&P)



Shri Shivprasad Swain
Managing Director

ECONOMIC SCENE

Economic survey 2022-23 projects a GDP growth of 6.5% in real terms in the financial year 2024, compared to 7% for the year ending March 2023 and 8.7% growth in 2021-22. A remarkably high growth rate of capital expenditure of Central Govt at 63.4%, impressive rate of credit growth to the micro, small and medium enterprises at more than 30% in the first 8 months of financial year 2023, surge in the growth of exports for most part of 2022-23, private consumption as a percentage of GDP exceeding 55% during the year are the major growth drivers. India is projected to be the fastest growing major economy during financial year 2023, despite the shocks of covid19, impact of Russian Ukraine conflict and widening current account deficit. Depreciating rupee due to widening current account deficits and loss of exports stimulus and inflation above 6% are the major challenges which are expected to continue for some more time. Despite the downward revision, the growth estimates of India for financial year 2023 is higher than for almost all major economies. According to the economic survey the outlook for 2023-24 is brighter, supported by relatively quick recovery from pandemic, solid domestic demand and signs of private sector capital formation picking up again. The International Monetary Fund projects a slower growth in global GDP at 2.7% in 2023 as against 3.2% in 2022 coupled with increased uncertainty and dampening of global trade growth from 3.5% in 2022 to 1% in 2023. India's retail inflation rate reached a high of 7.8% in April 2022 exceeding the RBI's upper limit of 6%. However, India's retail inflation rate

continues to be among the lowest in the world. RBI's projection of 6.8% inflation for the financial year 2022-23 is considered neither too high to discourage private consumption or too low to discourage investment even though borrowing costs may remain high during 2023-24. The gross tax revenue of the Central Govt increased by 15.5% during 2022-23 driven by recovery in economic activities and growth in direct taxes and GST. Direct taxes grew higher than the average in the first eight months of the year. GST, which has become a vital revenue source showed 24.8% increase during April-December 2022 compared to the same period in the previous year. The capital expenditure of the Govt also increased to 2.5% of GDP in financial year 2022 compared to the previous year. Reserve Bank of India raised the repo rate by 225 basis points in its monetary tightening cycle starting in April 2022 in order to moderate the surplus liquidity conditions. The financial year 2022-23 also witnessed increased lending by financial institutions which is expected to sustain during 2023-24 as well. Gross non-performing assets ratio of banks also fell to a seven year low of 5%. Govt's spending in social sector increased to ₹ 21.3 lakh crore in 2022-23 from ₹ 9.1 lakh crore in financial year 2015-16. Health sector expenditure increased to 2.2% of GDP compared to 2.1% in the previous year. Unemployment rate fell from 5.8% in 2018-19 to 4.2% in 2020-21 in both urban and rural areas. Economic scene during 2022-23 thus presents a mixed picture of overall recovery of the economy and at the same time challenges due to missed targets and loss of momentum in some vital areas.

AGRICULTURE 2022-23

Introduction

With its solid forward linkages, the agriculture and allied activities sector significantly contributed to the country's overall growth and development and in ensuring food security. The Indian agriculture sector has been growing at an average annual growth rate of 4.6 per cent during the last six years. However, the growth slowed to 3.0% per cent in 2021-22 compared to 3.3 per cent in 2020-21. India in recent years emerged as a net exporter of agricultural products. In 2020-21, exports of agriculture and allied products from India grew by 18 per cent over the previous year. During 2021-22, agricultural exports reached an all-time high of US\$ 50.2 billion. This period of buoyant performance could be ascribed to the measures taken by the Government to promote farmer-producer organisations, encourage crop diversification, and improve productivity in agriculture through support provided for mechanisation and the creation of the Agriculture Infrastructure Fund. Further, income support to farmers through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the promotion of allied activities has led to diversification in sources of farmers' income, improving their resilience to weather shocks.

The interventions of the Government have been in line with the recommendations of the Committee on Doubling Farmers' Income, which had identified improvement in crop and livestock productivity, diversification towards higher value crops, better resource efficiency, enhanced cropping intensity, improvement in real prices received by farmers and shift from farm to nonfarm occupations as being

significant sources of growth. Several policy measures, such as the Minimum Support Price (MSP) to secure the price at one and half times the all-India weighted average cost of production, schemes and price measures to focus on high-value added crops such as oilseed, incentives for crop diversification through price policy measures, improvements in agricultural marketing and by enhancing resource use efficiency etc. helped to maintain medium term growth rate at above 4%. While Indian agriculture has performed well, the sector needs re-orientation in the backdrop of certain challenges like adverse impacts of climate change, fragmented landholdings, sub-optimal farm mechanisation, low productivity, disguised unemployment, rising input costs, etc.

Record Production of Food grains

As per Fourth Advance Estimates for 2021-22, the production of food grains and oil seeds has been increasing Year-on-Year (YoY). Production of pulses has also been notably higher than the average of 23.8 million tonnes in the last five years. However, changing climate has been impacting agriculture adversely. The year 2022 witnessed an early heat wave during the wheat-harvesting season, adversely affecting its production. The year experienced a decline in the sown area for paddy cultivation too in the Kharif season due to delayed monsoons and deficient rainfall. As per First Advance Estimates 2022-23 (kharif only) the paddy area was about 3.8 lakh hectares less than the sown area of 411.2 lakh hectare during 2021-22 (kharif season). Further, in the current rabi season the area under rabi paddy has expanded by 6.6 lakh hectares as compared to last year (Crop

Weather Watch Group 12 January 2023). As per the First Advance Estimates for 2022-23 (Kharif only), total food grains production in the country is estimated at 149.9 million tonnes which is higher than the average Kharif food grain production of the previous five years (2016-17 to 2020-21). Despite a fall in the sown area of Kharif paddy, the total production of Kharif rice during 2022-23 is estimated at 104.9 million tonnes, which is higher than the previous five years (2016-17 to 2020-21) average Kharif rice production of 100.5 million tonnes.

Farm mechanisation- Key to Improving Productivity

Farm mechanisation helps to increase productivity through timely and efficient use of other inputs and natural resources while at the same time reducing the cost of cultivation and the drudgery associated with various farm operations.

Chemical-free India: Organic and Natural Farming

Organic and natural farming provides chemical fertiliser and pesticide-free food grains and other crops, improves soil health and reduces environmental pollution. India has 44.3 lakh organic farmers, the highest in the world, and about 59.1 lakh ha area was brought under organic farming by 2021-22. Sikkim voluntarily adopted going organic, and the process of getting the total cultivable land of 58,168 hectares under organic farming commenced at ground level in 2010. It became the first State in the world to become fully organic, and other States, including Tripura and Uttarakhand, have set similar targets.

Other Important Initiatives in Agriculture

Agriculture Infrastructure Fund (AIF): AIF is a

financing facility operational from the year 2020-21 to 2032-33 for the creation of post-harvest management infrastructure and community farm assets, with benefits including 3 per cent interest subvention and credit guarantee support. Under this, a provision of ₹1 lakh crore for 2020-21 to 2025-26 has been made, and interest subvention and credit guarantee assistance will be given until 2032-33. AIF scheme has the facility of convergence with any other scheme of the State or Central Government and can prove to be a milestone in investment in the agriculture sector.

Since its inception, an amount of ₹13,681 crore has been sanctioned for agriculture infrastructure in the country, covering more than 18,133 projects. These include 8,076 warehouses, 2,788 primary processing units, 1,860 custom hiring centres, 937 sorting & grading units, 696 cold store projects, 163 assaying units and around 3613 other kinds of post-harvest management projects and community farming assets.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): PMFBY is currently the largest crop insurance scheme in the world in terms of farmer enrolments, averaging 5.5 crore applications every year and the third largest in terms of the premium received. The scheme promises minimal financial burden on the farmer, with farmers paying only 1.5 per cent and 2 per cent of the total premium for the Rabi and Kharif seasons, respectively, with Centre and State Governments bearing most of the premium cost. During the last six years of its implementation, farmers paid a premium of ₹25,186 crore and received claims amounting to ₹1.2 lakh crore (as of 31 October 2022). The acceptability of the scheme amongst the farmer can be ascertained from the fact that the share of non-loanee, marginalised, and small farmers have increased by 282 per cent since the scheme's inception in 2016.

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH): Several expert groups have identified horticulture as a high-growth area and a source of buoyant income and improved resilience for farmers. The scheme to promote horticulture covering fruits, vegetables, root and tuber crops, spices, flowers, plantation crops etc., was introduced in 2014-15. The interventions include introducing improved varieties and quality seeds, incentives for plantation crops, cluster development, and post-harvest management. According to third advance estimates (2021-22), a record production of 342.3 million tonnes in an area of 28.0 million hectares was achieved.

National Agriculture Market (e-NAM) Scheme: The Government of India launched the National Agriculture Market (e-NAM) Scheme in 2016 to create an online transparent, competitive bidding system to ensure farmers get remunerative prices for their produce. Under the e-NAM Scheme, the Government provides free software and assistance of ₹75 lakh per APMC mandi for related hardware, including quality assaying equipment and the creation of infrastructure like cleaning, grading, sorting, packaging, compost unit, etc. As on 31 December 2022, more than 1.7 crore farmers and 2.3 lakh traders have been registered on e-NAM portal.

Climate-Smart Farming Practices: This is slowly gaining acceptance with farmers using clean energy sources like solar for irrigation. The farmers have been incentivised to transfer electricity generated through solar to the local grid. Crop yield prediction models using artificial intelligence and drones for monitoring soil and crop health have been initiated. Smart farming also enables crop diversification, which will help farmers reduce their dependence on monsoons for water. There are

over 1,000 agritech start-ups in India. These assist farmers in improving farming techniques.

Allied Sectors: Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Catching Up in Recent Years

The allied sectors of Indian agriculture - livestock, forestry & logging and fishing & aquaculture are gradually becoming sectors of buoyant growth and a potential source of better farm incomes. The livestock sector grew at a CAGR of 7.9 per cent during 2014-15 to 2020-21 (at constant prices), and its contribution to total agriculture GVA (at constant prices) has increased from 24.3 per cent in 2014-15 to 30.1 per cent in 2020-21.

Food Processing Sector-The Sunrise Sector

The food processing sector is of enormous significance for India's development because of the strong connections and interactions it promotes between industry and agriculture. During the last five years ending FY21, the food processing industries sector has been growing at an average annual growth rate of around 8.3 per cent. As per the latest Annual Survey of Industries (ASI) 2019-20, 12.2 per cent of persons in the registered manufacturing sector were employed in the food processing sector. The value of agri-food exports, including processed food exports, was about 10.9 per cent of India's total exports during 2021-22.

SAHAKAR-SE-SAMRIDDHI: PROSPERITY THROUGH COOPERATIVES

The cooperative societies, especially in the agriculture, dairy and fisheries sectors, provide the rural population with livelihood opportunities and a financial safety net with a community based approach. Cooperatives hold the key to rural economic transformation. There are 8.5 lakh registered cooperatives in the country, having

more than 29 crore members mainly from the marginalised and lower-income groups in the rural areas, and 98 per cent of villages are covered by Primary Agriculture Credit Societies (PACS).

To realise the vision of “Sahakar-se-Samridhi”, a renewed impetus was given to the growth of the cooperative sector. A full-fledged Ministry of Cooperation was established in July 2021 to provide greater focus to the cooperative sector. In addition, the Government has taken various initiatives to promote and strengthen PACS, like the computerisation of 63,000 functional PACS and the preparation of common by-laws for enabling PACS to expand their activities.

Major initiatives of Ministry of Cooperation (6th July 2021 - 14th June 2023)

(A) Economic strengthening of Primary Cooperative Societies

1. Model Bye-Laws for making PACS Multipurpose

The Model Bye-laws for PACS were prepared by Ministry of Cooperation after consultation with all States/UTs, National Federations and other stakeholders and were circulated on 05 January 2023. This will increase the sources of income of PACS/LAMPS and create new employment opportunities in more than 25 new sectors like dairy, fisheries, storage, etc. So far, they have been adopted by 23 States/Union Territories and the work of adoption in other States is in progress.

2. Strengthening of PACS through Computerization

Total 63,000 functional PACS/LAMPS are being linked with NABARD through a single National Software Network. So far, proposals for computerization of a total of 58,383 PACS have

been received from 24 States and 4 Union Territories. For this, a total of ₹ 437.17 crore has been released by the Central government to the States for hardware purchase, digitization and setting up support systems. National Integrated Software has been prepared by NABARD. Computerization will start after the procurement of hardware and finalization of System Integrator by the States. This initiative will enhance efficiency and transparency in PACS.

3. Establishment of Multipurpose PACS/ Dairy/Fisheries Cooperative Societies (2 lakh new societies) in every Panchayat/ Village

This scheme, approved by the Cabinet on February 15, 2023, has a target of setting up 2 lakh new Multi-purpose PACS/Dairy/Fisheries Cooperative Societies in the Panchayats/Villages not covered so far, in the next 5 years. Under this, various schemes of the Government of India will be converged at the level of primary Cooperative Societies. Inter-Ministerial Committee, National Level Coordination Committee, State Level Cooperative Development Committees and District Level Cooperative Development Committees have been formed for the implementation of this scheme. Meetings are being held by the Ministry with all the States. Action plan related to the establishment of new Societies has been prepared by NABARD, NDDDB and NFDB and work has already started on this plan.

4. World's largest Decentralized Grain Storage Program in Cooperative sector to ensure food security

Under this scheme, approved by the Cabinet on May 31, 2023, different types of agricultural infrastructure such as godowns, custom hiring centers, processing units, fair price shops, etc. will

be created by convergence of various schemes of the Government of India at the PACS level. This scheme will ensure country's food security, reduce wastage of food grains, result in better price for farmers for their produce and meet various agricultural needs at the PACS level itself. The implementation of this scheme is being started through a Pilot project with the cooperation of the States, and will be coordinated by the Inter-Ministerial Committee, National Level Coordination Committee, State Level Cooperative Development Committee and District Level Cooperative Development Committee.

5. PACS as Common Service Centers (CSCs) for better access to e-Services

MoU has been signed on 02.02.2023 between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing CSC services through PACS, after which more than 300 e-services provided by CSC will now be provided by PACS also. Till date more than 15,000 PACS have been onboarded as CSC and the work on onboarding of other PACS is also in progress. The onboarded PACS are also being provided training by CSC-SPV and NABARD.

6. Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS

Under the FPO scheme, it has been decided to allot 1100 additional FPOs to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) in cooperative sector. Now, PACS will be able to do other economic activities related to agriculture as FPOs. This initiative will also be helpful in providing the members of the cooperative societies with the necessary market linkage to get fair and remunerative prices for their produce.

7. Eligibility of PACS for LPG Distributorship

Petroleum Ministry is amending rules to make PACS eligible for LPG distributorship, after which PACS will also be able to distribute LPG. This will give PACS an option to increase their economic activities and create new employment opportunities in rural areas.

8. Permission to convert Bulk Consumer Petrol Pump operated by PACS into retail outlet

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has agreed to convert existing bulk consumer licensee PACS into retail outlets. PACS will also be given priority for new petrol pump dealership. These provisions will increase the profit of PACS and create new employment opportunities in rural areas.

9. PACS as Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines at Rural level

In a meeting held on June 06, 2023 under the chairmanship of the Hon'ble Home and Cooperation Minister with the Hon'ble Minister of Chemicals and Fertilizers, it was decided to open 1,000 Jan Aushadhi Kendras by August, 2023 and 2,000 Jan Aushadhi Kendras by December, 2023 at identified PACS. With this initiative, cheaper generic medicines will be available to the common people at the Village/Block level and PACS will get additional employment opportunities. Interested PACS are to be identified and encouraged by the State Government to apply online.

10. PACS as Fertilizer Distribution Centre

In a meeting held on June 06, 2023 under the chairmanship of the Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation with the Hon'ble Minister of

Chemicals, decision has been taken to make functional PACS eligible to act as fertilizer retailers, Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendras (PMKSK) and drone entrepreneurs for spraying fertilizers and pesticides. These drones can also be used for property survey. This step will ensure availability of fertilizers to the farmers at the PACS level and will create new business opportunities in PACS.

11. Convergence of PM-KUSUM Scheme at PACS Level

The structure and reach of PACS, which have direct linkage with 13 Crore farmer members, can be leveraged to set up decentralized solar power plants at the Panchayat level. With this, farmers connected to PACS can replace Agricultural Diesel Pumps with Solar Agricultural Water Pumps and ensure their energy security by installing Photovoltaic Modules on the periphery of their land, thereby extending the reach of the scheme up to the last mile. Further, PACS and its member farmers will get alternative sources of income. A concept note has been prepared by the Ministry of Cooperation and sent to MNRE on this subject and a meeting of the Secretary (Cooperation) with the Hon'ble Minister of New and Renewable Energy has been held on this proposal.

(B) Relief in Income Tax Law for Co-operative Societies

12. Reduction in surcharge on Income Tax for Cooperative Societies

The surcharge on Income Tax for Cooperative Societies with income from ₹ 1 Crore to ₹ 10 Crore has been reduced from 12% to 7% at par with Companies. This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will

be available with the societies to work for the benefit of the members.

13. Reduction in Minimum Alternate Tax (MAT) on Cooperative Societies

The Minimum Alternate Tax rate for Cooperative Societies has been reduced from 18.5% to 15%. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard. This will strengthen cooperative societies and Cooperative Sector will expand.

14. Increase in limit of Cash Deposits and Cash Loans by PACS and PCARDBs

The limit for Cash Deposits and Cash Loans by PACS and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) has been increased from ₹ 20,000 to ₹ 2 lakh per member. This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit the members of societies.

15. Tax cut for New manufacturing Cooperative Societies

New manufacturing cooperative societies commencing manufacturing operations by March 31, 2024, will be taxed at a flat rate of 15% as against the existing tax rate of up to 30% with surcharge. With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and companies in this regard. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.

16. Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal

Through the Union Budget 2023-24, the cash

withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source has been increased from ₹1 crore to ₹3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies, which they will be able to use to work for the benefit of their members.

17. Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act

Co-operative societies earlier treated the 'Contract' with their distributors as 'one event' and in all the transactions with that distributor in the entire year, if the cash receipt was more than two lakh rupees, it was considered taxable and income tax penalty was imposed on it. The Income Tax Department has issued a circular making it clear that now the 'Contract' made by cooperative societies with their distributors will not be considered as 'an event'. With this clarification, each cash transaction of more than ₹2 lakhs done by the cooperative societies with their distributor will be considered separately, so that they will not be charged with income tax penalty. With this, State and District milk unions will now be able to pay in cash to member milk producers by receiving payment in cash from their distributors during Bank holidays.

(C) Redressal of difficulties faced by Co-operative Banks

- 18.** Urban Co-operative Banks (UCBs) will now be able to open new branches to expand their business.
- 19.** UCBs will also be able to make one-time settlement of outstanding loans, like Commercial Banks.
- 20.** Additional time limit has been given to achieve the Priority Sector Lending (PSL) targets given to UCBs.

- 21.** A Nodal Officer has been designated in RBI for regular interaction with UCBs.
- 22.** RBI has permitted UCBs to provide door-step banking services to their customers.
- 23.** RBI has more than doubled the individual housing loan limit for Rural and Urban Co-operative Banks.
- 24.** Rural Co-operative Banks will now be able to lend to commercial real estate - residential housing sector, thereby diversifying their business.
- 25.** Co-operative Banks have been included as Member Lending Institutions [MLIs] of CGTMSE. With this, now the member Co-operative Banks will be able to take advantage of risk coverage up to 85 percent on the loans given. Along with this, the cooperative sector enterprises will also now be able to get collateral free loans up to ₹ 5 crore from Co-operative Banks.
- 26.** License fee for onboarding Co-operative Banks to the modern 'Aadhaar Enabled Payment System' (AePS) has been reduced by linking it to the number of transactions. Apart from this, cooperative financial institutions will also be able to get the facility free of cost for the first three months of the preproduction phase. With this, farmers will now be able to get the facility of banking at their home with their fingerprints.

(D) Revival of Cooperative Sugar Mills

27. Relief from Income Tax to Cooperative Sugar Mills

Cooperative Sugar Mills will not have to pay

additional income tax on payment of higher sugarcane prices to farmers up to the fair and remunerative price or the State advised price. With this provision, Cooperative Sugar Mills will now be able to give higher price of sugarcane to their members and they will get income tax deduction on this higher expenditure.

28. Resolving decades old pending issues related to income tax of Cooperative Sugar Mills

Provision has been made through the Union Budget 2023-24 that the payments made by Cooperative Sugar Mills to sugarcane farmers before the assessment year 2016-17 will be allowed to be claimed as expenditure. By this, they will be able to get relief of about 10,000 crore rupees, thus resolving the income tax issues pending for decades.

29. ₹10,000 crore loan scheme through NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills

Ministry of Cooperation has launched a new scheme named 'Grant-in-aid to NCDC for Strengthening of Cooperative Sugar Mills' under which Government of India would give grant of ₹1,000 crore to NCDC during Financial Year 2022-23 and 2023-24. NCDC will use this grant to provide loans up to ₹ 10,000 crore to Cooperative Sugar Mills, which they will be able to use for setting up ethanol plants or for setting up cogeneration plants or for working capital or for all three purposes.

30. Preference in purchase of ethanol to Cooperative Sugar Mills and establishment of Cogen Power Plants

Cooperative Sugar Mills will be put at par with

private companies for ethanol procurement by the Ministry of Petroleum under the Ethanol Blending Programme (EBP). There are also plans to set up Cogeneration Power Plants from sugarcane bagasse. With these steps, the business of Cooperative Sugar Mills will expand and in result their profits will also increase.

(E) Three new Multi-State Societies at the National Level

31. New National Level Multi-State Cooperative Society for Exports

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new National Cooperative Exports Limited has been set up as an Umbrella organization to promote exports from the cooperative sector. Cooperative societies from Primary to National level including District, State, National level federations and Multi-State Cooperative Societies can become its members. Through this Society, the Export of farmers' products will be facilitated and the farmers will get better price for their products.

32. New National Level Multi-State Cooperative Society for Certified Seeds

Under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, a new Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited has been set up as an Umbrella organization for cultivation, production and distribution of improved seeds under a single brand name. Cooperative Societies (Primary, District, State level) of States/Union Territories can become its members. This Society will increase availability of improved seeds to the farmers, boost productivity of crops and enhance the income of the farmers.

33. New National Level Multi-State Cooperative Society for Organic Farming

The National Cooperative Organics Limited has been established under the MultiState Cooperative Societies Act, 2002 as an Umbrella organization which will work for production, distribution and marketing of certified and authentic organic products. Primary to National level cooperative societies including District, State, National level federations, Multi-State Cooperative Societies, and Farmer Producer Organizations (FPOs) can become its members. This will increase production of organic products and increase the profit of the farmers.

(F) Education and Training in the Cooperative Sector

34. Establishment of the World's Largest Cooperative University

It is being planned to establish National Cooperative University for Cooperative education, training, consultancy, research and development. This University will ensure a sustainable, adequate and quality supply of trained manpower and work for capacity building of the existing personnel. This University will be first of its kind, a specialized University in cooperative sector.

35. New Scheme of Cooperative Education and Training

This scheme is needed to make cooperative societies a strong economic institution, broaden and strengthen the cooperative movement, build capacity of faculty of VAMNICOM, NCCT and JCTC, promote quality research and studies on important areas of Cooperative Societies, etc. In this regard, initial stakeholder consultations are being held and

formulation of scheme is targeted in the next three months.

36. Promotion of training and awareness through NCCT

The National Council for Cooperative Training (NCCT), an autonomous society under the Ministry of Cooperation, organizes cooperative education and training programs for personnel, members and board members of Cooperative Societies across the country, including personnel from Cooperative Departments of States/UTs. It conducts these programs through its 20 constituent training institutes spread across the country, out of which VAMNICOM (Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management) is a National level institute. In addition, there are 14 State level and five Regional level institutes. NCCT conducted 3287 training programs in the year 2022-23 against the target of 1740 training programs for cooperative participants, workers and professionals across the country. In addition, during this period, the Council provided training to about 2,01,507 participants, which is five times more than the scheduled 43,500 participants.

Vocational Development Plans (based on existing DPRs) in local languages for Cooperative Societies are being prepared through NCCT.

(G) New National Cooperation Policy and New National Cooperative Database

37. Formulation of New National Cooperation Policy

A Multidisciplinary and National level committee consisting of 49 members comprising experts and stakeholders from different States and across the Country has been constituted under the leadership of former Union Minister Shri Suresh Prabhu to

formulate a new Cooperation Policy to realize the concept of 'Prosperity through Cooperation'. So far, 9 meetings of the Expert Committee have been held, during which detailed discussions were held with the stakeholders and the new National Cooperation Policy is expected to be ready soon.

38. New National Cooperative Database

The work on developing a comprehensive, authentic and updated National Cooperative Database is being done in a phased manner by the Ministry of Cooperation with the assistance of State Governments. Under the First Phase, mapping of about 2.64 lakh societies of PACS, dairy and fisheries has been completed on February 28, 2023. In the Second Phase, mapping of National Cooperative Societies and Federations has been done. Under the Third Phase, about 5.8 lakh Cooperative Societies of all other sectors are being included in the database, which has been targeted to be completed by June, 2023.

(H) Inclusion of Cooperative Societies as 'Buyer' on GeM Portal

39. The Union Cabinet has approved Cooperative Societies to be registered as 'Buyer' on Government e-Marketplace (GeM) on 1st June, 2022. Cooperative Societies will now be able to buy from around 60 lakh authentic sellers/service providers available across the country on the single platform of GeM. So far more than 550 Cooperative Societies have been onboarded as buyers on the GeM portal.

Further, Cooperative Societies are also being motivated to register as sellers on GeM.

(I) Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC)

40. New schemes for Cooperative Societies have

been started by NCDC in various sectors such as 'Swahayamshakti Sahakar' for self-help groups; 'Dirghavadhi Krishak Sahakar' for long term agricultural credit; 'Dairy Sahakar' for dairy and 'Nandini Sahakar' for women's cooperative institutions etc. In the financial year 2022-23, NCDC disbursed financial assistance of ₹ 41,025 crore (provisional) which is almost 20% higher than the disbursement of ₹ 34,221 crore in 2021-22. To enhance the flow of much needed funds to the cooperative sector, NCDC has envisaged increasing loan disbursements to about ₹ 3 lakh crore per year over the next five years by increasing its efficiency and geographical spread. All States and State Cooperative Societies can avail loan schemes of NCDC.

(J) Strengthening of Central Registrar's Office

41. Computerization of Central Registrar's Office

The office of the Central Registrar is responsible for administering the Multi State Co-operative Societies (MSCS) Act, 2002. The office of the Central Registrar is being computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperative Societies. The software will assist in processing applications and service requests in a time bound manner through electronic work flow at the Central Registrar's Office. It will have provisions for OTP based user registration, verification check for compliance with MSCS Act and Rules, hearing through VC, issue of registration certificate and other communication, electronically. This computerization project will help significantly in registering new MSCS and will also promote their ease of doing business.

42. The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022

The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 aims to amend Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 to incorporate the provisions of the 97th Constitutional Amendment and to strengthen governance, increase transparency, increase accountability, improve election process, etc in Multi-State Cooperative Societies. This Bill was introduced in the Lok Sabha on December 7, 2022, and was referred to a Joint Parliamentary Committee of both the Houses on December 20, 2022. Notice of consideration and passing of the Bill, as reported by the Joint Committee has been given in the Lok Sabha on 22.03.2023. The Bill is to be introduced for consideration and passing in the upcoming session of the Parliament.

(K) Other Initiatives

43. Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs)

To strengthen the Long-term Cooperative Credit structure, the Ministry of Cooperation is taking up the project of computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs). It will have various components such as hardware procurement, comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP) solutions, digitization, providing training and support, and maintenance of software, etc. 25 percent of the expenditure incurred in this scheme will be borne by the ARDBs and the remaining 75 percent by the Central and State governments. Computerization will provide various benefits to ARDBs, such as increased efficiency, faster loan disbursement, reduced transaction costs, increased transparency and lower imbalances of payments, etc.

44. Refund to Investors of Sahara Group of Societies

On the petition of the Ministry of Cooperation, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 29.03.2023, directed to transfer ₹ 5000 crore from Sahara-SEBI refund account to the Central Registrar of Multi-State Co-operative Societies for disbursement of valid dues of the depositors of 4 Cooperative Societies of Sahara Group (Sahara Credit Cooperative Ltd., Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd., Hamara India Credit Cooperative Society Ltd. and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.). Stockholding Documents Management Services Ltd. (SDMSL)'s has been engaged to develop a transparent digital system (portal) under the supervision and monitoring of Justice Shri R. Subhash Reddy (Retd.) and Advocate Shri Gaurav Agrawal, amicus curiae, for disbursement by the Central Registrar in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court. Four Officers on Special Duty (OSDs) have also been appointed by the Central Registrar for each of the above committees to supervise the refund process. Through the portal, payment will be made to the concerned Bank account of the bona fide depositors in a transparent manner after proper identification and submission of proof of their deposits and claims. The Central Registrar's Office is shortly going to issue a press release to inform the investors of these societies to apply for refund through the portal.

45. Scheme for computerization of office of Registrar of Cooperative Societies in States/Union Territories

To increase ease of doing business for Cooperative Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all States/

Union Territories, a scheme for computerization of State Registrar Offices is being prepared by the Ministry of Cooperation. The software developed under this scheme will be based on the Cooperative

Act of the respective State/UT. The Ministry is in dialogue with the Registrars of all the States/UTs to formulate this scheme and soon it will be proposed as a Centrally Sponsored Scheme.

RURAL CREDIT SCENARIO

Historically, farmers in India are resource poor who depend heavily on borrowings to facilitate production and smoothening of consumption pattern. With customary uncertainties of farming under rain-fed conditions increasing indebtedness of farmers at exploitative interest rates has been a continuous characteristics of Indian agriculture. Institutional credit was virtually absent till the end of 19th Century though farmers occasionally were given loans by the Govt, especially during drought years. The idea of forming Cooperative Societies to give loans to farmers came only in the beginning of 20th Century. This thinking finally resulted in the enactment of Cooperative Societies Act in 1904. Cooperatives gradually became an important source of agricultural credit throughout the country. Rural credit also received continuous attention of the Govt in the early part of 20th Century. The original Act of 1904 was followed by a new Cooperative Act in 1912 to give legal recognition to Cooperative Credit Societies. Establishment of Provincial Cooperative Banks, resulting in the creation of 3-tier Cooperative credit structure was another important development during this period. The operations of credit cooperatives however, confined to short term loans. At the same time, farmers were in need of long term loans to free their land from prior debts, which claimed a major portion of crops they produced by way of interest on such debts. Land Mortgage Banks were established in early 1920s to meet such long term credit needs of farmers. The

establishment of first Land Mortgage Bank in Punjab in 1920 was followed by formation of such banks at provincial and primary levels in the provinces. In spite of all these efforts by 1951, only 3.3% of farmers had accessed credit from Cooperatives and only less than 1% of farmers managed to get loans from Commercial Banks. All India Rural Credit Survey Committee in 1954 observed that agricultural credit fell short of right quantity, was not of the right type and did not serve the right purpose and often failed to go to the right people. Committee observed several deficiencies in the performance of cooperatives in meeting the credit needs of farmers, but found that cooperatives had a vital role in channelizing credit to the farmers and summed up that 'Cooperation has failed, but Cooperation must succeed'. Agricultural Refinance Corporation was established in 1963 to make long term funds available to Cooperative Rural Credit Structure, particularly Land Development Banks. All India Rural Credit Review Committee was set up in 1966 to review the availability of rural credit and to recommend measures to improve flow of agricultural credit. The Committee recommended that Commercial Banks should play a complementary role along with cooperatives in extending rural credit. Bank nationalization and introduction of the concept of priority sector lending in 1969 acted as a catalyst to bring commercial banks in the Rural Credit System in a big way. Lead Bank Scheme was also introduced in the same year for decentralized

planning under which each district was placed with one of the commercial banks. All these initiatives however, failed to bring desirable improvement in credit flow to agriculture mainly because commercial banks were not tuned to the needs of small and marginal farmers, while cooperatives lacked resources to meet the growing demand for credit. It was on the above background that Regional Rural banks (RRBs) were set up in 1975 based on the recommendations of Narsimhan Working Group. RRBs were conceived as a separate banking structure, combining the co-operative advantages of local feel and familiarity of rural problems and the professionalism and resource base of commercial banks. Thus, towards the end of 70s a Multi-Agency System comprising of Cooperatives, Commercial banks and RRBs was emerged for rural credit. Subsequently, following recommendations of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) was set up in 1982, which took over the entire operations of ARDC and the refinancing functions of RBI with regard to agriculture and rural credit. NABARD plays a central role in providing financial assistance and facilitating institutional development in the area of rural credit. 1990s

witnessed initiation of financial sector reforms based on the report of Committee on the financial system (Chairman Shri M. Narsimhan 1991). Several committees on Rural Financial System were also constituted during this period including High level Committee on Agricultural Credit through commercial Banks (R.V. Gupta, 1998), Task Force Study to study the functioning of Cooperative credit system and to suggest measures for strengthening (Jagdish Kapoor, 1999), Expert Committee on Rural Credit (V.S. Vyas, 2001), Vaidyanathan Task Force I & II in early 2000s etc. The financial sector reforms in India since 1990s were carried out mainly on the basis of the recommendations of the above Committees. However, it is observed that while the recommendations relating to Commercial banks and RRBs were mostly implemented those relating to strengthening of Rural Cooperative Credit Structure were not given required attention. Vaidyanathan Task Force Report on STCCS was not fully implemented whereas Vaidyanathan Task Force Report on LTCCS was ignored and not implemented at all.

There has been phenomenal growth in the credit flow to agriculture from its implementation as may be seen from the table below showing yearly targets and achievements for agricultural credit from 2004-05 to 2023-24.

(₹ in Crores)

YEAR	TARGET	ACHIEVEMENT
2004-05	1,05,000 (Base year)	1,25,309
2005-06	1,41,500 (34.29%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (24.11%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (21.16%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.95%)

2010-11	3,75,000 (15.39%)	4,68,291 (21.78%)
2011-12	4,75,000 (26.67%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.32%)
2014-15	8,00,000 (14.29%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	11,00,000 (10.00%)	12,54,762 (7.93%)
2019-20	13,50,000 (22.73%)	13,73,766 (9.48%)
2020-21	15,00,000 (11.11%)	15,75,398 (14.68%)
2021-22	16,50,000 (10.00%)	18,63,364 (18.28%)
2022-23	18,50,000 (12.12%)	-
2023-24	20,00,000 (8.11%)	-

Source: rbi.org.in, Annual Report publication - NABARD.

A decision was taken by the Government in June 2004 to double the flow of Agriculture Credit in three years with reference to base year 2003-04. The flow of Agriculture Credit since 2003-04 has consistently exceeded the target. This is evident from the fact that Agriculture Credit flow which was at ₹86,981 crore in 2003-04 reached to ₹468,291 crore in 2010-11. The target for Agriculture Credit for the year 2021-22 was fixed at ₹16,50,000 crore and achievement was ₹18,63,363.49 crore (113% of the target). The target for 2022-23 has been set at ₹18,50,000 crore by majorly focusing on areas like animal husbandry, dairy, and fisheries and a sum of ₹13,75,294 crore has been disbursed as Agriculture Credit during 2022-23 upto December, 2022.

The government typically increases the farm credit target every year in order to support the agriculture

sector, which remains one of the biggest employers in the economy. But this also means that the burden for banks, mainly state-run banks, goes up considering the risky nature of farm credit.

Availability and accessibility to adequate, timely and low-cost credit is necessary for profitable farming. The amount of institutional credit available to farmers has increased over the past few years. However, rural indebtedness has increased and loans are primarily being used to meet revenue expenditure in farming, or recurring household expenditure.

The latest Reserve Bank of India (RBI) data shows that overall bank credit surged in 2022. While non-food credit grew 15.3% in December 2022, up from 9.4% a year ago, the credit for agriculture and allied activities grew 11.5% in the same period, down from 14.2% growth a year ago.

Small and marginal farmers, who operate 85% of holdings and account for more than half of the total area cultivated are not getting proportionate share of institutional credit. Farmers require credit for short term uses such as purchasing inputs, weeding, harvesting, sorting and transporting, or long term uses such as investing in agricultural machinery and equipment, or irrigation. Small and marginal farmers rely mostly on informal sources of credit, at higher rates of interest.

Over the past few decades, especially since 1990-91, the share of long term credit has been constantly decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year, it has not resulted in proportionate increase in agricultural production, due to falling share of investment credit and slowdown in the rate of capital formation and productivity enhancement.

Over the past ten years, the total institutional credit availed by farmers has increased at CAGR 7.8%. In 2021-22, the Ministry had targeted to provide ₹16.5 lakh crore worth of credit to the farmers. It exceeded its target by 13%. It aims to provide ₹18.5 lakh crore as agricultural credit in 2022-23. However, it rose from 57% in 2020-21 to 60% in 2021-22 (as of December 2022). A higher share of short-term credit indicates that farmers are borrowing to meet their recurring expenditure needs, rather than funding long-term investments.

It is estimated that 75% of the total credit to agriculture has been contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives and RRBs with a share of 13% and 12% respectively. The reported

growth in credit mostly relate to indirect credit or credit for agriculture rather than direct credit to farmers. Consequently, nearly half of India's 1540 million farming households are still excluded from the formal credit system. Ordinary farmers find it difficult to access credit from banking system. In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be the source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 12% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is actually reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

Agricultural yield (in terms of average per hectare production) is found to be much lower in the case of most crops, as compared to other top producing countries such as China, Brazil and the United States. Key issues affecting agricultural productivity include the decreasing size of agricultural land holdings, continued dependence on the monsoon due to inadequate access to irrigation, imbalance in the use of soil nutrients resulting in loss of fertility of soil, uneven access to modern technology in different parts of the country, lack of access to formal agricultural credit and slow pace of R&D in agriculture, resulting in delay/failure to address seed, pests and disease

problems, crop sustainability, climate change, irrigation problems etc.

Profitability of agriculture vis-a-vis other sectors influences private investment in agriculture and relative profitability of different crops determines the inter-crop allocation of land and other resources. Public investment in agricultural infrastructure is an important factor deciding profitability in agriculture. However, public investments in agriculture has been declining sharply in the last few decades. Reversal of the declining trend in public investment in agricultural infrastructure is necessary to resolve the present crisis in agriculture and farmer's distress.

Shifting a large chunk of workforce from agriculture by creating productive work opportunities in the non-farm sector is also required to check the disturbing trend of increasing income disparities between agricultural and non-agricultural occupations.

The most important pre-requisite for the development of agricultural sector is the need to encourage farmers to make long-term investments. Inevitably, public support is required not only through an increased flow of credit and creation of infrastructural investments but also through the development of agri-markets and investment in agro-processing. The investment needs may differ across countries /regions given their diverse agro-climatic conditions, and the level of agricultural development, and the crop and allied activities being undertaken by them.

Credit acts as an enabling and critical input in the production process. Studies reveal that loans from

institutional sources, viz., commercial banks, regional rural banks and cooperatives, provide access to and usage of fertilizers, seeds and other inputs, and are also highly correlated with capital formation. Seen from the demand side, this indicates that nearly 86% of the farm investment in India is undertaken through borrowed money from both institutional and non-institutional sources. The existing institutional finance mechanism takes care of more than 65% of the total production credit requirements and the balance goes for investment credit. The short term loans provided by all banks largely support for production of crop and lesser share goes towards investment in agriculture. This has affected the capital formation in agriculture which should have been increased substantially over the years mainly because of farmers not getting adequate returns for their investments made by borrowing through institutional credit agencies.

The current estimates suggest that long-term credit is not just declining but also that it constitutes less than a quarter of total agricultural credit. The policy thrust, therefore, has to be on incentivizing banks through adequate budgetary support. Similarly, reviving public sector investment is critical due to its multiplier effect on the overall GCF in the sector.

In India the investment requirements have not been estimated for agricultural growth at state level but only made at national level. The Planning Commission estimated that a 20.41% rate of investment was required to achieve a growth target of 3.5–4.2% during the Twelfth Five Year Plan (2012-17). This investment rate, based on the

incremental capital output ratio (ICOR) of 5.32%, is to be met through the public and private (farm household) sectors. Based on the average ICORs from 2007-08 to 2011-12 and 2012-13 to 2013-14 and the targeted 9.23% annual increase in real farm income, the required rate of investment on private account is at 6.62%. In case of public investment (for agriculture) the targeted investment rate is assessed at 6.92% per year. In absolute terms, in order to enable the doubling of farmers' real income by generating higher farm incomes, the private investment in India should increase from \$296 billion (₹29,559 crore) in 2015-16 to cumulative \$463 billion (₹46,299 crore) in 2022-23, at 2004-05 prices.

Studies undertaken for the earlier periods also reported higher ICORs in agriculture, varying between 2.2 and 4%, which indicates that a one-rupee increase in output per year requires an one-time investment of ₹2.2 to ₹4. The capital requirement would almost double if public investment in infrastructure and supportive investments are also taken into account. With increased fragmented land holdings, it is quite unlikely that marginal farmers would be willing to take investment credit when the adequate return is not assured by such investments. Thus, the risk and return ratio on investment credit being quite high, there will be hesitancy on the part of the small/marginal farmers to borrow at a high cost where the return is going to be far less. As indicated above unless the investment risk return ratio becomes positive, farmers may not be willing to take any risk for putting additional investment by taking loans from institutional agencies.

The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Hence, they are forced to approach informal sources for their financial needs which carry exorbitant rate of interest. Cooperative banks and RRBs do not have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs are the only source to support the investment credit needs of their members with or sometimes even without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalised funding from NABARD or any other higher financing agency as ARDBs are the only channel purposely created for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play a proactive role of supporting the ARDBs instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when they are not in a position to recover from the borrowing members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavorable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.

The revamping of LTCCS is badly delayed affecting

its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt. should implement the revival package for LTCCS recommended by Vaidyanathan Task Force II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund in NABARD with annual contributions out of deficit in commercial banks' lending to agriculture. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, SCARDBs were getting only a small share of LTRCF as their loans are mostly of longer term than 5 years. Based on the recommendations of the Working Group for Enhancing the Share of Investment Credit by ARDBs and subsequent to the discussions with the Chairman, NABARD on 06th March 2019, NABARD has extended the period of refinance for long term

loans to 9 years partly with LTRCF assistance upto 5 years and for the remaining period NABARD would charge interest as applicable to its Normal lendings. This relaxation would go a long way in availing more refinance by providing necessary cushioning for ARDBs to meet the resources crunch to a certain extent.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, continue to vitiate the climate of loan recovery. Govt. support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt. should also refrain from actions that vitiating recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.

COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE – OVERVIEW

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,806 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 1,08,19,252 rural households of which 39,31,575 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2023 were ₹21,151.91 crores

and ₹12,573.86 crores respectively. Fully functional SCARDBs have total deposits of ₹2,313.32 crores as on 31.3.2023 as against ₹2,286.38 crores as on 31.3.2022. Their total lending during 2022-23 stood at ₹5,426.54 crores as against ₹5,092.22 crores during the previous year. Aggregate recoveries were 40.59% (As on 31 March 2023) as against 36.08% last year.

Overview of Long-Term Cooperative Credit Structure for last 2 years

₹ Crores

Sr. No.	Particulars	During the year	
		2021-22	2022-23*
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	13
	ii Others	3	3
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	657	657
	ii Supervisory Units	43	45
	iii PCARDBs and its branches	1,102	1,104
	TOTAL	1,802	1,806
3.	Membership of individuals	1,07,45,776	1,08,19,252
4.	Borrowing Membership	41,53,300	39,31,575
5.	Loans Outstanding	21,124.35	21,151.91
6.	Loans Disbursed	5,092.22	5,426.54
7.	Borrowings Outstanding	13,378.88	12,573.86
8.	Deposit Outstanding	2,286.38	2,313.32
9.	Loan Recovery Position As on 31 March		
A.	At Ultimate Borrowers' Level	2021-22	2022-23
	i Demand	16,168.77	16,690.13
	ii Collection	5,833.64	6,775.10

	iii Balance	10,334.91	9,915.03
	iv Recovery %	36.08	40.59
B.	At SCARDB Level	2021-22	2022-23
	i Demand	14,095.83	13,965.82
	ii Collection	5,998.44	6,177.39
	iii Balance	8,097.17	7,788.44
	iv Recovery %	42.55	44.23
10.	Amount of Profit	150.89	280.43
	No. of banks in Profit	10	10
11.	Amount of Losses	72.18	42.08
	No. of banks in Losses	3	3
12.	Staff Position		
	i SCARDB Level (Apex)	4,219	4,431
	ii PCARDB level (Ground)	4,202	4,004
	TOTAL	8,421	8,435

*Figures are tentative

Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is primarily designed as non-resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In

1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations.

The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt. guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance based on its Risk Rating norms had to

suspend lending operations for want of resources. SCARDBs are bearing guarantee fee ranging from 0.25% to 2%. Thus, effectively, the margin available for ARDBs is getting reduced affecting their viability. In this context, the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, recommended NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without govt guarantee or collaterals.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system. However, ARDBs still are unable to advance crop loans at 7% interest p.a. as crop loan interest subvention scheme of Government of India is not extended to ARDBs.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also

incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.2 for LTCCS headed by Prof. Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalized so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

Deteriorating recovery climate is another major challenge faced by ARDBs. Aggregate average loan recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years. Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States. Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit results in full benefits of investments not accruing to borrowers who are not able to access short term loans from other agencies. Further, ARDBs which have not introduced short term loan products and saving products are unable to

maintain regular contacts with borrowers which is necessary for high rate of repayment. Loan waivers though may be done as a one-time measure, gives rise to expectations of further waivers in the future leading to total break-down of agricultural credit system which cannot function without recycling of resources.

Covid19 pandemic impacted normal operations of ARDBs since financial year 2020-21. ARDBs generally lost the main recovery season during April-June 2020 coinciding with rabi harvesting, due to lockdown and loan moratorium. Though loan moratorium was extended to instalments payable by borrowers, there was no moratorium on instalments payable by SCARDBs to NABARD. SCARDBs in many States had to go for costly short term borrowings to meet NABARD's demand on account of this anomaly in applying loan moratorium. Later on, some of the banks were given special liquidity support by NABARD to clear such short term liabilities. NABARD's SLF-2 extended to SCARDBs since 2021-22 has significantly improved liquidity in the structure. However, loan recovery is yet to return to pre-pandemic level in most of the States.

Issues taken up with NABARD, RBI and Government of India

NABARD

1. To introduce a new additional refinance product for SCARDBs based on financial strength and performance without government guarantee.
2. To amend NABARD Act to remove the condition of Govt Guarantee and to make provision for giving refinance to ARDBs registered under MSCS Act.

3. To allow 2 year gap between refinance disbursement date and first principal repayment to overcome shortfall in repayment of agricultural loans due to reasons beyond the control of the Bank.
4. To channelize SAO refinance to ARDBs through SCBs, with additional SAO allocations to SCBs earmarked to SCARDBs.
5. NABARD to include following purposes eligible for refinance:-
 - i) Revolving credit limit to long term borrowers to meet their short term credit needs.
 - ii) Education loans for children of long term borrowers whose entire land holding mortgaged with the ARDB.
 - iii) High lumpsum expenses of rural households for life events like marriages to avoid over dependence on informal sources of credit and to enable meeting such high expenses from their future incomes.
 - iv) A major fraction of rural household debts come from non-institutional sources. Shifting non institutional credit to institutional credit is essential for their economic upliftment.

GOVT OF INDIA & RBI

Following issues have been taken up with Govt, RBI and other agencies through MOC

- i) Computerisation of ARDBs – Federation has submitted revised proposal based on decisions taken in the joint meetings convened by MoC with NABARD and the Federation. Final approval of the scheme by the Govt is awaited.

- ii) Banking License to SCARDBs – Ministry of Cooperation (MoC) convened a joint meeting of RBI, NABARD, NAFCARD & Gujarat SCARDB, which made an application for banking license to RBI. MoC requested RBI to suggest norms for giving banking license to SCARDBs. RBI is expected to prescribe norms within 3 months.
- iii) Extending Crop loan interest subvention

scheme to ARDBs - MoC has taken up the matter with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MoA & FW). Decision of MoA & FW awaited.

- iv) Extending DICGC insurance coverage to deposits of ARDBs - MoC has taken up the matter with RBI and DICGC.
- v) CIBIL Transunion Membership to ARDBs - MoC has written to CIBIL Transunion and RBI.

HIGHLIGHTS ON MAJOR DEVELOPMENTS/ EVENTS DURING THE YEAR

National Conference of ARDBs 2022 – Major Recommendations

The Federation organized National Conference of ARDBs 2022 on 16 July 2022 in New Delhi. Shri Amit Shah, Hon'ble Union Minister of Home and Cooperation was the Chief Guest on the occasion. The Conference was also graced by Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State for Cooperation & Development of North East Region, Shri Dileep Sanghani, Chairman, KRIBHCO & President, ICA-AP, Shri Gyanesh Kumar, Secretary (Coopn), Dr. Bijender Singh, Chairman, NAFED, Shri K. Ravinder Rao, Chairman, NAFSCOB as Guests of Honour. The Conference was attended by 850 delegates representing the structure throughout the country.

The inaugural session of the Conference in the forenoon was followed by technical session on the theme of 'Roadmap for revival of LTCCS', in which presentations were made by following persons.

1. Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDB Federation.
2. Shri D.N. Thakur, National President, Sahakar Bharti.

3. Shri R.K. Kulshrestha, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB.
4. Shri Parminder Pal Singh, Managing Director, Punjab SCADB represented by Shri Jagdeep Ghai, Dy. General Manager, Punjab SCADB.
5. Shri V.M. Chaudhari, Jt. Managing Director, Gujarat SCARDB.
6. Smt. Sindhu R. Nair, General Manager, Kerala SCARDB.

The recommendations of the Conference were finalized based on the presentations and interactions by participants in the open forum. Following are the highlights of the recommendations.

- Govt to take urgent measures to revive and strengthen existing institutions in the structure. Since the structure exists only in 16 States there is a need for setting up a Multi-State ARDB to cater to the long term credit needs of farmers in other States.
- A few financially strong and good working SCARDBs may also consider converting

themselves to Multi State ARDBs to cater to long term credit needs of neighboring States where LTCCS does not exist.

- NABARD needs to revive refinance support to the States of Tamil Nadu, Haryana, Odisha, Bihar, Assam, Jammu & Kashmir and Tripura and should specify minimum essential conditions to be fulfilled by these SCARDBs for restoring refinance support.
- Federation and SCARDBs to prepare and implement action plan for each State to revamp their operations to make long term financing successful and sustainable.
- NABARD should extend refinance to SCARDBs without govt guarantee.
- NABARD should also give two year gap between refinance disbursement date and the first principal demand by NABARD to minimize the mismatch in collection and repayment demand which ARDBs are facing on a permanent basis at present as recommended by the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit under the Chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD.
- Central govt interest subvention scheme for crop loans and other credit linked subvention schemes should be extended to ARDBs also.
- ARDBs should be considered for Trans Union Cibil membership which will help to include loans given by ARDBs in the data base and credit score reports of credit ratio companies.
- Provision may be included in DICGC Act to extend insurance coverage of deposits of ARDBs.
- The Central Govt scheme for investment in the

debentures of ARDBs which was in vogue till 2017-18 should be restored.

- Govt of India may include ARDBs also in the scheme for computerization of rural credit cooperatives.
- Reserve Bank of India needs to prescribe norms for licensing ARDBs as full-fledged banks as recommended by Capoor Committee (1999) and Vaidyanathan Task Force II (2006).

Major Recommendations

1. Revival of Long Term Rural Cooperative Credit Structure and stepping up long term finance to farmers

Hon'ble Minister in his address stressed the need for reviving and strengthening Long Term Cooperative Credit Structure for stepping up long term finance to farmers for developing irrigation and other farm infrastructure in order to realise the dream of Prime Minister Modi ji to double farmers' income in every five years.

The Long Term credit Structure has been dissolved or become non-functional in States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Assam. Similarly, SCARDBs in Tamil Nadu, Haryana and Jammu & Kashmir are not carrying out long term lending at present due to non availability of refinance as they are unable to fulfil various conditions including govt guarantee laid down by NABARD for getting refinance.

The Conference on the above background made following recommendations to revive LTCCS for stepping up long term finance to farmers.

- (i) Formation of a new Multi State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank to advance long term loans to farmers in States where LTCCS is not functioning at present and

conversion of a few financially strong and good working SCARDBs into Multi State ARDBs to cater to long term credit needs of neighboring States where the LTCCS doesn't exist or turned sick at present.

(ii) The Ministry of Cooperation and NCARDBF may jointly initiate action in this regard.

(iii) Following States are not getting NABARD's refinance support at present.

1. Tamil Nadu
2. Haryana
3. Orissa
4. Bihar
5. Assam
6. Jammu & Kashmir
7. Tripura

- NABARD needs to specify minimum essential conditions to be fulfilled by these SCARDBs for restoring refinance support.

(iv) Ministry of Cooperation may request State Govts concerned to provide necessary support to these SCARDBs to become eligible for NABARD's refinance and resume long term finance to farmers.

(v) Federation and SCARDBs concerned to prepare and implement action plan for each State to revamp their operations to make long term financing successful and sustainable. The proposed action plan may cover following areas to make the credit business successful and sustainable.

- Leveraging advantages of cluster based group lending for strengthening credit supervision and ensuring timely repayment.

- Formation of local based farmer cooperatives/FPOs to make investments in farm infrastructure efficient and viable.
- Encouraging farmers to undertake value chain activities in the post production value chain to increase their returns and financing such activities.
- Strengthening loan appraisal system taking into account risk profile and credit score in place of security oriented lending.
- Instead of financing a single crop or activity, extending long term finance to develop all income generating avenues of the household to ensure their financial empowerment on a sustainable basis.
- Streamlining and strengthening repayment/recovery system based on Model Recovery Policy.
- Strengthening human resources in terms of quality and quantity aligned with business expansion.
- Adopting innovative practices to widen and deepen outreach like one man branch/sub offices in potential areas, starting alternate days branches to facilitate existing staff to expand business to larger areas.
- Establishing a new Multi State ARDB to advance long term loans to farmers in States where ARDB structure do not exist or not functioning well at present. Federation and Ministry of Cooperation may jointly initiate action in this regard.
- Augmenting internal resources through deposit mobilization from members at accelerated rate.

2. Reforms in the refinance policies of NABARD

NABARD's refinance support to ARDBs are subject to fulfilment of the following conditions at present.

- Govt guarantee and execution of guarantee deed by the Govt.
- SCARDBs should be either in low risk or medium risk category based on risk rating score.
- Audit classification should be 'A' or 'B'.
- All loans issued by ARDBs should be secured by mortgage of land and refinance is linked to effective mortgage.
- Refinance should be fully secured by standard assets.
- Charging of additional interest towards risk premium from ARDBs which are not low risk category which is not justifiable as ARDBs are already paying guarantee fee to Govt to risk proof NABARD's exposure to them.

Though NABARD over a period of time introduced qualitative norms of risk rating, linking refinance eligibility with audit classification, linking refinance with standard assets and effective mortgage etc., no relaxation has been brought in the condition of govt guarantee.

Only alternative to govt guarantee is pledge of fixed deposit receipts to the extent of 125% of refinance which is not a viable alternative for ARDBs which do not have own resources. Most of the State Govts are unable to give additional guarantee to the extent required due to ceiling on govt guarantee. Consequently, ARDB sector is now getting only less than 5% of total yearly refinance support of NABARD which used to be more than 50% 20 years back resulting in huge backlog of

unmet demand of long term loans in every State. Based on the present lending capacity of ARDBs and demand for loans, the annual lending by ARDBs can be increased by five times in the next five years subject to relaxation of refinance eligibility norms by NABARD and computerization of operations.

The Conference on the above background recommended that

- (i) NABARD needs to relax conditions for giving refinance to SCARDBs and do away with the condition of govt guarantee for banks which fulfil qualitative norms of risk rating, audit classification etc., when refinance is fully secured by standard assets and effective mortgages.
- (ii) Poor loan recovery by ARDBs to a great extent is linked to their inability to meet short term production and contingency credit needs of long term borrowers. For most of the farmers, land is the only asset against which borrowings are possible. As their land is already mortgaged to the ARDB, they are generally unable to borrow from other agencies for other requirements.

SCARDBs in some States introduced cash credit limit to long term borrowers which resulted in higher returns to farmers due to improved asset utilization and significant improvement in loan recovery. NABARD needs to include cash credit limit to long term borrowers on a revolving basis during the tenure of long term loan as an eligible purpose for refinance.
- (iii) The Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit constituted by the Federation under the Chairmanship of

Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD suggested a later-end repayment period of NABARD's refinance instalments by ARDBs to give adequate cushion in meeting unfavourable recovery conditions arising of socio-political reasons. Accordingly, Federation proposed a two year gap between refinance disbursement date and first principal demand by NABARD to minimize the mismatch in collection and repayment demand which ARDBs are facing on a permanent basis at present. NABARD needs to implement the above recommendations of the YC Nanda Working Group Report.

3. Policy support from Central and State Govts and RBI

(i) Representation of Rural Cooperative Credit Structure in NABARD Board

Govt may consider including representatives of both long term and short term credit structures in NABARD Board to address the present shortcomings in the policies of NABARD with regard to cooperatives.

- (ii) Agricultural lending involves high risk compared to other loan products. In the rural credit system, the entire risks in agricultural financing is now borne by lending institutions. Unlike commercial banks, these institutions do not have substantial non-agricultural portfolio to cross subsidise the high risk cost in agricultural lending.

In this context, the Conference made the following recommendations to address credit risk of ARDBs in long term financing.

- a) There should be a mechanism to share credit risk in agricultural lending by all agencies involved including NABARD.
 - b) Creation of risk fund out of contribution from borrowers, lender, refinancer and Govt.
 - c) Introducing National Insurance Scheme for farm assets in the pattern of National Crop Insurance Scheme.
- (iii) Central Govt interest subvention scheme for crop loans and other credit linked subvention schemes are now available only to lending institutions with banking licence (regular banks). These schemes need to be extended to benefit the borrowers of ARDBs also.
- (iv) Trans Union Cibil membership will help to include loans given by ARDBs also in the data base and credit score reports of credit rating companies. However, ARDBs are not given Trans Union membership at present as they do not have licence from RBI.
- (v) Provision may be included in DICGC Act to extend insurance coverage of deposits of ARDBs also.
- (vi) A scheme for investments by the Central Govt on matching basis with State Govts in the debentures of ARDBs was in vogue till 2017-18. The scheme may be restored with adequate budget allocation for the same. This will help ARDBs to meet the shortfall in refinance support by NABARD to a great extent.
- (vii) Govt to consider providing need based critical financial support for reviving SCARDBs not fully functional at present.

- (viii) Govt may consider including ARDBs also in the Scheme for Computerising Rural Credit Cooperatives.
- (ix) Support by Central Govt may be linked to commitment by State Govts to bring legal and policy reforms at State level.
- (x) Converting ARDBs into fullfledged banks:- ARDBs need to be converted into fullfledged banking institutions to meet the entire credit needs of their members without depending on external resources. RBI needs to prescribe norms for licensing ARDBs as fullfledged banks as recommended by Capoor Committee (1999) and Vaidyanathan Task Force II (2006).

Computerization of ARDBs

The pace of technology adoption in ARDBs has been very slow. A beginning was made only about 10 years back when Federation collaborated with NIC which developed a software specially for ARDBs. Subsequently, SCARDBs in Punjab, Karnataka, Gujarat and Himachal Pradesh executed MoU with NIC for computerization. Most of the other fully functional SCARDBs also engaged private providers for computerization around the same time. However, computerization did not become operational in most of the State due to technical issues and delays in customization, data migration, approvals etc. Consequently, none of the SCARDBs are fully computerized as on date though a few of them are partially computerized. However, even in those States computerization is not based on common software which is essential to ensure uniformity in operations and accounting system. Computerization will also help to improve

efficiency of operations, quality of services and product delivery to expand outreach and achieve desired growth in lending.

The National Conference of ARDBs 2022, in the above context, made a recommendation to approach Government of India, for extending financial assistance for computerization of ARDBs. Based on the above recommendation, the Federation submitted a proposal to Ministry of Cooperation for computerization of ARDBs in line with the centrally sponsored project for computerization of PACSs currently under implementation.

The Ministry of Cooperation has given its in principle approval for the proposal and convened three joint meetings with NABARD and NAFCARD on this subject in which following decisions were taken.

- (i) Computerisation of ARDBs shall be carried out in a common software platform. The common software developed for PACSs also include required modules for all credit and non-credit operations and related functions of borrowings, deposits, investments, recovery, HRM etc. undertaken by ARDBs. Hence, it was decided that the common software developed for PACSs shall be made available to ARDBs also with customization. Adoption of the common software of PACSs will also facilitate changes in the software, if required in the future, as Govt of India owns its source code which is kept in the custody of NABARD. ARDBs shall also be given hand holding support including data center and software maintenance during the first 5 years.
- (ii) NABARD will be the implementing agency.

(iii) 1851 units in the network of 13 fully functional SCARDBs (comprising of 1712 retail units, 619 branches of SCARDBs, 606 PCARDBs and 487 branches of PCARDBs, 126 supervisory units and 13 HOs) shall be considered for computerization.

(iv) Following are the components included in the computerization scheme and the unit cost approved.

A. Hardware and accessories	: ₹ 1,22,158
B. Digitization and support system	: ₹ 1,86,910
C. Customisation of software and Data center	: ₹ 72,103
D. Training	: ₹ 10,198
E. Administrative cost and contingencies (total)	: ₹ 1.46 crore

(v) The cost of Hardware & accessories and Digitization (Item A & B above) shall be shared among Central Govt, State Govts and ARDBs concerned in the ratio of 45:30:25 respectively. All other costs (Item C, D & E) shall be borne by the Central Govt.

(vi) The requirement of hardware and accessories at different levels has been tentatively estimated as below:

1. Retail outlets (branches of SCARDBs/PCARDBs/branches of PCARDBs):	2 each
2. Supervisory units	: 3 each
3. HOs (average)	: 25 each

Actual entitlement based on business volume and average daily transactions in the Head Office.

The final approval of the scheme by the Govt is awaited.

Points raised by Hon'ble Union Home and Cooperation Minister during his speeches

Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home & Cooperation Minister in his inaugural address at the National Conference of ARDBs 2022 mentioned about the growing imbalance between long term and short term credit in the total agricultural credit flow. Institutional credit to farmers has registered an impressive growth from ₹46000 crore in 1999-2000 to about ₹16 lakh crore in 2021-22. However, the proportion of long term component in the total agricultural credit has drastically declined from over 50% to less than 20% during the above period. Hon'ble Minister in this context mentioned about the scope of diversification of activities for long term finance of SCARDBs and a joint finance system for short term and long term credit structure to increase the share of investment credit in agricultural credit flow.

The Board of Management of the Federation comprising of Chairpersons of State Cooperative Agriculture & Rural Developments and State Cooperative Banks of a few States which do not have separate structure for long term finance, advised member banks to prepare action plans for implementing the suggestion of Shri Amit Shah. The Federation has subsequently issued guidelines for preparing these plans which are being launched in April 2023. The Board observed that a higher rate of farm investments is required both for meeting rising food demand and to increase farmers' income. A higher growth rate of agricultural sector is also essential to maintain GDP growth rate of more than 8% in the longer term for fully eliminating poverty and hunger. The Board also observed the importance of green finance in agriculture to maintain resource efficiency, environmental sustainability and climate

adaptation. Financing should be accompanied by changes in farming practices for reduction/elimination of chemical fertilisers, pesticides and use of plastics. There is also need for reorienting lending policies giving thrust to micro and small enterprises along the agricultural value chains and managing unique risks in agricultural lending. The approach to financing rural households should undergo a change. Rural households today are complex economic entities engaged in a variety of farm and non-farm activities. The present practice of crop based or activity based lending very often does not suit their requirements. Banks need to develop composite loan products based on overall development potential and income generating capacity to finance them. This will help them to avoid cumbersome documentation process and difficulties in meeting collateral needs of different agencies and will also save high transaction cost in availing credit from multiple agencies.

It is also observed that some of the important long term financial needs of rural households are ignored by institutions in the formal credit system. Financing life events like marriage is one such purpose placed in the negative list by financing institutions. Consequently, households have to meet such high expenditure out of informal borrowings and even by diverting institutional credit availed for other purposes. A provision for long term financing of life events within the repaying capacity and collateral support will help rural households to manage such expenses from their future income and reduce dependence on non-institutional debt. Presently, a significant portion of rural household debts come from informal sources. Non institutional debt is a major hurdle in improving their financial conditions. Conversion of non institutional credit to

institutional credit, therefore, need to be included as an approved purpose for long term finance and refinance. NABARD also should refinance education loans of ARDBs, as farmers who have pledged their land to these banks are unable to avail education loan for their children from other agencies.

Limited availability of long term funds continues to be a major constraint for lending institutions to expand their investment portfolio in the farm sector. Presently, NABARD is the main source of funds for long term financing of agriculture. However, NABARD's funding support to ARDBs has drastically come down in recent years due to stringent eligibility conditions including Govt guarantee. The refinance policies of NABARD needs to be changed to remove the condition of government guarantee. Similarly, there is a need for strengthening agricultural finance market in India. A striking feature of long term debt market of India is the absence of instruments linked to agricultural financing. The long term debt market is dominated by Govt securities and a handful of investors comprising of banks, financial institutions, mutual funds, EPFO, insurance companies and a few big corporates. The size of long term debt market is also small, at about 16% of GDP compared to 80-100% of GDP in developed countries. The long term securities market is regulated by RBI and SEBI. RBI regulates Govt securities while SEBI regulates the corporate securities. Presently, the long term debt market is inaccessible to cooperatives even for their bonds and debentures guaranteed by State Govt. The debt market needs reforms to increase availability of long term funds for agricultural lending and to facilitate access to cooperatives. The size of the market also needs to be enlarged by giving access to individual retail investors.

(I) Expanding scope of diversification of activities of LTCCS

The main objectives of diversification of activities by ARDBs are the following:-

Meeting the diverse credit needs of members

- The members of ARDBs avail long term loans mostly on the security of land. For most of the farmers, land is the only asset on which they can raise a debt. When land is mortgaged with the ARDB, these farmers generally are unable to avail credit from other institutional sources. Hence the prime objective of diversification of lending activities by SCARDBs is to meet the unmet credit needs of their members both for agricultural and non- agricultural purposes including short term loans.
- Viable business level and profitable working. Diversification also includes undertaking activities directly by ARDBs for the common benefit of members as well as to achieve viable business levels for profitable working. Undertaking non-credit multi services activities like storage, processing, marketing, transportation and leasing of machinery and equipment come under this category.

Presently, expansion and diversification of activities of SCARDBs are constrained by

- (i) Paucity of resources and
- (ii) Limited range of loan products eligible for refinance.

EXPANDING LOAN PRODUCTS

While retaining the focus on long term lending for agriculture and rural development ARDBs need to diversify loan products to following areas.

1. Developing irrigation infrastructure

Out of total area of 13.9 million hectares under cultivation, area under irrigation is only about 7 million hectares. India achieved remarkable progress in irrigation in the last 8 years by bringing an additional area of 2 million hectares under irrigation. However, almost 50% of total cultivable land area of 14 million hectares still remain unirrigated.

Developing irrigation infrastructure in rainfed farming areas occupy high priority for realising the objective of doubling farmers' income in every five years. Similarly, due to increasing scarcity of water, the thrust in irrigation development has been shifted to water and energy saving micro irrigation systems which are more capital intensive than traditional irrigation systems.

2. Commercial farming systems

Commercial farming systems need to be promoted throughout the country catering to both domestic and export markets which require high capital investments. ARDBs have huge potential for developing commercial farming systems in the vast stretches of land (about 65 lakh hectares) taken as mortgage for outstanding long term loans.

3. Upgrading farm infrastructure

The need for replacement/renovation of worn out farm assets and emerging demand and technology driven development potential on a continuous basis offer almost unlimited scope for long term lending in agriculture and rural sectors.

Long term credit to agriculture needs to be increased by three times from above ₹2.5 crore lakh at present out of total agricultural credit of ₹16 lakh crore to maintain atleast 50% share, in the total agricultural credit.

4. Agricultural value chain financing including storage, processing, transportation and marketing of agricultural produce.

5. Household financing

Rural households undertake a variety of economic activities in farm and non-farm sectors requiring both long term and short term financial support. The present practice of crop based or activity based lending generally fails to view rural household as a diverse economic entity. Devising tailor-made composite loan products for the household based on its development potential and income generation capacity in its various areas of engagement will help them to avoid cumbersome documentation process and difficulties in meeting collateral needs of different agencies and will also save them high transaction cost involved in availing credit from multiple agencies.

6. Shifting non institutional credit to institutional credit

A significant portion of rural household debts come from informal sources. Non institutional debt is a major hurdle in improving the financial condition of rural households. Conversion of non institutional credit to institutional credit, therefore, may be included as an approved purpose for long term finance and refinance.

7. Financing life events

Financing life events like marriage is an important expenditure for rural households. Presently, such high expenditures are met out of informal borrowings and even by diverting institutional credit availed for other approved purposes. A provision for long term financing of life events within the repaying capacity and collateral support

will help rural households to manage such expenses from their future income and also will curb the practice of diverting loans taken for other purposes. Life event financing can also be linked to saving schemes, to reduce repayment burden

8. Financing education and skill development

Kerala SCARDB is advancing education loan in a limited way out of own funds. There is high demand for education loan from rural households especially for studies in foreign universities. It is proposed that education loan to rural households should be an approved purpose for NABARD's refinance. Similarly, education loan interest subvention scheme of Central Govt needs to be extended to ARDBs also.

LONG TERM FINANCE IN STATES WHERE ARDB STRUCTURE DOES NOT EXIST

It is proposed that a multi-state ARDB may be established to cater to long term finance needs of States where ARDBs do not exist.

FUNDING SUPPORT

1. NABARD needs to substantially increase funding support to ARDBs to meet growing demand for long term finance from their members. However, the condition of govt guarantee for availing refinance is a major hurdle to increase drawal of refinance from NABARD. An amendment in NABARD Act is required to **introduce a new additional refinance product for ARDBs based on their financial strength and performance without govt guarantee.**
2. Creation of a separate fund with a corpus of ₹10000 crore with NABARD for low cost

funding support for expanding activities of SCARDBs.

3. Steps needs to be taken to bring down the cost of funds of NCDC at affordable rates for cooperatives including ARDBs.
4. The proposal regarding framing norms by RBI for giving banking licence to ARDBs needs to be expedited.

(II) Joint Finance System for DCCBs and LTCCS

DCCBs by definition given in NABARD Act is the principal cooperative society in the district. Hence, membership of DCCB includes all cooperatives in the district. PCARDBs in the district are also members of DCCB and are legally entitled to avail loans and other facilities offered by DCCBs.

SCBs/DCCBs are the channelizing agency for crop loans funded by SAO refinance of NABARD. Presently, DCCBs advance crop loans only through PACSs. The borrowers of ARDBs generally face difficulty in accessing crop loans from other agencies as their land is already mortgaged to ARDB. Though collateral is not required for crop loans upto ₹3 lakhs banks and even PACSs generally do not finance farmers who have outstanding loans with other agencies on the security of land. Moreover, farmers prefer getting crop loans also from the same agency to avoid the hassles of dealing with multiple agencies. Hence, it is proposed that DCCBs may open a separate line of credit to PCARDBs in the district for channelizing crop loans to their members. Similarly, unitary SCARDBs which are also members of SCBs may be given a line of credit by SCBs for crop loans.

To facilitate the above arrangement, it is proposed

that NABARD may make special allocations of SAO refinance to DCCBs and SCBs concerned which are earmarked for PCARDBs/unitary SCARDBs.

Collaboration between LTCCS and STCCS in long term finance

Presently, SCBs and SCARDBs are getting separate allocations of refinance from NABARD for advancing long term finance to farmers and other rural sections. SCBs channelize long term finance through DCCBs and PACS while federal SCARDBs channelize it through PCARDBs and unitary SCARDBs lend directly to farmers through its branches.

While SCBs with scheduled status are getting NABARD's refinance without govt guarantee, SCARDBs irrespective of their financial strength and performance have to arrange State Govt guarantee for drawing NABARD's refinance. Because of the difficulties in obtaining govt guarantee to the extent required, there has been very little growth in the availment of NABARD's refinance by SCARDBs in the last two decades.

SCBs on the other hand are eligible for unrestricted drawal of refinance from NABARD. However, SCBs in general also did not register much growth in availing NABARD's refinance due to deficiencies in the loan system of PACS which are the channelizing agency at ground level, to meet the requirement of mortgage loans for longer tenure as their loan system is tuned mainly to advancing and recovering short term and medium term (conversion) loans.

In view of the ground realities as above, the following suggestions are made with respect to collaboration between STCCS and LTCCS in long term finance.

1. PCARDBs may continue to be the delivery point for long term finance to the extent available through SCARDBs.
2. PCARDBs may also act as Business Correspondents of DCCBs for long term finance in areas where PACS are unable to undertake long term financing to meet the entire demand in that area.
3. NABARD may set up a common technical cell for long term finance at district level for LTCCS and DCCBs for strengthening technical support and guidance to both ARDBs and PACS.

Study Group on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs

The Ministry of Cooperation has constituted a high level Study Team on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs with the following terms of reference.

Terms of Reference.

1. To study working of ARDBs in different States, identify structural and functional issues, challenges being faced and suggest legal, policy and other reforms to attend the same; compare good practices vis a vis international models.
2. To suggest measures for expansion of the business portfolios of SCARDBs & PCARDBs including capacity building of manpower for better loan appraisal skills.
3. To suggest innovative methods, procedures, practices, technology etc., with adoption of which ARDBs (non-deposit taking entities at present) can become self-sustaining and vibrant institutions.
4. Assess the IT requirement and suggest

implementable action plan for computerisation of ARDBs.

5. Analyse the feasibility of developing ARDBs as dedicated institutions for financing Agri-value chain infrastructure and post-harvest infrastructure including working capital requirements if required in consortium arrangement with StCBs/ Others.

The Study Team has visited Federation's office on 3rd March 2023 for interactions with functionaries in the Federation's secretariat and also had online discussion with office bearers of the Federation on various points in its terms of reference. The Study Team also has scheduled visit to all SCARDBs, concerned State Govts and NABARD ROs during March-April 2023 and shall be submitting its report within three months. It is expected that the report of the Study Team will be the basis for formulating a revival plan for Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

National Level Committee for Drafting the New National Cooperative Policy Document

Government of India, Ministry of Cooperation has constituted a National Level Committee under the chairmanship of Shri Suresh Prabhu, MP & Ex. Union Minister for drafting the new National Cooperation Policy Document in which Managing Director of the Federation also included as a Member.

The Committee has already prepared its draft report which is expected to be finalised and announced shortly.

Proposal for amending Multi State Cooperative Societies Act

The Ministry of Cooperation had circulated the draft

Bill for amending Multi State Cooperative Societies Act 2002 and requested all national federations to submit their views on the same.

Following are the major amendments to Multi State Cooperative Societies Act proposed in the Bill.

- 1) Constitution of Election Authority for conducting elections to Multi State Cooperative Societies.
- 2) Including provision for merger and division of Multi State Cooperative Societies based on a resolution by the General Body adopted at least by two third of members present.
- 3) Giving powers to the Central Govt for giving directions to the Board of Multi State Cooperative Societies in which Govt has majority shareholding or where the Govt has given loans, grants etc.
- 4) Redemption of shares contributed by Govt or other Govt agencies can be redeemed only with the approval of such authorities concerned.
- 5) Number of directors in the Board shall be maximum 21 of which one member shall be from SC/ST and two members shall be women.
- 6) To constitute Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund, out of contributions by profit making multi state cooperative societies @ 1% of their net profits for revival of sick multi state cooperative societies.
- 7) Appointment of cooperative ombudsman by the Central Govt with territorial jurisdiction for redressal of complaints.
- 8) The staff pattern and recruitment in multi-state

cooperative societies shall be subject to such rules as may be prescribed by Central Govt.

- 9) Cooperative Education Fund created out of 1% of net profits of multi state cooperative societies shall be maintained by Central Govt and will be used for cooperative education and training through National Cooperative Union of India or any other agency as decided by the Central Govt.

The Federation had submitted its views on the proposed amendments, some of which dilute the autonomy and independence of cooperatives. The Bill which was presented in the Parliament in December 2022 was referred to a Joint Committee of Parliament for detailed examination and also consultation with various stakeholders. The Joint Committee had detailed discussions with national federations including NAFCARD and submitted its report by and large endorsing the amendments as per the original Bill.

National Database on Cooperatives Background

The Ministry of Cooperation, Govt of India had organized the Stakeholder's Consultation Meeting on National Cooperative Database on 23rd September 2022 which was participated by officials from central ministries, senior officials from state governments, representatives from Federations, national institutes and experts in the field of cooperation. In that Meeting, Shri Abhay Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of Cooperation, set the context of the meeting by sharing relevance of creating an "All India National Cooperative Database" through a Presentation, in which all participants were made aware of the database, how it can be helpful to understand the

contributions of the cooperatives in Indian Economy and help in benchmarking within and across the cooperative sector.

The Secretary, Cooperation, shared the idea behind developing the database which is essentially for planning and understanding the ground realities of the cooperative sector spread across the geographies and the economy. The idea was that the database can be a platform where the data can be fed by the cooperative societies themselves and the respective Registrars or Federations may validate them.

In this context, Ministry of Cooperation, Govt of India had requested NABARD to share the Templates of the data collection from different sectors. Following were the major takeaways from the First Consultative Meeting on National Cooperative Database.

- National Cooperative Database is extremely important to strengthen the cooperative sector
- Data is available mostly with RCS, different federations like, NABARD, RBI and many more, therefore cooperation between the stakeholders is very important to create the national database.
- The various steps have been taken by agencies, state government departments, NABARD to collect data has to be taken into account and APIs have to be created to import data from these stakeholders.
- Looking at the diversity of the cooperative sectors and partial availability of data in some sectors, common parameters have to be developed for all the societies taking into account sectoral differences.

- The mechanism of data entry also has to be established.
- There were many other issues raised by all the stakeholders and Ministry will look into each of them.

Further to the above, the Secretary, Ministry of Cooperation, also recommended segregation of action points for collecting sector-specific details which should be from the primary source and linking of all the databases to avoid duplication.

Based on the discussions in the Consultative Meeting, the following decisions were communicated to the stakeholders.

1. The data base may be created on a platform which can be linked to different data systems of the government.
2. Data may be provided through primary source i.e. cooperatives itself may fill up the data form. It may be validated at higher level by the office of Registrar or appropriate offices/Federations etc.
3. States may share the forms, if any, in which data is being maintained at present.
4. All registering authorities of the cooperatives may list their Acts under which registration is done to VAMNICOM for preparing a list. These Acts may be used on drop down menu in the data base.

Subsequently, Ministry of Cooperation organised a Workshop for Credit Sector in August 2022 and requested the federation to nominate suitable officers from the Federation and member banks. At the request of the Federation, representatives from Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and Gujarat SCARDBs participated in the Workshop apart from

Chief Director and another staff from the Federation.

The objective of the workshop were as follows :

- a) To suggest sector-specific fields/ parameters of Credit Sector need to be incorporated in the proposed National Cooperative Databases.
- b) Availability of cooperative data at different levels (Primary Cooperative to National Federations), its structure, format and magnitude.
- c) The procedures of fetching data, its validation, frequency and modalities involved, including role of Federations and Unions.

Presently, the Ministry is in the process of building up database of National Federations for which the Federation has already submitted details as per prescribed format.

In furtherance of the National Cooperative Database, the Second Meeting of the Advisory Committee on database was held on 27 December 2022 in hybrid mode to discuss on inputs/feedback for finalization of the Draft Template, which was attended by Managing Director, NAFCARD.

Business Development Plans of ARDBs

Federation has issued detailed guidelines to SCARDBs for preparing their Business Development Plan (BDP) for the next 5 years as also during Amrit Kaal till 2047-48 with 5 year milestone targets for key operational areas. The BDP will contain growth targets in key functional areas of credit and non credit businesses. Resource mobilization, loan recovery and NPA reduction, network expansion, membership expansion and augmenting share of ARDBs in rural

lending. The BDP projections shall also be supported by action plans for computerization and digitization, augmenting resource mobilization covering NABARD's refinance by improving rating score in risk assessment, intensifying deposit mobilization, Recovery Action Plan, upgrading human resources in terms of quality and quantity with focus on appraisal and loan follow-up and recovery skills.

SCARDBs are instructed to formulate and forward their BDPs in April 2023.

Banking licence to ARDBs

The Secretary, Ministry of Cooperation, convened a Meeting on 6.12.2022 with RBI, NABARD and representatives of the Federation and Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. on the proposal regarding framing of norms for giving banking license to SCARDBs.

The Secretary, Ministry of Cooperation, who chaired the meeting said that the reference made by RBI to the guidelines for on tap licensing for Small Finance Banks in the private sector, in the context of the proposal of Gujarat SCARD Bank for grant of license is not relevant. Government as a policy does not support conversion of a cooperative society into a private company. The Secretary, therefore, requested RBI to re-examine the request of Gujarat SCARDB within the ambit of the concerned Cooperative law.

DMD, NABARD suggested examining the possibility of giving banking license to SCARDBs in line with the structure of DCCBs and TAICO Bank of Tamil Nadu.

CGM, RBI who represented RBI in the meeting said that RBI has already set up a committee to examine issues faced by Cooperatives and that the concerns

raised in the meeting will be conveyed to the Central Office for an appropriate resolution within the ambit of RBI Act.

Views of the Federation on the issue of banking license

The Federation in its letter dt. 4th October 2022, addressed to the Secretary, Ministry of Cooperation, Govt of India, conveyed its views of the issue of banking license to ARDBs.

The Federation in the above letter suggested issuing of banking license to SCARDBs as a 'Primary Cooperative Bank'. Presently, the Primary cooperative bank license is given only in urban areas and therefore, primary cooperative banks are alternatively called as Urban Cooperative Banks. Federation has suggested license to SCARDBs as Primary Cooperative Banks in the rural sector and may be called as Rural Cooperative Banks as against Urban Cooperative Banks. The Ministry of Cooperation has also supported this view and suggested to RBI to frame norms for licensing SCARDBs as Primary Cooperative banks in the rural sector. The Federation has also pointed out that at present, the SCARDBs are unable to move a formal application to RBI for banking license through Registrar of Cooperative Societies, as licensing of Primary Cooperative banks is freezed by RBI since 2004. RBI, therefore, needs to reopen licensing for Primary Cooperative banks and also frame norms for giving banking license to SCARDBs as Primary Cooperative Banks.

Benefits of Banking License to ARDBs

Presently, ARDBs are facing a number of hurdles in their operations, as below:

- 1) Lack of permission to raise resources for lending from public as well as from the market.

- 2) Lack of insurance coverage for deposits.
- 3) Credit linked interest subvention schemes of Govt of India including crop loan interest subvention scheme, are not extended to ARDBs.
- 4) Not eligible for Debt Recovery under SARFAESI Act also through National Asset Reconstruction Agency being set up by Govt. of India.
- 5) Not eligible for CIBIL TransUnion membership. CIBIL TransUnion membership will substantially improve loan repayment as defaults in ARDBs will reflect in the credit score reports of loan applicants of banks or financial institutions.
- 6) Banking license will help to raise short term funds as deposits at a lower cost than borrowings.
- 7) Banking license will help to extend various financial services including fund transfers and remittances facility, credit card facility, offering savings products etc. along with credit.
- 8) Banking license will also help ARDBs to achieve business expansion and diversification and maintain viable business levels and also improve standards of governance, financial discipline and professionalism as part of regulatory compliance.

Licensing of Federal SCARDBs

A Federal SCARDB operates through affiliated

PCARDBs at ground level. Since PCARDBs are independent entities, SCARDB after getting a banking license cannot extend banking services through PCARDBs. To extend banking services the SCARDB should either open its own branches or convert itself into unitary SCARDB. Conversion into unitary SCARDB after getting the banking license may involve cumbersome procedure as it would amount to amalgamation of PCARDBs which are non-banking institutions with a banking institution. A better option in this scenario would be conversion of federal SCARDB into unitary structure before applying for banking license.

Union Budget 2023-24 and Cooperatives

'Sahakar Se Samridhi' and inclusive growth through cooperatives are among the major themes of Union Budget 2023-24. The budget contains a number of proposals to enhance the role of cooperatives in accelerating economic growth and improving living conditions of farmers and other poorer sections through the medium of cooperatives.

The Govt proposes to build up massive decentralised storage capacity at village level cooperatives which will help farmers to store their produce after harvesting and sell at an appropriate time to maximise returns. Cooperative warehousing also facilitates farmers to raise loans from the cooperative society against warehouse receipts to meet their immediate cash requirements instead of selling the produce during harvesting season when the prices are at the lowest.

The Govt will facilitate setting up of multipurpose cooperative societies as well as dairy and fishery

societies in all uncovered panchayats and villages across the nation. The multipurpose societies will be equipped to undertake a variety of non-credit activities as well, including warehousing, supply of inputs, processing of agricultural produce, owning and leasing of equipment and machinery, running supermarkets etc., as per requirements of members. The Govt has already circulated common byelaws for PACS to become multipurpose societies and approved a scheme for computerising all existing PACS at a cost of ₹2516 crore. The Govt has also created a National Cooperative Database for mapping of cooperatives and their activities. These initiatives will result in increasing the number of village level multipurpose cooperatives from 63000 at present to nearly 3 lakhs within the next five years and thereby creating of millions of jobs in rural sector in the businesses undertaken by these societies. The societies will also benefit farmers directly by making available substantially higher returns for their produce.

The budget also announced a number of changes in the IT Act to benefit cooperatives and to improve ease of doing business by cooperatives. The new cooperative manufacturing activities during financial year 2023-24 will get the benefit of lower tax rate of 15% as applicable to the manufacturing units registered under Companies Act.

The cash transaction limit between a Primary Agricultural Credit Society (PACS) or Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Bank (PCARDBs) and their members has also been increased from ₹ 20000 to ₹ 2 lakhs. This will facilitate members to make deposits or loan repayments upto ₹2 lakhs in cash and also the cooperative society to disburse loans upto ₹2 lakhs

in cash. These changes in IT rules will be a big boost to the deposit schemes and loan recovery of Primary Agricultural Credit Societies and Cooperative Agriculture & Rural Development Banks. TDS exemption limit under section 194(N) for cash withdrawal by cooperatives have also been increased to ₹3 crores.

The budget also provides a big financial relief to sugar cooperatives by converting all their outstanding tax dues prior to assessment year 2016-17 as expenditure which effectively nullify their entire tax liabilities upto financial year 2015-16. The aggregate amount of tax relief to the sugar sector under this package is estimated at ₹10000 crore.

The formation of the Ministry of Cooperation in July 2021 under the visionary leadership of Hon'ble Union Minister Shri Amit Shah and the slew of measures taken by the Ministry in the short span of 1½ years, as reflected in the last two union budgets will help the cooperative movement to take central stage in Indian economy and Indian transformation.

On-line Meetings during 2022-23 - NCARDBF

1. Federation organized a Webinar – Redesigning Deposit Schemes of ARDBs for Chairmen and CEOs of Member banks on **7th June 2022**.
2. On-line meeting with Chairmen and CEOs of member banks on **7th July 2022** to finalise arrangements in connection with conducting National Conference of ARDBs 2022 on 16 July 2022.
3. Online meeting on Computerization of ARDBs on **5th December 2022** with Chairmen and

CEOs of member banks to discuss the scheme and arrangements regarding submission of information sought by NABARD.

4. Online meeting with Chairmen and CEOs of member banks on **3rd February 2023** to discuss latest developments regarding revival initiatives for LTCCS taken by the MOC.
5. Ministry of Cooperation has constituted a Study Team through NABCONS, the Consultancy Services of NABARD to undertake a study on “Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs” and to suggest measures to revive ARDBs in various states. The study team visited Federation’s office on **3rd March 2023** and held discussions with the officials of Federation on their Terms of Reference (ToR) and held interactions with office bearers of the Federation, virtually.

Social Media Outreach by National Cooperative Federations

The Ministry of Cooperation is taking various measures to increase social media outreach of cooperatives for improving communications within and outside organizations and also to enhance the visibility of cooperatives. Ministry of Cooperation has convened a series of meetings in this regard and guidelines have been issued to the Federations to open Social Media Accounts and maintain the same with regular postings and also to take necessary steps to increase the followership of social media accounts.

Action Plan for achieving targets decided by the Federation as proposed and communicated to member banks, as below:-

- 1) Designating an Officer by each SCARDB for handling social media subject.

- 2) Forwarding on a weekly basis State level events, reports, photographs, video etc. by member banks to the Federation to prepare contents for posting in the Social Media platforms. The news, reports, videos may relate to sectoral news as well as relating to other subjects relevant to the sector.
- 3) Forwarding the links of Social Media Accounts to affiliated cooperatives for facilitating maximum followership of the staff and members, especially borrowing members.
- 4) Request officers, staff and Directors of the bank to follow the links for latest developments in the sector.
- 5) Federation to prepare weekly contents relating to developments at national level relevant to the sector and posting the same on a weekly basis.
- 6) Federation has opened a WhatsApp Group for Social Media Coordinators for posting the contents from their States, which will be posted in the Social Media Accounts by the Federation.

Social Media Account Names and profile URL–

1. Facebook Account

Name : nafcard.coop
 Username : NAFCARD.COOP
 Profile URL :
<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

2. Instagram Account

Name : NAFCARD.COOP
 Username : nafcard.coop
 Profile URL :
<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

3. YouTube Account

Name : NAFCARD WORLD
 Username : @nafcard_world
 Profile URL :
https://www.youtube.com/@nafcard_world

Important Meetings during the year

1. Joint Meeting of NABARD, NAFCARD & MOC on **17 August 2022**, to deliberate on the recommendations of National Conference of ARDBs.
 - Attended by Chairman & M.D. of Federation
2. MoC organized Sector-specific Workshop on National Cooperative Database on **26 August 2022** at LINAC, Gurgaon, Haryana
 - 5 Officers from member banks including 2 officers from Federation attended the Workshop.
3. Second Meeting to deliberate upon the Recommendations of the National Conference of ARDBs on **28 Sept., 2022**
 - M.D. Fed attended.
4. The First meeting of the Committee formed to draft the New Cooperation policy held at VAMNICOM Pune under the Chairmanship of Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Ex-union Minister on **3rd October 2022**.
5. Meeting under the Chairmanship of Secretary, MOC on **19 October 2022** 'Strategy for dissemination of information through Social Media Outreach in the Cooperative sector'.
6. Meeting with IT & PR officials of National Cooperative Federations regarding Social Media Outreach held under the Chairmanship of Director (IT), MoC on **3rd November 2022** at New Delhi.

7. Meeting MOC, GoI with the representatives of NABARD and NAFCARD **on 18 November 2022** at New Delhi regarding Computerization of ARDBs.
8. Meeting under the Chairmanship of Secretary, MoC **on 23 November 2022** to deliberate on strengthening of Cooperative Movement in the country & deepening its reach upto the grassroots by increasing the range, depth and reach of social media, periodic publications etc. brought out by the National Cooperative Federations/Societies.
9. Drafting of the New National Cooperation Policy – Meeting of National Level Cooperative Federations **on 25 November 2022** (Hybrid).
10. First Meeting of the Advisory Committee on National Cooperative Database under the Chairmanship of Addl. Secretary (Cooperation) & CRCS **on 25 November 2022** to discuss the issues related to Phase-I of National Cooperative Database (hybrid) Federation's representative Shri Kanwaljit Singh Rana, System Analyst attended.
11. Managing Director and Chief Director, Federation had a meeting with Shri K.V. Shaji, Chairman (then DMD), NABARD **on 29th November 2022** regarding the decision taken in the online meeting on Computerization of ARDBs.
12. Shri K.K. Ravindran, Managing Director attended the online Meeting of Sub-Committee on Theme II, of Drafting Committee of New National Cooperation Policy held **on 5th December 2022**.
13. Second Meeting of the Advisory Committee on National Cooperative Database **on 21 Dec. 2022** (hybrid) under the Chairmanship of Addl. Secretary (Cooperation) & CRCS to discuss inputs/feedbacks received from National Coop. Societies/Federations to draft Template circulated by MoC for finalizing data fields to be captured under Phase-I of National Coop. Database.
14. Meeting by Secretary, MoC, GoI **on 6.12.2022** to deliberate on the issues related to Banking License to Gujarat SCARDB and ARDBs.
15. Chairman and Managing Director of the Federation had a meeting with Shri K.V. Shaji, Chairman NABARD **on 28 December 2022** regarding computerization of ARDBs at NABARD H.O.
16. Meeting on National Cooperation Policy in the Office of Hon'ble Home and Cooperation Minister **on 12.1.2023**, New Delhi
17. Meeting under the Chairmanship of Secretary (Coopn.) to discuss on Computerization of ARDBs **on 20.01.2023** at New Delhi.
18. Meeting under the Chairmanship of Secretary (Coopn) **on 20 January 2023** for the wide dissemination of info rmation regarding establishment of the 3 New Coop. Societies under MSCS Act 2022.
19. Meeting on Compliance with Section 24 and related Provisions of the MSCS Act 2002 **on 23 January 2023**.
20. Meeting regarding Inputs for Annual Report-2022-23 of Ministry of Cooperation **on 10th February 2023**.
21. Joint Meeting on MSCS (Amendments) Bill 2022 **on 13 February 2023** – Oral Evidence

of Experts in connection with the examination of the MSCS (Amendment) Bill, 2022.

22. Budget Webinar organized on the Sub-Committee 'Sahakar Se Samridhhi' on **24.2.2023** which was inaugurated by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi.
- Chairmen & CEOs of the Member banks also participated in this Budget Webinar.

Planning, Research and Development (PRD) Cell Activities during 2022-23

(A) CONFERENCES, TRAINING PROGRAMMES, WORKSHOPS, SEMINARS & STUDIES

(1) National Conference of ARDBs 2022

The Federation in collaboration with the Ministry of Cooperation organized National Conference of ARDBs 2022 on 16 July 2022 in New Delhi which was graced by Shri Amit Shah Ji, Hon'ble Union Home Minister & Cooperation Minister as Chief Guest and Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State for Cooperation, Govt of India and other important dignitaries from Govt and cooperative movement and related organisation as Guests of Honour. The inaugural session of the Conference on 16 July was followed by technical session on 'Roadmap for reviving of Long Term Rural Cooperative Credit Structure', in the afternoon. Hon'ble Union Minister of Home & Cooperation in his address made a number of valuable observations about the existing institutional arrangement for advancing long term loans to farmers including NABARD, ARDBs and the Federation. Similarly, eminent experts on the subject who spoke in the technical session and the delegates including senior functionaries of ARDBs made a number of suggestions on reviving and strengthening the Long Term Rural Cooperative Credit Structure (LTRCCS).

(2) Training Programme on 'Internal Reforms in LTCCS'

Background & Objectives

Federation in the last few years has been focusing on internal reforms in the Long Term Rural Cooperative Credit Structure, including revamping recovery and NPA management system, expanding avenues for raising resources particularly through deposit mobilization and reorienting loan policies and systems for increasing outreach and improving quality of lending. However, it is seen that the adoption rate of suggested reforms is not picking up at desired level due to lack of sensitization of key personnel at ground level particularly in the federal structure. The objective of this training programme on the above background is to prepare key personnel of the structure including concerned executives in the Head Office and controlling officers as well as branch managers of unitary SCARDBs and Secretaries of PCARDBs in the federal structure to implement suggested reforms effectively.

On the above background, the Federation organized the training programme on Internal Reforms in LTCCS for CEOs of PCARDBs and Senior Officials of Karnataka SCARDB during 8th – 10th December 2022 at NIRB, Bengaluru. 27 Officials from Karnataka SCARDB were participated in the training programme. 3 more Programmes are scheduled in the month of March 2023.

(3) Study Visit to Kerala SCARDB for senior functionaries of SCARDBs in other States

Kerala SCARDB over the years has become a model for their counterparts in other states in tackling the structural and functional deficiencies associated

with the design of LTCCS as non-resource based lending agency for offering only a single product. Through continuous innovations and reforms, the Kerala SCARDB today offers a wide range of credit and financial services to meet the entire financial services needs of their members. The Ministry of Cooperation has taken special note of the success and good practices of Kerala SCARDB in the areas of lending, recovery and resource mobilization and suggested that SCARDBs in other States should study and try to replicate this model for business expansion and achieving long term sustainability.

With the above objective in mind, Federation organised a study visit programme to Kerala during 14-18 December 2022. 20 Officials from 3 member banks viz. Rajasthan RSBVB, Punjab SCADB and Gujarat SCARDB were actively participated in this training programme which will help the Bank to improve its functioning including business diversification and loan recovery.

(B) CORE GROUP FOR REFORM INITIATIVES (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives (CGRI) constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

(C) PUBLICATIONS

Land Bank Journal

Federation publishes Land Bank Journal since 1962. Journal publishes research articles and news on Agriculture Rural Credit and Cooperation. We also cover important events in the sector and reports on activities of member banks in the publication. Land Bank Journal Issues of March 2022, June 2022, September 2022, December 2022 and March 2023 are published during 2022-23. It has been decided to convert Land Bank Journal into a monthly newsletter from 1st April 2023, which shall be republished in regional languages, on bi-monthly basis.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system in order to remove the delay in getting ground level data. The Annual Statistical Bulletin for the year 2020-21 is published and circulated.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. The Monthly Progress Reports for the months from January 2022 to January 2023 are circulated.

AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, as Federation's representative to NCUI is a member of its Governing Council and Vice President.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. Shri Dolar Kotecha, Chairman of the Federation was nominated to the General Meeting of COBI and is also an elected member on the Board of COBI.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body and Board of NAFFAC.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation (ISSC)
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

Managing Director, Federation is a member of General Council of CICTAB.

At International level

• **International Cooperative Alliance (ICA)**

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with various Committees of ICA.

Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in ICA General Assembly & Regional Assembly.

Shri K.K. Ravindran, Managing Director was elected as Chairman of ICA AP Committee on Banking and Credit in the ICA AP General Assembly held in Seoul, South Korea in November 2019.

• **International Raiffeisen Union (IRU)**

Federation is a member of IRU. Shri Dolar Kotecha, Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Puducherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

Board of Management

As per Byelaw No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 19 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Dolar Kotecha Chairman	Gujarat State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
3.	Shri Moinul Hassan Vice Chairman	West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd
4.	Shri R. Parimelazhagan Vice Chairman	Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
5.	Shri Suresh Kumar Goyal Vice Chairman	Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.
6.	Dr Bijender Singh	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
7.	Shri Bijay Kumar Singh	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd (Bihar-Jharkhand)
8.	Shri A.R. Shivaram	Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
9.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri W.K. Kyndiah	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
11.	Shri Sanjay Singh Chauhan	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
12.	Shri K. Sivadasan Nair	Co-opted
13.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director, NCARDB Federation

Executive Committee

As per Byelaw No.26 (a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- 1. Shri Dolar Kotecha**, Chairman
(Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 2. Shri Konduru Ravinder Rao**, Vice Chairman
(Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.)
- 3. Shri Moinul Hassan**, Vice Chairman
(West Bengal State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 4. Shri R. Parimelazhagan**, Vice Chairman
(Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- 5. Shri Suresh Kumar Goyal**, Vice Chairman
(Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.)

6. **Dr. Bijender Singh** (President, Delhi State Cooperative Bank Ltd.)
7. **Shri Dalip Singh Yadav** (Director, Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
8. **Shri W.K. Kyndiah,** (Chairman, Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)
9. **Shri A.R. Shivram,** (Director, Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
10. **Shri K.K. Ravindran,** Managing Director, NCARDBF

Administrative Committee

As per Byelaw No. 27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as of 31/3/2023.

- (1) **Shri Dolar Kotecha,** Chairman
- (2) **Shri K. Ravinder Rao,** Vice Chairman
- (3) **Shri Moinul Hassan,** Vice Chairman
- (4) **Shri R. Parimelazhagan,** Vice Chairman
- (5) **Shri Suresh Kumar Goyal,** Vice Chairman
- (6) **Shri K.K. Ravindran,** Managing Director

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2022-23

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Body Meeting	Mumbai	26 September 2022
(b) Special General Body Meeting (Election of Board & Office Bearers)	Mumbai	27 March 2023
(c) Board of Management		
167th Board	New Delhi	11 April 2022
168th Board	New Delhi (Hybrid)	11 July 2022
169th Board	Mumbai	26 September 2022
170th Board	Ahmedabad (Gujarat)	24 January 2023
(d) Executive Committee	Ahmedabad (Gujarat)	24 January 2023

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business

operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Internal Initiatives for Revival.
- 2) Agriculture and Cooperation in Union Budget 2022-23

- 3) Public contact programme of ARDBs as part of Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM)
- 4) Seminar on National Policy on Cooperatives – Recommendations.
- 5) Concept Paper on Collateral Free Credit Guarantee Scheme for cooperatives (CGSC)
- 6) Concept Note on National Cooperative Education and Training Scheme.
- 7) National Conference of ARDBs 2022- Major Recommendations
- 8) Proposal for Computerization of ARDBs
- 9) Business Plan of the Federation
- 10) Minutes of the meeting held on 17 August 2022 with NCARDBF and NABARD
- 11) Proposal for amending Multi State Cooperative Societies Act 2002
- 12) Constitution of National Level Committee for drafting the New National Cooperation Policy Document.
- 13) Training programme on Internal Reforms in LTCCS
- 14) The Calendar of Programme for the financial year 2022-23
- 15) Inter-State study Visit on Loan Recovery & Business Diversification – Guidelines issued by NCUI under CEF assistance.
- 16) Sharing of expenses of National Conference of ARDBs 2022 held on 16 July 2022 at New Delhi
- 17) Computerization of ARDBs - Status
- 18) Joint Meeting of NABARD, NAFCARD and Ministry of Cooperation to deliberate on the recommendations of National Conference of ARDBs 2022
- 19) Banking License to ARDBs
- 20) Social Media Outreach to National Cooperative Federations
- 21) Monthly Newsletters
- 22) Compliance with Section 24 & related Provisions of MSCS Act, 2002
- 23) Drafting of the New National Cooperation Policy
- 24) Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022
- 25) Points raised by Hon'ble Union Home and Cooperation Minister during his speeches.
- 26) On-boarding of Multi State Cooperative Societies on GEM as "Sellers"
- 27) National Database on Cooperatives
- 28) Review of Performance by fully Functional SCARDBs under Key operational areas during 2022-23 (April 2022 – November 2022)

FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2022-23 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr.No.	ASSETS	As	
		31.3.23	31.3.22			31.3.23	31.3.22
1.	Reserves & Other Funds	2247.47	2260.56	1.	Cash & Bank Balances	1.47	3.34
2.	Secured Loans	8.87	15.53	2.	Investments	1933.04	2005.11
3.	Other Liabilities & Provisions	132.00	190.67	3.	Fixed Assets	212.93	217.51
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	--	15.16	4.	Sundry Debtors & Receivables	132.09	180.90
				5.	Loans & Advances	5.84	4.47
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	4.30	4.25
				7.	Income Tax (Advance tax, TDS & TCS Receivable)	14.40	66.34
				8.	Deficit transferred from Income & Exp. A/c.	84.27	--
	TOTAL	2388.34	2481.92		TOTAL	2388.34	2481.92

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2022-23	2021-22
	INCOME		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	91.86	75.38
2.	Interest & Dividend Incomes	120.12	174.86
3.	Grants received (NCUI & NABARD)	7.00	3.31
4.	Transfers from Development Fund & Special Contingency Reserve	28.52	--
5.	BDDR/Prior Period Income/Provisions reversed/Capital Gains etc.	13.85	52.03
6.	Miscellaneous Income	1.23	0.15
	TOTAL (1 to 6)	262.58	305.73
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	147.09	139.55
2.	Other Office Expenses	30.32	24.63
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses/Trng. Prog.	40.28	4.14
4.	Premises Maintenance Expenses	6.50	5.61
5.	Provisions /Contributions to Reserves	93.50	116.64
6.	Other appropriations	29.17	--
	TOTAL (1 to 6)	346.86	290.57
	Surplus/Deficit (+)(-)	(-) 84.27	15.16

BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDB

The Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge Corner, Ahmedabad-380 009

Email info@gscardbank.org

Telephone Nos. 079-26585365/70/71

Chairman

Shri Dolar V. Kotecha

Email: dollar.kotecha@jcombank.com

Mobile: 9924118900

Managing Director:

Shri K.B.Upadhyay-I.A.S(Retd.)

Email: kbupadhyay@gscardbank.org

Mobile: 7069029988

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	176	176	176
Membership at Ground Level	674720	294712	294138
Loans Issued	11776.58	15128.33	27553.15
Loans Outstanding	53644.64	55043.07	64250.15
Staff			
i. SCARDBs	304	282	624
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	4318.51	4263.48	4707.27
Free Reserves	23726.57	24802.97	24803.26
Capital to Asset Ratio (%)	73.84	62.51	NR

NR - Not Reported

The Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Bays No.31-34, Sahakarita Bhavan, Sector 2, Panchkula – 134 112

Email – dev.incharge@gmail.com

Telephone No. 0172-2587058

Chairman : NR

Email: NR

Mobile: NR

Managing Director:

Shri Naresh Goyal

Email: pa2md.hscardb@gmail.com

Mobile: 9466520383

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	19	19	19
Membership at Ground Level	734448	733499	730556
Loans Issued	3496.16	4043.99	9592.25
Loans Outstanding	181341.64	173938.84	172710.64
Staff			
i. SCARDBs	56	71	52
ii. PCARDBs	640	551	474
Total Paid up Capital	4361.02	4361.02	4281.02
Free Reserves	51130.92	51143.20	47644.90
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR

NR - Not Reported

The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Block No-3D, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171 009

Email: ho.shimla@hparadb.in

Telephone Nos. 0177 2621137/437

Chairperson

Shri Sanjay Singh Chauhan
Email: chairmanardb2023@gmail.com
Mobile: 9418400033

Managing Director

Shri Sachin Kanwal
Email: mdhpscscardb@gmail.com
Mobile: 9418480003

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of PCARDB Branches	30	30	30
Membership at Ground Level	95655	95872	96122
Loans Issued	6275.58	10561.60	11663.14
Loans Outstanding	42993.19	44955.92	47316.43
Staff			
i. SCARDBs	165	162	179
ii. PCARDBs	57	52	57
Total Paid up Capital	2572.11	2664.29	2769.36
Free Reserves	1797.75	1792.75	1792.75
Capital to Asset Ratio (%)	7.45	7.89	7.74

The Jammu & Kashmir State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

House No. 12, Post Office Lane, Hyderpora, Near Mubarak Hospital, Srinagar - 190 014.

Email: scardjk@rediffmail.com

Telephone Nos. 0194-2431892/2431965

Chairperson

Smt. Yasha Mudgal (IAS)
Email: jkcooperative@gmail.com
Mobile: NR

Managing Director

Shri Mohammad Aslam Bhat
Email: scardbjk@rediffmail.com
Mobile: 9419003161

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	51	51	51
Membership at Ground Level	98933	99293	99535
Loans Issued	793.62	478.84	649.30
Loans Outstanding	5713.30	5191.80	4775.10
Staff			
i. SCARDBs	209	206	201
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	2991.36	2956.10	2928.17
Free Reserves	237.63	237.63	237.63
Capital to Asset Ratio (%)	-101.96	-139.48	-181.28

NR - Not Reported.

The Karnataka State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

Tippu palace road, Chamarajpet, Bangalore-560018

Email: kscardbank@yahoo.com

Telephone Nos: 080-26702024

Chairman:
K. Shadakshari, MLA
Email: president.sldb@yahoo.com
Mobile: 9844014111

Managing Director:
Shri B.C. Sateesh K.C.S. & Addl. RCS
Email: md.kscardbank@gmail.com
Mobile: 9845008559

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	25	25	25
Membership at Ground Level	1189495	1226496	1177280
Loans Issued	41112.78	44320.76	25993.41
Loans Outstanding	178424.22	195681.79	209313.20
Staff			
i. SCARDBs	265	257	242
ii. PCARDBs	438	408	403
Total Paid up Capital	8728.39	9002.42	NR
Free Reserves	4451.15	6920.85	NR
Capital to Asset Ratio (%)	9.19	9.37	NR

NR - Not Reported

The Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd.

Land Bank Building, Post Box No. 56, Statue Junction, Thiruvananthapuram - 695 001

Email: ho.cardbank@gmail.com

Telephone Nos.: 0471-2460595

Administrator:
Shri Jothy Prasad R.
Email : NR
Mobile: 9446077011

Managing Director:
Smt. Parvathy Nair.K.L
Email: md.kscardb@gmail.com
Mobile: 9495901573

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of PCARDBs	76	76	76
Membership at Ground Level	1365238	1869623	1892698
Loans Issued	267394.16	275902.92	280836.26
Loans Outstanding	765277.47	803081.82	783396.78
Staff			
i. SCARDBs	157	144	174
ii. PCARDBs	1265	1232	NR
Total Paid up Capital	21738.96	22887.70	23161.05
Free Reserves	45935.55	48675.63	49472.73
Capital to Asset Ratio (%)	12.02	11.10	13.79

NR - Not Reported

The Pondicherry Cooperative Central Land Dev. Bank Ltd., P.106

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email: pccldbank@gmail.com

Telephone Nos.: 0413-2357985 / 2358827

Managing Director:
Shri C. Saravanane, Cooperative Officer
Email: pccldbank@gmail.com
Mobile: 9442357641

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	1	1	1
Membership at Ground Level	19971	20275	NR
Loans Issued	2534.59	3719.44	3957.39
Loans Outstanding	3702.00	4439.21	4824.26
Staff			
i. SCARDBs	29	29	29
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	519.85	541.09	NR
Free Reserves	407.42	430.19	NR
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR

NR - Not Reported

The Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.

S.C.O. 51-54, Bank Square, Sector-17B, Chandigarh – 160 017

Email: sadbmd@gmail.com

Telephone Nos: 0172-2708134 / 5011708

Chairman:
Shri Suresh Kumar Goyal
Email: sadbchairman@gmail.com
Mobile: 9815842233

Managing Director:
Shri Gulpreet Singh Aulakh, IAS
Email: sadbmd@gmail.com
Mobile: 9888522222

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of PCARDBs	89	89	89
Membership at Ground Level	828668	835277	834268
Loans Issued	5078.42	9256.10	507.22
Loans Outstanding	213635.87	205861.91	186926.34
Staff			
i. SCARDBs	176	173	112
ii. PCARDBs	605	581	594
Total Paid up Capital	7888.15	7888.15	7888.15
Free Reserves	23165.63	23438.81	NR
Capital to Asset Ratio (%)	14.27	15.12	NR

NR - Not Reported

The Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhawan, 22- Godown Circle, Bhavani Singh Road, Jaipur - 302 005

Email: rsldbaf@yahoo.in

Telephone No.: 0141-2740440

Administrator:

Smt. Shipi Pande

Email: addl2ho.coop@rajasthan.gov.in

Mobile: 9799393809

Managing Director:

Shri Vijay Kumar Sharma

Email: rajslbjaipur@yahoo.co.in

Mobile: 9784237155

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of PCARDBs	36	36	36
Membership at Ground Level	1377930	1239628	1162102
Loans Issued	15272.80	15676.95	15141.91
Loans Outstanding	150467.52	154929.12	158998.35
Staff			
i. SCARDBs	56	50	44
ii. PCARDBs	240	221	201
Total Paid up Capital	4056.06	4069.56	4134.55
Free Reserves	64623.11	71249.26	77969.54
Capital to Asset Ratio (%)	15.59	14.42	14.96

NR - Not Reported

The Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

181, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004

Email: slbchn@yahoo.co.in

Telephone No: 044-24993854

Chairman:

Shri R. Parimelazhagan

Email: NR

Mobile: 9444044345

Managing Director/Additional Registrar:

Smt. A.K. Sivamalar

Email: NR

Mobile: 7338850010

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of PCARDBs	180	180	180
Membership at Ground Level	1330887	1266666	1672713
Loans Issued	69195.00	76744.83	105536.34
Loans Outstanding	106698.95	73310.57	86085.39
Staff			
i. SCARDBs	119	118	117
ii. PCARDBs	444	435	415
Total Paid up Capital	5131.63	5255.10	5277.60
Free Reserves	8008.83	8148.31	17257.69
Capital to Asset Ratio (%)	22.43	22.74	NR

NR - Not Reported

The Tripura Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

2nd Floor, O/O the RCS, Palace Compound, Agartala, Tripura west - 799 001

Email: tcardbltd.2012@gmail.com

Telephone No.: 0381-232 3972

President:
Shri Pramod Reang (MLA)
Email: pramodmla.reang@gmail.com
Mobile: 9366473755

General Manager:
Shri Manik Das Gupta, TCS
Email: tcardbltd.2012@gmail.com
Mobile: 8787506905

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	5	5	5
Membership at Ground Level	995012	988197	955706
Loans Issued	0.00	0.00	13.50
Loans Outstanding	971.06	885.47	784.80
Staff			
i. SCARDBs	21	20	20
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	970.75	963.93	955.71
Free Reserves	8.67	8.67	8.67
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR

NR - Not Reported

The Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow - 226 001

Email: upsgvb@yahoo.in

Telephone Nos: 0522-2238844 / 2238855

Chairman:
Shri Santraj Yadav
Email: santrajyadav@gmail.com
Mobile: 9415356478

Managing Director:
Shri Shashi Ranjan Kumar Rao
Email: upsgvb@yahoo.in
Mobile: 9415634440

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Number of Branches	323	323	323
Membership at Ground Level	1457315	1482496	1421120
Loans Issued	2327.92	24748.94	27066.63
Loans Outstanding	256337.52	259028.79	257862.28
Staff			
i. SCARDBs	2732	2618	2560
ii. PCARDBs	-	-	-
Total Paid up Capital	27413.95	27630.36	27536.52
Free Reserves	25178.11	25594.59	26145.95
Capital to Asset Ratio (%)	31.92	18.06	31.82

The West Bengal State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme-VII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067

Email – wbcardb@gmail.com

Telephone Nos. 033-23560028 / 033-23560065

Special Officer:
Shri Moinul Hassan
Email: moinulhassan@hotmail.com
Mobile: 9434100000

Managing Director:
Shri Manasij Mukhopadhyay
Email: md@wbcardb.com
Mobile: 9748513071

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23 (Tentative)
Number of PCARDBs	24	24	24
Membership at Ground Level	428109	436053	450560
Loans Issued	29489.21	27604.67	29196.97
Loans Outstanding	129483.78	133608.90	134878.75
Staff			
i. SCARDBs	79	83	77
ii. PCARDBs	596	597	592
Total Paid up Capital	4253.55	4264.10	4264.10
Free Reserves	658.28	969.41	1245.06
Capital to Asset Ratio (%)	6.39	6.77	7.08

STATE COOPERATIVE BANKS

The Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi – 110 002

Email: bkg.dscb@gmail.com

Telephone No. 011-41705038

President:
Dr. Bijender Singh

Managing Director:
Smt. Anita Rawat

Staff Position :
At SCB : 481
HO : 47
Branches: 434

Interest rate :
On Loans: 7% to 18.50%
On Deposit Collection: 3% to 7.05%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Loans Outstanding	82557.15	83191.64	89513.49
Loans Disbursed	17253.20	14275.23	27775.86
Total Paid up Capital	1630.54	1889.53	2016.51
Free Reserves	30093.48	31058.73	33083.20
Capital to Asset Ratio (%)	51.00	57.06	53.78
Deposit Outstanding	139460.53	136629.60	134549.02
Borrowings Outstanding	-	-	-
Net Profit	*3496.70	*2645.60	*2714.39
Accumulated losses, if any	-	-	-

* Before Tax

The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

M.G. Road, Shillong – 793 001

Email: headoffice@megcab.com

Telephone No. 0364 2224160 / 66

Chairman:

Shri Waibha K. Kyndiah
Email: waibhak@gmail.com
Mobile: 9436118213

Managing Director:

Shri Osmand E. J. Nongbri
Email: md@megcab.com
Mobile: 9402306321

Staff Position:

At HO: 122
At Branches: 384

Interest Rate:

On Loans: 7.00% to 12.45%
On Deposit Collection: 3.25% to 7.30%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23 (Tentative)
Loans Outstanding	168777.29	170989.96	169160.67
Loans Issued	7344.49	9223.66	13636.29
Total Paid up Capital	958.12	959.17	1005.62
Free Reserves	15184.49	16361.68	17663.72
Capital to Asset Ratio (%)	4.36	4.20	4.47
Deposit Outstanding	309681.38	348923.10	351060.09
Borrowing Outstanding	4457.63	5480.90	5233.81
Net Profit	1203.57	1327.86	1979.59
Accumulated Losses, If any	-	-	-

Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

#4-1-441, Troop Bazar, Hyderabad – 500 001

Email: mdoffice@tscab.org / plg&dev@tscab.org

Telephone No. 040 24685528

Chairman:

Shri Konduru Ravinder Rao
Email- presidentsoffice@tscab.org
Mobile- 7702331133

Managing Director

Dr. Nethi Muralidhar
Email- mdoffice@tscab.org
Mobile- 9666576576

Staff Position:

HO : 239
Branches: 231

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Loans Outstanding	777928.00	933476.00	1161848.00
Loans Issued	858532.68	900791.57	1080501.46
Total Paid up Capital	23064.00	28924.00	33086.00
Free Reserves	55653.00	61577.00	72857.00
Capital to Asset Ratio (%)	9.90	10.42	10.46
Deposit Outstanding	546641.00	694195.00	740291.00
Borrowing Outstanding	541342.00	626180.00	850878.00
Net Profit	4583.00	7154.00	9631.00
Accumulated Losses, If any	-	-	-

REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2022-23

Data on operations of 13 fully functional SCARDBs during 2022-23 are furnished in Statements given in the **Annexures** of this Report.

1. **Loans Advances**

The total advances of 13 fully functional SCARDBs as on 31 March 2023 were ₹5426.54 crores as against ₹5092.22 crores compared to the previous year. Aggregate lending by SCARDBs increased by ₹334.32 crores registering a growth of 6.57% during the year. Out of 13 fully functional SCARDBs, 10 have registered growth in lending during the year. While Rajasthan SCARDB maintained almost the same level as last year. There was significant slide in Punjab and Karnataka.

2. **Loans Outstanding**

Total loans outstanding of SCARDBs as on 31.3.2023 stood at ₹21151.91 crores as against ₹21124.35 crores during the previous year indicating the slight growth of ₹27.33 crores (0.13%) in overall business level.

3. **Borrowings**

The 13 fully Functional SCARDBs has total borrowings at ₹3043.82 crores during 2022-23 as against ₹3078.00 crores during 2021-22. The composition of resources raised from different agencies shows that, 85% of borrowings was sourced from NABARD while NCDC and banking system accounted for the

balance. Further, 5 out of 13 fully functional SCARDBs confirmed to be non-recipient of NABARD's refinance during the year. Out of these 8 banks 5 SCARDBs increased drawal of refinance.

4. **Borrowings Outstanding**

The total borrowings outstanding of fully functional SCARDBs stood at ₹12573.86 crores as on 31.3.2023 as against ₹13378.88 crores in the previous year. NABARD's borrowing outstanding during the year stood at ₹10495.32 crores accounted for 84% of the total borrowings outstanding which declined by 9.37% from ₹11456.28 crores during 2021-22 to ₹10495.32 crores during 2022-23.

5. **Deposits Outstanding**

Total outstanding deposits of SCARDBs, as on 31.3.2023 were ₹2313.32 crores as against ₹2286.38 crores as of March 31, 2022. Karnataka and Kerala SCARDBs, occupy first two positions in deposit mobilization followed by Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Punjab and Jammu & Kashmir while deposit mobilization is yet to pick up momentum in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Out of 13 banks, 7 banks increased deposits outstanding at the end of 2022-23 and 5 banks suffered depletion compared to the previous year.

6. Recovery Position

DCB Position of SCARDBs has shown improvement during the year at both apex and ground levels. Aggregate average recovery of SCARDBs at apex level stood at 44.23% compared to 42.55% during the previous year. Recovery at Ultimate Borrowers' level also shown improvement during the year from 36.08% to 40.59%.

i. At Apex level

At Apex Level, the total demand of SCARDBs during 2022-23 stood at ₹13965.82 crores as against ₹14095.83 crores in previous year. The total amount of collections increased by 2.98% from ₹5998.44 crores to ₹6177.39 crores during the year. The aggregate overdues at SCARDB level decreased from ₹8097.17 crores to ₹7788.44 crores during the year, which is a welcome trend inspite of increase in demand.

ii. At Ground Level

At the Ultimate Borrowers level, total demand stood at ₹16690.13 crores in 2022-23 as against ₹16168.77 crores in 2021-22 registering a growth of 3.22%. Against this, recoveries during 2022-23 were ₹6775.10 crores compared to ₹5833.64 crores in the previous year registering an increase of 16.14%. The overdues at Ultimate Borrowers level also

declined by 4.06% from ₹10334.91 crores in 2021-22 to ₹9915.02 crores in 2022-23.

7. Non-Performing Assets (NPA)

The gross NPAs of 13 fully functional SCARDBs, the position slightly decreased to 33.40% in 2022-23 from 33.89% in the previous year. Only Kerala and Tamil Nadu could contain the NPA at tolerable levels of 8.25% and 11.54% respectively. While gross NPAs of all other SCARDBs stood above 20% with exception of Tripura SCARDB recording NPA at 98% in view of the banks inability to recover the loans overdues. In case of Karnataka and Pondicherry SCARDBs the NPA position of 2021-22 is considered for review as they did not report their position for 2022-23.

8. Financial Details

According to pre-audited data furnished by fully functional SCARDBs for 2022-23, 10 banks posted net profits during the year. Total profits earned by these banks during the year increased to ₹280.43 crores in 2022-23 from ₹153.83 crores registered by 10 banks in the previous year. Out of 13 Banks, 3 banks which registered losses of ₹42.08 crores in 2022-23 from ₹72.18 crores. Himachal Pradesh SCARDB which was in profits last year registered losses this year.

ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Government of India, Ministry of Cooperation, NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Cooperation. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry of Cooperation, Government of India for their policy guidelines and continued support for economic revival through technology adoption for LTCCS.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We express our profound gratitude to the Chairmen, CEOs and staff of all our member banks for their cooperation and support which enabled Federation to deliver its services for the development of the sector during the year under report. The Board of

Management also places on record the valuable contributions of Shri Dolar Kotecha, Chairman for his able leadership to the Federation and in taking up the issues concerning LTCCS with GOI and other agencies concerned effectively. We also express our gratitude to the Vice Chairpersons Shri K. Ravinder Rao, Shri Moinul Hassan, Shri R. Parimelazhagan and Shri Suresh Kumar Goyal as well as Ex. Vice Chairperson Shri Bijay Kumar Singh who gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board also places on record its gratitude and appreciation to Shri K. Sivadasan Nair, Ex.Chairman and Co-opted Member for his valuable support and guidance on various issues of LTCCS.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

Sd/-

Dolar Kotecha
Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Loans Disbursed During 2022-23			Loans Disbursed During 2021-22	Loans Outstanding as on 31 March 2023			Loans Outstanding as on 31 March 2022
		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Disbursed (3+4)		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Outstanding (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gujarat	21581.48	5971.67	27553.15	15128.33	54172.69	9464.37	63637.06	55043.07
2.	Haryana	4561.10	5031.15	9592.25	4043.99	111600.39	60425.24	172025.63	173147.88
3.	Himachal Pradesh	8624.47	3038.67	11663.14	10561.60	26945.05	10653.66	37598.71	35653.28
4.	Jammu & Kashmir	197.48	451.82	649.30	478.84	3032.54	1742.56	4775.10	5191.80
5.	Karnataka	29568.26	749.76	30318.02	45269.87	208459.86	2793.31	211253.17	197444.36
6.	Kerala	131206.35	149629.92	280836.27	275902.93	310768.73	472628.04	783396.77	803078.24
7.	Pondicherry #	NR	NR	3957.39	3719.44	NR	NR	4824.26	4439.21
8.	Punjab	264.42	242.80	507.22	9256.51	114174.96	72751.38	186926.34	205861.92
9.	Rajasthan	14276.79	865.12	15141.91	15676.95	132067.90	26930.45	158998.35	154929.12
10.	Tamil Nadu	0.00	106158.46	106158.46	76829.43	2115.21	95137.23	97252.44	84145.70
11.	Tripura	0.00	13.50	13.50	0.00	228.53	556.27	784.80	885.47
12.	Uttar Pradesh	20378.45	6688.18	27066.63	24748.94	213992.72	43869.55	257862.27	259028.79
13.	West Bengal	25417.02	3779.95	29196.97	27604.67	101482.47	34373.71	135856.18	133608.90
	TOTAL [1 to 13]	256075.82	282621.00	542654.21	509221.50	1279041.05	831325.77	2115191.08	2112457.74

Note : (1) NR - Not Reported.

(2) # Data considered for review from Monthly Progress Report March 2023.

TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2022-23				Grand Total		
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2022-23 (3+4+5+6)	2021-22	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Gujarat	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
2.	Haryana	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	7500.00	
3.	Himachal Pradesh	8488.07	0.00	0.00	0.00	8488.07	8095.29	
4.	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Karnataka	40000.00	0.00	1500.00	0.00	41500.00	36000.00	
6.	Kerala	140154.89	0.00	0.00	0.00	140154.89	162200.00	
7.	Pondicherry	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
8.	Punjab	2137.24	0.00	0.00	0.00	2137.24	9674.27	
9.	Rajasthan	11420.00	0.00	0.00	32202.56	43622.56	27845.10	
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	115.25	115.25	23.47	
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	Uttar Pradesh	25557.56	0.00	0.00	4656.44	30214.00	23062.90	
13.	West Bengal	29719.55	0.00	0.00	3930.47	33650.02	33398.93	
	TOTAL [1 to 13]	257977.31	0.00	5500.00	40904.72	304382.03	307799.96	

Note: NR - Not Reported.

TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowings Outstanding as on 31 March 2023						Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2023 (3+4+5+6)	As on 31/03/2022		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Gujarat	9100.00	0.00	0.00	9.56	9109.56	11825.27		
2.	Haryana	0.00	3441.00	101485.22	0.00	104926.22	116320.26		
3.	Himachal Pradesh	24164.32	632.56	20.40	0.00	24817.28	23947.98		
4.	Jammu & Kashmir	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00		
5.	Karnataka	114360.22	651.69	3737.01	0.00	118748.92	125044.25		
6.	Kerala	627139.34	31.95	31.95	0.00	627203.24	615112.50		
7.	Pondicherry	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
8.	Punjab	63717.26	56.11	0.00	13543.66	77317.03	147962.39		
9.	Rajasthan	60411.07	464.68	464.68	33451.46	94791.89	96740.25		
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	6389.87	22.50	6412.37	7020.51		
11.	Tripura	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00		
12.	Uttar Pradesh	46583.90	0.65	27200.65	11671.33	85456.53	88016.34		
13.	West Bengal	104046.38	0.02	0.02	3930.47	107976.89	105282.18		
	TOTAL [1 to 13]	1049532.25	5557.94	139666.52	62628.98	1257385.69	1337887.93		

Note: NR - Not Reported.

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Outstanding as on			
		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
1.	Gujarat	26711.86	24588.71	23810.08	23285.78
2.	Haryana	528.64	673.95	346.25	11.31
3.	Himachal Pradesh	10375.29	11501.78	12513.05	14372.83
4.	Jammu & Kashmir	16022.56	16409.65	16465.20	17284.16
5.	Karnataka	34290.63	42670.56	48431.17	50805.67
6.	Kerala	40963.75	38408.41	39613.71	43840.73
7.	Pondicherry #	3317.81	3813.82	4108.59	4767.43
8.	Punjab	25485.80	26981.95	24895.05	18050.73
9.	Rajasthan	579.70	244.63	177.48	172.46
10.	Tamil Nadu	24662.92	29231.91	29956.56	31787.00
11.	Uttar Pradesh	5269.50	4199.18	3052.00	1407.70
12.	West Bengal	22784.28	24495.48	25268.81	25546.46
	TOTAL [1 to 12]	210992.74	223220.03	228637.95	231332.26

Note: # Data considered for review from Monthly Progress Report March 2023.

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Profit / Loss as on		Accumulated Loss as on	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1.	Gujarat	5364.70	2929.04	0.00	0.00
2.	Haryana	(2091.96)	(4897.04)	43642.40	41550.44
3.	Himachal Pradesh	(164.83)	184.93	942.58	774.04
4.	Jammu & Kashmir	(1951.03)	(2283.39)	15927.60	13976.57
5.	Karnataka *	2929.00	2929.00	0.00	0.00
6.	Kerala	4127.64	2942.90	0.00	0.00
7.	Pondicherry *	38.61	38.61	453.48	453.48
8.	Punjab	425.10	273.18	0.00	0.00
9.	Rajasthan	411.32	667.00	0.00	0.00
10.	Tamil Nadu	4219.38	4018.46	0.00	0.00
11.	Tripura	18.55	(37.80)	1876.07	1894.62
12.	Uttar Pradesh	9808.06	490.98	0.00	0.00
13.	West Bengal	700.35	614.72	0.00	0.00

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.

(2) * Position as on 31.03.2022 is considered for review.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31 March 2023			As on 31 March 2022		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	Gujarat	63637.06	28311.17	44.49	55043.07	32127.27	58.37
2.	Haryana	172710.64	86225.58	49.92	173938.84	89579.39	51.50
3.	Himachal Pradesh	40377.72	15308.60	37.91	38770.56	16504.44	42.57
4.	Jammu & Kashmir	4775.10	2191.26	45.89	5191.80	2566.62	49.44
5.	Karnataka *	197444.37	65246.55	33.05	197444.37	65246.55	33.05
6.	Kerala	783678.24	64666.60	8.25	803078.24	88881.56	11.07
7.	Pondicherry *	4439.21	358.19	8.07	4439.21	358.19	8.07
8.	Punjab	186926.34	110000.00	58.85	205861.91	93352.96	45.35
9.	Rajasthan	158998.35	88355.80	55.57	154929.12	83326.68	53.78
10.	Tamil Nadu	97252.44	11218.84	11.54	84145.70	18521.34	22.01
11.	Tripura	784.80	771.41	98.29	885.47	880.72	99.46
12.	Uttar Pradesh	227940.47	186787.75	81.95	227746.63	182619.73	80.19
13.	West Bengal	135856.18	33520.70	24.67	133608.90	32747.08	24.51
	TOTAL [1 to 13]	2074820.92	692962.45	33.40	2085083.82	706712.53	33.89

Note : * Position as on 31.03.2022 is considered for review..

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	At Apex Bank Level as on 31 March 2023				Recovery (%) as on 31.03.2022	At Ultimate Borrowers' Level as on 31 March 2023				Recovery (%) as on 31.03.2022
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	Gujarat	61505.62	27661.34	33844.28	44.97	32.54	27661.34	33844.28	44.97	32.54	
2.	Haryana	208250.00	24888.00	183362.00	11.95	11.61	214037.00	182555.00	14.71	10.21	
3.	Himachal Pradesh	19522.13	5488.92	14033.21	28.12	34.25	21083.26	14033.21	33.44	46.74	
4.	Jammu & Kashmir	3681.35	1193.25	2488.10	32.41	30.73	3681.35	2488.10	32.41	30.73	
5.	Karnataka	133739.22	17077.51	116661.71	12.77	31.70	82526.50	35040.00	57.54	58.04	
6.	Kerala	319041.99	275835.87	43206.12	86.46	83.99	411119.66	149923.87	63.53	57.51	
7.	Pondicherry	4124.26	3690.08	434.18	89.47	89.56	4124.26	434.18	89.47	89.56	
8.	Punjab	82600.00	35000.00	47600.00	42.37	25.68	275538.64	23276.00	8.45	13.56	
9.	Rajasthan	119411.79	21748.92	97662.87	18.21	20.82	106217.64	71619.72	32.57	29.47	
10.	Tamil Nadu	106313.48	94621.98	11691.50	89.00	77.80	132580.86	124759.13	94.10	77.64	
11.	Tripura	885.47	114.17	771.30	12.89	8.81	885.47	771.30	12.89	8.81	
12.	Uttar Pradesh	250953.61	72967.04	177986.57	29.08	25.52	250953.61	177986.57	29.08	25.52	
13.	West Bengal	86553.44	37451.44	49102.00	43.27	41.25	104759.11	42036.87	40.13	37.86	
	TOTAL [1 to 13]	1396582.36	617738.52	778843.84	44.23	42.55	1669012.98	991502.84	40.59	36.08	

TABLE 8 - STAFF POSITION DETAILS

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Staff Position of SCARDBs During						Staff Position of PCARDBs During					
		2023-22			2021-2022			2022-23			2021-22		
		Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal	Male	Female	Toatal
1.	Gujarat	539	85	624	274	14	288	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Haryana	48	4	52	57	14	71	431	43	474	505	46	551
3.	Himachal Pradesh	128	51	179	120	42	162	49	8	57	97	24	121
4.	Jammu & Kashmir	168	33	201	173	33	206	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Karnataka	162	80	242	175	82	257	273	130	403	297	135	432
6.	Kerala *	72	102	174	78	66	144	687	578	1265	687	578	1265
7.	Pondicherry*	NR	NR	29	NR	NR	29	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Punjab	83	29	112	132	41	173	538	56	594	528	53	581
9.	Rajasthan	40	4	44	44	6	50	NR	NR	201	NR	NR	221
10.	Tamil Nadu	66	51	117	67	51	118	334	81	415	346	89	435
11.	Tripura	17	3	20	17	3	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	2279	281	2560	2344	274	2618	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13.	West Bengal	63	14	77	70	13	83	521	74	595	520	76	596
	TOTAL [1 to 13]	3665	737	4431	3551	639	4219	2833	970	4004	2980	1001	4202

Note :- (1) NA - Not Applicable.

(2) NR - Not Reported.

(3) * Position as on 31.03.2022 is considered for review.

TABLE 9 - ORGANISATIONAL NETWORK

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of Supervisory Units (Regional/ Divisional/Zonal Offices)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Network	
		31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023
1.	Gujarat	176	176	0	0	NA	NA	NA	NA	176	176
2.	Haryana	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	Himachal Pradesh	51	51	0	0	1	1	30	30	82	82
4.	Jammu & Kashmir	51	51	2	2	NA	NA	NA	NA	53	53
5.	Karnataka	25	25	1	1	178	180	0	0	204	206
6.	Kerala	14	14	0	0	76	76	175	175	265	265
7.	Pondicherry	1	1	0	0	NA	NA	NA	NA	1	1
8.	Punjab	0	0	0	0	89	89	0	0	89	89
9.	Rajasthan	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
10.	Tamil Nadu	0	0	19	21	180	180	0	0	199	201
11.	Tripura	5	5	1	1	NA	NA	NA	NA	6	6
12.	Uttar Pradesh	323	323	18	18	NA	NA	NA	NA	341	341
13.	West Bengal	11	11	0	0	24	24	100	100	135	135
	TOTAL [1 to 13]	657	657	43	45	603	605	499	499	1802	1806

Note:- NA - Not Applicable

TABLE 10 - DETAILS OF MEMBERSHIP AND ELECTED BOARD (SCARDBs)

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowing Members		Non-borrowing Members		Total Membership (Borrowings+Non-Borrowings)		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards	
		31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023
1.	Gujarat	294712	294138	11270	12179	305982	306317	Yes	Yes	NA	NA
2.	Haryana	99305	76988	729186	653568	828491	730556	Yes	Yes	19	19
3.	Himachal Pradesh	39216	39912	56656	56210	95872	96122	Yes	Yes	1	1
4.	Jammu & Kashmir	77710	77836	21583	21699	99293	99535	No	No	NA	NA
5.	Karnataka	687306	663271	539190	514009	1226496	1177280	Yes	Yes	176	179
6.	Kerala *	1283756	1283756	608942	608942	1892698	1892698	No	No	71	75
7.	Pondicherry *	3520	3520	16755	16755	20275	20275	NR	NR	NA	NA
8.	Punjab	69787	62752	765490	771516	835277	834268	Yes	Yes	64	81
9.	Rajasthan	729902	610093	538078	552009	1267980	1162102	No	No	12	10
10.	Tamil Nadu	140353	153908	1126313	1518805	1266666	1672713	Yes	Yes	179	179
11.	Tripura	24264	24269	963933	931437	988197	955706	Yes	Yes	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	445286	419186	1037210	1001934	1482496	1421120	Yes	Yes	NA	NA
13.	West Bengal	258183	221946	177870	228614	436053	450560	No	No	16	7
	TOTAL [1 to 13]	4153300	3931575	6592476	6887677	10745776	10819252	-	-	538	551

Note:- (1) NA - Not Applicable.

(2) NR - Not Reported.

(3) *Position as on 31.03.2022 is considered for review.

National Conference of ARDBs 2022 On 16 July 2022, NCUI Auditorium, New Delhi



Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home & Cooperation Minister inaugurating the Conference by lighting of lamp.



Inaugural Session - A view of the dais - Dr. Chandra Pal Singh Yadav, President, ICA-AP, Shri Dileep Sanghani, President, NCUI & Chairman, IFFCO, Shri B.L. Verma, Hon'ble MoS Cooperation, Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home & Cooperation Minister, Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD, Shri Gyanesh Kumar, Secretary Cooperation, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD.



A view of guests and participants



Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home & Cooperation Minister delivering the Inaugural Address



Address by Shri B.L. Verma, Hon'ble MoS Cooperation



Address by Shri Dileep Sanghani, President, NCUI and Chairman, IFFCO



Welcome Address by Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD



Vote of thank by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD

NATIONAL CONFERENCE OF ARDBs 2022 ON 16 JULY 2022

AWARDS PRESENTATION BY SHRI AMIT SHAH, HON'BLE UNION MINISTER OF HOME & COOPERATION AWARDS FOR OUTSTANDING PERFORMANCE



Shri Jothy Prasad, Administrator,
Kerala SCARDB receiving the Award



Shri D. Krishnakumar, President,
Karnataka SCARDB receiving the Award



Shri Dolar Kotecha, Chairman,
Gujarat SCARDB receiving the Award



Shri Moinul Hassan, Special Officer,
West Bengal SCARDB receiving the Award

AWARDS FOR CEASELESS SERVICE TO RURAL SECTOR SINCE 1920s



Shri R. Parimelazhagan, Chairman receiving
the Award on behalf of Tamil Nadu CSARDB.



Shri Shyamal Kumar, Chairman receiving
the Award on behalf of Birbhum CARD, West Bengal.



Shri Chetan Choudary, Chairman receiving the
Award on behalf of Ajmer SBVB, Rajasthan.



Shri M.S. Sivaramakrishnan, President receiving the
Award on behalf of Thrissur PCARDB, Kerala

169th Board & Annual General Meeting on 26th September 2022 at Mumbai



170th Board Meeting of NAFCARD held on 24 January 2023 at Ahmedabad, Gujarat.



Dr. Bijender Singh, Chairman, NAFED felicitated by Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD.



Shri K. Sivadasan Nair, Ex.Chairman and Director, NAFCARD felicitated by Shri Dolar Kotecha, Chairman, NAFCARD



Shri K.K. Ravindran, MD, NAFCARD, Welcoming the delegates of 170th Board Meeting



View of delegates attending the 170th Board Meeting



Participants of 170th Board Meeting

State Level Training Programme On Internal Reforms In LTCCS during 8-10 December 2022 at NIRB, Bengaluru



Inter-state Study Visit Programme to Kerala during 14th - 18th December, 2022 Delegates at Peermedu PCARDB, Kerala



Shri K.K. Ravindran, MD, Federation addressing the participants.

Delegates at Institute of Training and Management of Kerala State ARDB in Cochin

Felicitation to Shri K.V. Shaji, Chairman, soon after his assumption of day



Study on Reforms, Restructuring and Innovations in ARDBs on 3rd March 2023



Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD, welcoming Shri A.K. Srivastava, Leader of the Study Team during their visit to Federation's office

तिरेसठवां वार्षिक रिपोर्ट २०२२-२३



**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए-विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२) २७८१ ४११४, २२६
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com/ncardbf.org@gmail.com

फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
वेबसाइट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि.

फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक **10 सितम्बर 2023 को शाम 7.00 बजे होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर** में निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत किए जाने की एतद्द्वारा सूचना निर्गत की जाती हैं।

1. दिनांक 26 सितम्बर 2022 को ललित होटल मुम्बई में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने।
2. वर्ष 2022-23 की लेखा परीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार।
3. 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष की सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।
4. वर्ष 2022-23 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार।
5. वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
6. वर्ष 2023-24 के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।
7. वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।
8. एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप उपनियमों में संशोधन।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष/सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी, अधिकारी होगा तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडरेशन को, सामान्य सभा के लिये अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सीन : नवी मुम्बई
तिथि : 16 अगस्त 2023

हस्ताक्षरित / -
(**के. के. रविन्द्रन**)
प्रबन्ध निदेशक

आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जोकि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में 7 प्रतिशत तथा 2021-22 में 8.7 प्रतिशत थी की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2024 में, यथार्थ आधार पर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का आंकलन किया गया है। केन्द्र सरकार के 63.4 प्रतिशत की पूँजीगत व्यय की उल्लेखनीय उच्च वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष 2023 के पहले 8 माह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 30 प्रतिशत से अधिक की प्रभावी ऋण वृद्धि, 2022-23 की अधिकांश अवधि में निर्यात की वृद्धि में आई उछाल, वर्ष के दौरान निजी उपभोग के परिमाण में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत से अधिक हो जाना, प्रमुख विकास के वाहक हैं। कोविड 19 के आघात, रूस-यूक्रेन संघर्ष के दुःप्रभाव तथा बढ़ते चालू खातों की न्यूनता के बावजूद 2023 के दौरान भारत के सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर है। बढ़ते चालू खातों की गिरावट तथा निर्यात प्रोत्साहन की हानि के कारण रुपए के अवमूल्यन तथा 6 प्रतिशत से अधिक मुद्रा स्फीतिक चुनौतियां हैं जिनके कुछ और समय तक जारी रहने की सम्भावनाएं हैं। गिरते रुझानों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की सम्भावनाये विश्व की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वथा अधिक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महामारी से अपेक्षाकृत तेजी से उबरने, ठोस घरेलू मांग और निजी क्षेत्र के पूँजी निर्माण में फिर से तेजी आने के संकेतों से समर्थित वर्ष 2023-24 के लिए, सम्भवानाएं उज्ज्वल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2.7 प्रतिशत की धीमी वृद्धि का अनुमान लगाया है, साथ ही बढ़ती अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार वृद्धि में 2022 में 3.5 प्रतिशत से 2023 में 1 प्रतिशत तक की कमी आई हैं। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर भारतीय रिज़र्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक होकर 7.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तथापि, भारत की

खुदरा मुद्रास्फीति दर विश्व में सबसे कम बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का 6.8 प्रतिशत का मुद्रा स्फीति अनुमान न तो निजी उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए अधिक कहा जा सकता है और न ही निवेश को हतोत्साहित करने के लिए बहुत अधिक माना जा सकता है, फिर भी 2023-24 के दौरान उधार लागत अधिक रह सकती है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार तथा प्रत्यक्ष करों एवं जीएसटी में वृद्धि के कारण 2022-23 में केन्द्र सरकार के सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के आरम्भ के आठ महीनों में प्रत्यक्ष कर औसत से अधिक बढ़ गया। जीएसटी, जो एक महत्वपूर्ण आय स्रोत बन गया है, ने गत वर्ष के उसी अवधि की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर 2022 के दौरान 24.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी। वित्तीय वर्ष 2022 में सरकार का पूँजीगत व्यय गतवर्ष की तुलना में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिशेष तरलता की स्थिति को कम करने के लिए अप्रैल 2022 से आरम्भ होने वाले अपने मौद्रिक कड़ाई चक्र में रेपो दर को 225 आधार अंक बढ़ा दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने में भी वृद्धि देखी गई जो 2023-24 में भी बने रहने की आशा हैं। बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति अनुपात भी गिरकर सात वर्ष के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गया। सामाजिक क्षेत्र में सरकार का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 21.3 लाख करोड़ हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र का व्यय गतवर्ष के 2.1 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत हो गया। बाहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेराजगारी दर 2018-19 के 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 2022-23 के दौरान आर्थिक परिदृश्य अर्थव्यवस्था की समग्र पुर्नप्राप्ति का मिश्रित स्वरूप प्रस्तुत करता है और साथ ही लक्ष्य चूक जाने और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि प्रवाह में अवरोध के कारण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।

कृषि 2022-23

प्रस्तावना :

अपने सुदृढ़ अग्रगामी सम्बन्धों के साथ कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र ने देश की समग्र वृद्धि और विकास के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कृषि क्षेत्र विगत छः वर्षों से 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की दर पर प्रगति कर रहा है। तथापि, 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में वृद्धि धीमी होकर 3.0 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में उभरा है। 2020-21 में भारत के कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात में गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उत्साहजनक प्रदर्शन की अवधि को कृषक-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और यंत्रीकरण के लिए किए गये समर्थन तथा कृषि अवसंरचना निधि के निर्माण के माध्यम से कृषि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये उपायों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसमें अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता तथा सम्बद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने से किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आई है, जिससे मौसम के आघातों को सहन करने की क्षमता में सुधार हुआ है।

किसानों की आय दोगुनी करने के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप, समिति की सिफारिशों के अनुरूप रहे हैं जिसने फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार, उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की दिशा में विविधीकरण, बेहतर संसाधन दक्षता, फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को मिलने वाले वास्तविक मूल्यों में सुधार तथा किसानों द्वारा और विकास के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में परिवर्तन का उचित आंकलन कर लिया था। कई नीतिगत उपाय जैसे कि अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), तिलहन जैसी उच्च मूल्यवर्धित फसलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए योजनाएं और मूल्य निर्धारण उपाय, मूल्य नीति के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, कृषि विपणन में सुधार तथा संसाधन उपयोग दक्षता में वृद्धि ने मध्यम अवधि की विकास दर को 4 प्रतिशत से ऊपर बनाये रखने में मदद की। जबकि भारतीय कृषि की सराहनीय उपलब्धि रही है, इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, छोटे-छोटे आकारों में बढ़ते कृषि जोत, उपानुकूलतम कृषि यंत्रीकरण, कम उत्पादकता, प्रछिन्न बेराजगारी, बढ़ती उत्पादन लागत आदि जैसी कुछ चुनौतियों की पृष्ठभूमि में पुनः अभिविन्यास की आवश्यकता है।

खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान :

2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन साल-दर-साल बढ़ रहा है। विगत पांच वर्षों में दालों का उत्पादन भी औसत 23.8 मिलियन टन से अपेक्षाकृत बहुत अधिक रहा है। तथापि, निरन्तर होते जलवायु परिवर्तनों ने भी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वर्ष 2022 में गेहूँ की कटाई के मौसम के दौरान तेज गर्म हवाओं का प्रभाव रहा जिससे इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष मानसून में देरी तथा कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में बोये गये धान की खेती के क्षेत्र में कमी देखी गई। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीफ के लिए) के अनुसार 2021-22 में धान का क्षेत्रफल (खरीफ मौसम) के दौरान बोए गए 411.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर कम था। इसके अतिरिक्त चालू रबी मौसम में रबी धान के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में 6.6 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है (फसल मौसम निगरानी समूह की 12 जनवरी 2023 रिपोर्ट) 2022-23 के (केवल खरीफ के) प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मिलियन टन होने की सम्भावना है, जो विगत पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। खरीफ धान के बोये गये क्षेत्र में गिरावट के बावजूद 2022-23 में खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.9

मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के 100.5 मिलियन टन औसत खरीफ चावल उत्पादन से अधिक है।

कृषि यंत्रीकरण – उत्पादकता में सुधार की कुंजी

कृषि यंत्रीकरण की लागत को और विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन श्रम को कम करने के साथ साथ अन्य आदानों तथा प्राकृतिक संसाधनों के समय पर कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है।

रसायन मुक्त भारत : जैविक तथा प्राकृतिक खेती

जैविक और प्राकृतिक खेती रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न एवं अन्य फसलें प्रदान करती हैं, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती है तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं तथा 2021-22 तक लगभग 59.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत लाया गया। सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और 58,168 हैक्टेयर की कुल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अन्तर्गत लाने की प्रक्रिया 2010 में आधार स्तर पर प्रारम्भ की गई। पूर्णतः जैविक कृषि बनने वाला यह पहला राज्य बन गया इसके साथ ही त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड सहित अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

कृषि में अन्य महत्वपूर्ण उपक्रम

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) : एआईएफ कृषि अवसंरचना कोष एक वित्त पोषण सुविधा है जो कटाई के बाद प्रबन्धन अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये 3 प्रतिशत ब्याज छूट तथा ऋण गारण्टी समर्थन सहित 2020-21 से 2032-33 तक के लिए क्रियान्वित की गई हैं इसके अन्तर्गत 2020-21 से 2025-26 तक के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा 2032-33 तक ब्याज छूट एवं ऋण गारण्टी सहायता प्रदान कराई जाएगी कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) में राज्य या केन्द्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ सम्मिलित की सुविधा है और यह कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है।

इसके सूत्रपात के बाद से देश में कृषि अवसंरचना के लिए ₹13,681 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई है जिसमें ₹18,133 से अधिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इनमें 8,076 गोदाम, 2,788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 1,860 कस्टम हायरिंग सेण्टर, 937 सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग इकाइयां, 696 कोल्ड स्टोर परियोजनायें, 163 परख इकाइयां एवं लगभग 3613 अन्य प्रकार की कटाई के बाद के प्रबन्धन परियोजनाएं एवं सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीबाय): पीएमएफबीबाय वर्तमान में कृषक नामांकन के परिप्रेक्ष्य में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, जिसमें प्रत्येक वर्ष औसतन 5.5 करोड़ आवेदन पत्र आते हैं तथा प्रीमियम के संदर्भ में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसानों पर न्यूनतम वित्तीय भार का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ काल के लिए कुल प्रीमियम क्रमशः 1.5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, केन्द्र और राज्य सरकारें अधिकांश प्रीमियम लागत स्वयं वहन करती हैं। इसके क्रियान्वयन के विगत छः वर्षों के दौरान किसानों ने ₹25,186 करोड़ का प्रीमियम भुगतान किया तथा ₹1.2 लाख करोड़ (31 अक्टूबर 2022 तक) के दावे प्राप्त किए। कृषकों के मध्य इस योजना की स्वीकार्यता की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि 2016 में योजना के प्रारम्भ के बाद से गैर-ऋणी, मध्यम एवं लघु कृषकों की हिस्सेदारी 282 प्रतिशत बढ़ गई है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए अभियान (एमआईडीएच): कई विशेष समूहों ने बागवानी को उच्च विकास वाले क्षेत्र तथा किसानों के लिए अच्छी आय तथा बेहतर सुलभ के स्रोत के रूप में पहचाना हैं फलों, सब्जियों, कंद-मूल वाली फसलों, मसालों, फूलों, वृक्षारोपण फसलों आदि को सम्मिलित करने वाली बागवानी को प्रोत्साहित करने की योजना 2014-15 में प्रारम्भ की गई थीं विमर्षों में उन्नत किस्मों और गुणवत्ता वाले बीजों की शुरुआत, वृक्षारोपण फसलों के लिए प्रोत्साहन, समूह विकास तथा कटाई के बाद प्रबन्धन सम्मिलित हैं तीसरे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार 28.0 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में 342.3

मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन की उपलब्धि हासिल की। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) योजना : भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी नीलामी बोली प्रणाली बनाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना प्रारम्भ की। ई-एनएएम योजना के अन्तर्गत सरकार सम्बन्धित हार्डवेयर के लिए मुफ्त साफ्टवेयर तथा प्रति एपीएमसी मण्डी ₹75 लाख की सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्ता परख उपकरण एवं सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग, खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण सम्मिलित हैं 31 दिसम्बर 2022 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसानों का और 2.3 लाख व्यापारियों को ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

जलवायु-स्मार्ट खेती पद्धतियां : सिंचाई के लिये सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करने वाले किसानों के मध्य यह शनैःशनैः स्वीकार्यता प्राप्त कर रही हैं किसानों को सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को स्थानीय ग्रिड में स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है मृदा और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कृत्रिम बौद्धिक क्षमता एवं ड्रोन का उपयोग करके फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल प्रारम्भ किये गए हैं स्मार्ट खेती फसल विविधीकरण को भी सक्षम बनाती है जिससे किसानों को पानी के लिए मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी भारत में 1,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्ट-अप हैं ये किसानों को कृषि की तकनीक सुधारने में सहायता करते हैं

सम्बद्ध क्षेत्र : पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन; हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रहे हैं:

भारतीय कृषि के सम्बद्ध क्षेत्र – पशुधन, वानिकी और वृक्षों की कटाई, मछली पकड़ना तथा जलीय कृषि शनैः शनैः तेजी से विकास के क्षेत्र तथा बेहतर कृषि आय का एक सम्भावित स्रोत बन रहे हैं। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2020-21 के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 7.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा और कुल कृषि जीवीए (स्थिर कीमतों पर) में इसका योगदान 2014-15 में 24.3 प्रतिशत से बढ़

कर 30.1 प्रतिशत हो गया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र – भारत का नवोदित उद्योग क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के विकास के लिए अत्यन्त महत्व का है, क्योंकि इस उद्योग एवं कृषि के उद्योग के मध्य सुदृढ़ संसर्ग एवं परस्पर प्रभाव को बढ़ावा देने की प्रचुर सम्भावनाएं हैं वित्त वर्ष 2021 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एसआई) 2019-20 के अनुसार, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत लोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत थे 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9 प्रतिशत था।

सहकार- से-समृद्धि : सहकारिताओं के माध्यम से सम्पन्नता

सहकारी समितियां, विशेष रूप से कृषि, दुग्ध एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों में, ग्रामीण जन को समुदाय आधारित जीवन शैली के अनुरूप आजीविका के अवसर के साथ वृहद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण का प्रमुख आधार हैं। देश में 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिसमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग से हैं तथा 98 प्रतिशत गाँव प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से आच्छादित किए गये हैं।

“सहकार-से-समृद्धि” के दृष्टिकोण की अनुभूति कराने के लिए सहकारी क्षेत्र के विकास में नवीकृत आवेग प्रवाहित किया गया है। सहकारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए जुलाई 2021 में एक पूर्ण सशक्त सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे 63,000 क्रियाशील प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सामान्य नियम-अधिनियम तैयार करना।

सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलें

(6 जुलाई 2021-14 जून 2023)

(क) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढीकरण

1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गईं एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गईं। इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

2. पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण

कुल 63,000 क्रियात्मक PACS / LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 24 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 58,383 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हार्डवेयर खरीद, डीजीटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु कुल 437.17 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। NABARD द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा। इस पहल से PACS की कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

3. प्रत्येक पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी,

मत्स्य सहकारी समिति (2 लाख नई समितियों) की स्थापना

15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न किये गए पंचायत/ गाँवों में 2 लाख नए बहु-उद्देशीय PACS/ डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति बनाई गई हैं। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के साथ बैठके की जा रही हैं। नई समितियों की स्थापना के लिए सम्बंधित कार्य योजना नाबार्ड, NDDB व NFDB द्वारा बना ली गई है एवं इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना

31 मई, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाज की होने वाली बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी एवं पैक्स स्तर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियान्वन राज्यों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसको कि अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय

सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जाना है।

5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स

PACS द्वारा CSC की सेवाएं दिए जाने हेतु सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिसके बाद CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पैक्स भी दे सकेंगी। अभी तक 15 हजार से अधिक पैक्स को CSC के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है एवं अन्य पैक्स को भी ऑनबोर्ड करने का कार्य प्रगति पर है। ऑनबोर्ड हुए पैक्स को CSC-SPV एवं नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

6. पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स FPO के रूप में कृषि सम्बंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी।

7. पैक्स की LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के लिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। जिसके बाद पैक्स LPG का वितरण भी कर सकेंगी। इससे PACS को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

8. पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमत है। साथ ही पेट्रोल डीलरशिप के लिए भी पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रावधानों से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

9. ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स

06 जून, 2023 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में अगस्त, 2023 तक 1,000 एवं दिसम्बर, 2023 तक 2,000 चिन्हित पैक्स पर जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। इससे ग्रामीण/ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

10. उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स

06 जून, 2023 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाये जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने के निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स

स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नये अवसर सृजित होंगे।

11. पैक्स स्तर पर PM - KUSUM योजना का अभिसरण

PACS की संरचना व इनकी गहरी पहुँच, जिनसे 13 करोड़ से अधिक किसान बतौर सदस्य जुड़े हैं, का लाभ पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इससे, PACS से जुड़े किसान कृषि डीजल पंपों को सौर कृषि जल पंपों से बदल सकते हैं एवं अपनी ज़मीनों की परिधि पर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल स्थापित कर अपनी उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे व इससे योजना की पहुँच को अंतिम मील तक पहुँचाया जा सकेगा। साथ ही, PACS व उनके सदस्य किसानों को आय के वैल्काल्पिक स्रोत प्राप्त होंगे। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा concept note तैयार कर MNRE को भेजा गया और इस प्रस्ताव पर माननीय नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्री के साथ सचिव (सहकारिता) की बैठक हो चुकी है।

(ख) सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत

12. सहकारी समितियों के लिए आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती

1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों के ऊपर आयकर के भार में कमी होगी जिससे समिति के पास सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

13. सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है। इससे सहकारी समितियां सशक्त होंगी एवं सहकारिता का विस्तार होगा।

14. पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBS) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुगमता आएगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा।

15. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती

31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा। इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

16. नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि

केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कटने वाले कर में बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु कर पाएंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नगद लेनदेन में राहत

सहकारी समितियों को पहले अपने वितरकों के साथ 'अनुबंध' को एक घटना' मानकर उस वितरक के साथ सम्पूर्ण वर्ष में होने वाले सभी लेन देनों में यदि नकद प्राप्ति दो लाख रुपये से अधिक थी तो उसे करयोग्य मानकर उसपर आयकर पेनल्टी लगा दी जाती थी। आयकर विभाग ने सर्कुलर जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि अब सहकारी समितियों का अपने वितरकों के साथ किया गया 'अनुबंध' 'एक घटना' नहीं मानी जायेगी। इस स्पष्टीकरण से सहकारी समितियों द्वारा अपने वितरक के साथ किए गए 2 लाख से अधिक के प्रत्येक नगद लेन-देन को अलग माना जाएगा जिससे उनपर आयकर पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे राज्य व जिला दुग्ध संघ बैंकों में अवकाश के दौरान अपने वितरकों से नकद में भुगतान लेकर सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेंगे।

(ग) सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण

18. बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।
19. शहरी सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंको की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।
20. शहरी सहकारी बैंको को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है।
21. शहरी सहकारी बैंकों से नियमित संवाद के लिए RBI में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
22. RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने के अनुमति दी है।

23. RBI द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।

24. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट - रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार विविधिकरण हो सकेगा।

25. सहकारी बैंकों को CGTMSE के सदस्य ऋणदाता संस्थान [MLI] के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम (Risk) कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से 5 करोड़ रुपये तक की कोलेटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. सहकारी बैंकों की आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री-प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगर प्रिंट पर मिल सकेगी।

(घ) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान

27. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अपने सदस्यों को गन्ने का उच्चतर मूल्य दे सकेंगी और इस उच्चतर मूल्य के खर्च पर आयकर से कटौती हासिल कर पायेंगी।

28. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

दशकों से लंबित आयकर सम्बन्धी मुद्दों का निवारण करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी।

29. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए NCDC को अनुदान सहायता' नाम की एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 2022-23 से 2023-24 तक के लिए NCDC को रुपए 1,000 करोड़ का अनुदान दे रही है। NCDC इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को रुपए 10,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए करेगी। जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलें इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए या कोजेनेरेशन प्लांट लगाने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनों कार्यों के लिए कर पाएंगी।

30. सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना

इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कंपनियों के समतुल्य रखा जाएगा। गन्ने की खोई (Bagasse / बगास) से कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों के व्यवसाय का विस्तार होगा एवं लाभ में वृद्धि होगी।

(ड) राष्ट्रीय स्तर की तीन नयी बहु राज्यीय समितियाँ

31. निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। किसानों के उत्पादों का निर्यात सुलभ होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी।

32. प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु - राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियाँ (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य बन सकती हैं। इस समिति से किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता एवं किसान को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

33. जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु -राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु राज्य सहकारी

समितियां शामिल हैं, तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा एवं किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

(च) सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण

34. विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा कर्मियों की क्षमता निर्माण भी करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

35. सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना

सहकारी समितियों को मजबूत आर्थिक संस्था बनाने, सहकारी आंदोलन को व्यापक और मजबूत करने, वैमिनीकॉम, एनसीसीटी और जेसीटीसी की faculty का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि के लिए इस योजना की आवश्यकता है। इस संबंध में, आरंभिक हितधारक परामर्श किए जा रहे हैं एवं अगले तीन माह में योजना बना लिए जाने का लक्ष्य है।

36. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त समिति है जो राज्यों/UTs के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के

कर्मियों, सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का संचालन यह देश भर में फैले अपने 20 घटक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करता है। जिसमें वैमनीकॉम (वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान) एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय स्तर के और 14 राज्य स्तर के संस्थान हैं। NCCT ने वर्ष 2022-23 में संपूर्ण देश में सहकारी प्रतिभागियों, कामगारों तथा पेशेवरों के लिए निर्धारित लक्ष्य 1740 प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में 3287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा इस अवधि में परिषद ने निर्धारित 43,500 प्रतिभागियों से पांच गुना अधिक यानी लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। सहकारी समितियों के लिये स्थानीय भाषाओं में व्यावसायिक विकास योजना (मौजूदा DPRs पर आधारित) NCCT के माध्यम से बनाई जा रही है।

(छ) नई राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

37. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके 49 सदस्यों की एक बहुआयामी व राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं, जिनके दौरान हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श हुए हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

38. नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, एक व्यापक, प्रमाणिक और अद्यतित राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत पैक्स, डेयरी एवं मत्सयिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग का कार्य दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पूर्ण हो गया है। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों व संघों की Mapping का कार्य किया जा चुका है। तृतीय चरण के अंतर्गत अन्य सभी सेक्टरों की लगभग 5.8 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में सम्मिलित किया जा रहा है जिसे जून, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ज) जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल

39. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2022 को सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने का अनुमोदन प्रदान किया है। सहकारी समितियां जेम के एकल प्लेटफॉर्म से देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकेंगी। अब तक 550 से अधिक सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड कर लिया गया है। इसके साथ साथ सहकारी समितियों को जेम पर विक्रेता के रूप में भी पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

(झ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

40. एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वहयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,025 करोड़ रुपये (अनंतिम) की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जो कि 2021-22 के संवितरण 34,221

करोड़ रुपये से लगभग 20% अधिक है। सहकारिता क्षेत्र में आवश्यक धन राशि के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में NCDC की कार्य दक्षता और भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए ऋण संवितरण को बढ़ा कर प्रति वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की परिकल्पना है। सभी राज्य एवं राज्यों की सहकारी समितियां NCDC की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं।

(ञ) केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढीकरण

41. केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग करने में सहायता करेगा। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, VC के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के प्रावधान होंगे। कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में काफी मदद करेगी और उनके काम करने की प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करेगी।

42. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम,

2002 को संशोधित करने के लिए है। उक्त विधेयक को लोक सभा में दिनांक 7 दिसम्बर 2022 को पुनःस्थापित किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विधेयक पर विचार करने और पारित करने की सूचना 22.03.2023 को लोकसभा में दी जा चुकी है। उक्त विधेयक को संसद के आगामी सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाना है।

(ट) अन्य पहलें

43. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना ला रहा है। इसमें विभिन्न घटक होंगे जैसे कि हार्डवेयर खरीद, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का रखरखाव आदि। इस योजना में आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत ARDBs द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

कम्प्यूटरीकरण से ARDBs को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कार्यकुशलता में वृद्धि, त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन दरों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और भुगतानों के असंतुलों में कमी इत्यादि।

44. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लि.,

सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया संवितरण हेतु सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय पंजीयक द्वारा संवितरण के लिए पूर्व न्यायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी एवं अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र के पर्यवेक्षण और निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (पोर्टल) को विकसित करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. (SDMSL) की सेवाएं ली गई हैं। केंद्रीय पंजीयक द्वारा रिफंड प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए चार विशेष कार्याधिकारियों (OSDs) को भी नियुक्त किया गया है। पोर्टल के माध्यम से प्रामाणिक जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से उचित पहचान एवं उनकी जमाराशियों व दावों के साक्ष्य देने पर भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय शीघ्र ही इन समितियों के निवेशकों को रिफंड हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सूचना देने के लिए शीघ्र ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाला है।

45. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के लिए व्यापार में सुगमता बढ़ाने एवं पारदर्शी पेपर रहित विनियमन का एक डिजिटल इकोसिस्टम सभी राज्यों/संघ प्रदेशों में बनाने के लिए राज्य पंजीयक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की योजना की रूप रेखा तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर, संबंधित राज्य/संघ प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा। इस योजना को बनाने के लिए मंत्रालय सभी राज्यों/संघ प्रदेशों के पंजीयकों से संवाद कर रहा है और जल्द ही इसको एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।

ग्रामीण साख परिदृश्य

ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत में किसान साधनहीन है जो उत्पादन को सुसाध्य बनाने तथा उपभोग प्रणाली के सुचारु संचालन के लिये बुरी तरह से ऋण पर निर्भर करता है वर्षा सिंचित परिस्थितियों एवं कृषि की परम्परागत अनिश्चितताओं के साथ शोषणकारी ब्याज दरों के साथ किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की सतत चली आ रही विशेषता है वस्तुतः संस्थागत साख 10वीं शताब्दी के अन्त तक था ही नहीं यद्यपि कृषकों यदा-कदा सरकार की ओर से, विशेषतौर पर अनावृष्टि वर्षों के दौरान ऋण दे दिये जाते थे किसानों को ऋण देने के लिये सहकारी समितियों की संरचना का विचार केवल बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भ में आया इस विचार के परिणामस्वरूप सहकारी समिति अधिनियम 1904 के रूप में अधिनियमित हुआं शनै शनै सहकारितायें पूरे देश में कृषि साख का महत्वपूर्ण स्रोत हो गईं 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ग्रामीण साख ने निरन्तर सरकार का ध्यान आकर्षित किया 1904 का आरम्भिक अधिनियम के बाद सहकारी साख समितियों को वैधानिक मान्यता देने हेतु सहकारी अधिनियम 1912 लागू किया गया। प्रादेशिक सहकारी बैंकों की स्थापना के परिणामस्वरूप त्रि-स्तरीय सहकारी साख संरचना इस अवधि की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही यद्यपि, सहकारी साख का परिचालन अल्पकालीन ऋणों तक ही सीमित रहा। इसके साथ ही किसानों को अपने पूर्व ऋणों के परिसमापन के लिये अपनी कृषि भूमि में फसल की उपज का बहुत बड़ा भाग ब्याज के रूप में देना पड़ रहा था जिससे मुक्ति पाने के लिये दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता थी इस प्रकार के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूमि बन्धक बैंक की स्थापना 1920 के प्रारम्भ में की गई थी 1920 में पंजाब में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना के बाद प्रादेशिक एवं प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार के बैंकों की स्थापना अन्य राज्यों में हुई इन प्रयासों के बाद भी 1951 तक केवल 3.3 प्रतिशत किसान ही सहकारिताओं से ऋण प्राप्त कर पाये तथा मात्र 1 प्रतिशत

कृषक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर सके। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण रिपोर्ट 1954 ने पाया कि कृषि साख न तो परिमाण में सही था और नही उचित ढंग से दिया ही जा रहा था और न ही सही उद्देश्य के लिये किसानों को मिल पा रहा था और प्रायः यह सही लोगों तक पहुंच पाने में असफल था समिति ने सहकारिताओं के किसानों की कृषि आवश्यकताओं कार्यों को पूरा कर पाने में अनेक कमियां पायीं लेकिन यह अनुभव किया कि किसानों के लिये ऋण को सही दिशा में ले जाने में सहकारिताओं की अहम भूमिका है, अंततः निष्कर्ष निकाला गया कि 'सहकारिता असफल रही किन्तु सहकारिता को सफल होना चाहिये। 1963 में सहकारी साख संरचना, विशेष रूप से भूमि विकास बैंक को दीर्घकालीन कोश उपलब्ध कराने के लिये कृषि पुर्नवित्त निगम की स्थापना की गई। ग्रामीण साख की उपलब्धता की समीक्षा तथा कृषि साख के प्रवाह को सुधारने के लिये समुचित उपायों की संस्तुति के लिये 1966 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया। समिति ने संस्तुति की कि सहकारिताओं के साथ ही वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण ऋण वितरण में पूरक भूमिका निर्वहन करे। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण वितरण की अवधारणा के क्रियान्वयन ने वाणिज्यिक बैंकों को वृहदरूप से ग्रामीण साख व्यवस्था में लाने में उत्प्रेरक का कार्य किया। अग्रणी बैंक योजना भी विकेन्द्रीकृत योजना के लिये उसी वर्ष लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को एक वाणिज्यिक बैंक के साथ रखा गया। फिर भी ये सभी उपक्रम कृषि के लिये ऋण प्रवाह में अपेक्षित सुधार ला पाने में इसलिये असफल रहे क्योंकि वाणिज्यिक बैंक लघु एवं सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने के लिये प्रशिक्षित नहीं किये गये थे जबकि सहकारिताओं के पास किसानों की बड़ी हुई ऋण की मांग को पूरा करने के लिये संसाधनों का अभाव था और इसी पृष्ठभूमि पर, नरसिंहन कार्य दल की संस्तुतिओं के आधार पर 1975 में क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कल्पना एक पृथक बैकिंग संरचना के रूप में की गई जिसमें सहकारिता के लाभ, स्थानीयता भावना और ग्रामीण समस्याओं की अच्छी जानकारी व व्यावसायिकता तथा संसाधन आधार वाणिज्यिक बैंक समाहित था। इस प्रकार 70 के दशक का अन्त बहु अभिकरण प्रणाली जिसमें सहकारिता, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित थे, ग्रामीण साख व्यवस्था के रूप में उभरे। तदनन्तर, समिति के सुझावों का अनुसरण करते हुए, हेतु संस्थागत साख की समीक्षा की व्यवस्था के लिये 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई जिसने एआरडीसी के सभी कार्य तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि तथा ग्रामीण साख सम्बन्धी सभी कार्यों का दायित्व ले लिया। नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है तथा ग्रामीण साख के क्षेत्र में संस्थागत विकास को सुगम बनाता है। 1990 ने वित्तीय प्रणाली के सुधारों पर गठित समिति के सुझावों पर आधारित (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहन 1991) वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को भली भांति देखा है। वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि साख पर उच्च स्तरीय समिति सहित अनेक ग्रामीण वित्तीय प्रणाली समितियां (आर. वी. गुप्ता, 1998), सहकारी

साख प्रणाली एवं कार्यों पर कार्य बल अध्ययन तथा उसको सुदृढ़ करने उपाय (जगदीश कपूर 1999), ग्रामीण साख पर विशेषज्ञ समिति (वी. एस. व्यास, 2001), वैद्यनाथन कार्यबल I और II, (2000 के प्रारम्भ में), इत्यादि उस दौरान गठित की गई थी। 1990 से भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया उपर्युक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर प्रारम्भ की गई। तथापि, यह देखा गया कि एक ओर वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित संस्तुतियों को अधिकांशतः क्रियान्वित किया गया वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सहकारी साख संरचना पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। एक ओर अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) पर वैद्यनाथन कार्यबल रिपोर्ट पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया तथा उसे बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं किया गया।

इसके क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र के ऋण प्रवाह में असाधारण वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई वर्ष 2004-05 से 2023-24 तक की कृषि साख के वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां इंगित तालिका में देखा जा सकता है :-

(धनराशि ₹ करोड़ों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
2004-05	1,05,000 (आधारवर्ष)	1,25,309
2005-06	1,41,500 (34.29%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (24.11%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (21.16%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.95%)
2010-11	3,75,000 (15.39%)	4,68,291 (21.78%)
2011-12	4,75,000 (26.67%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.32%)
2014-15	8,00,000 (14.29%)	8,45,328 (15.68%)

2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	11,00,000 (10.00%)	12,54,762 (7.93%)
2019-20	13,50,000 (22.73%)	13,73,766 (9.48%)
2020-21	15,00,000 (11.11%)	15,75,398 (14.68%)
2021-22	16,50,000 (10.00%)	18,63,364 (18.28%)
2022-23	18,50,000 (12.12%)	-
2023-24	20,00,000 (8.11%)	-

स्रोत : rbi.org.in, वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, नाबार्ड

सरकार द्वारा आधार वर्ष 2003-04 के संदर्भ में तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह को दोगुना करने का निर्णय जून 2004 में लिया गया था। 2003-04 से कृषि ऋण का प्रवाह निरन्तर लक्ष्य से अधिक रहा है। इस तथ्य से स्पष्ट है, कि कृषि ऋण प्रवाह जो 2003-04 में ₹86,981 करोड़ था, 2010-11 में ₹468,291 करोड़ तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य ₹16,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था तथा उपलब्धि ₹18,63,363.49 करोड़ (लक्ष्य का 113 प्रतिशत) थी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए 2022-23 के लिए लक्ष्य ₹18,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया तथा दिसम्बर 2022 तक 2022-23 के दौरान कृषि ऋण के रूप में ₹13,75,294 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

सरकार विशिष्ट रूप से कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि कर देती है जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े नियोक्ताओं की श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी है कि कृषि ऋण की जोखिम भरी प्रकृति को देखते हुए बैंकों, मुख्य रूप से सरकारी बैंकों पर भार बढ़ जाता है।

खेती को लाभप्रद बनाने के लिए, उचित समय पर कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता तथा पहुँच आवश्यक है। विगत कुछ वर्षों में किसानों को उपलब्ध संस्थागत ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है तथा ऋण का उपयोग मुख्य रूप से खेती में राजस्व

व्यय, या आवर्ती घरेलू व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में समग्र बैंक ऋण में वृद्धि हुई है जबकि दिसम्बर 2022 में गैर-खाद्य ऋण में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले 9.4 प्रतिशत थी, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में इसी अवधि में एक वर्ष पहले की 14.2 प्रतिशत की वृद्धि से कम 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लघु एवं सीमान्त कृषक जो 85 प्रतिशत कृषि जोत परिचालित करते हैं तथा कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक कृषि क्षेत्र के लिये उत्तरदायी होते हुये भी उस अनुपात में संस्थागत ऋण का यथोचित भाग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को अल्पकालीन ऋण जैसे आदानों की खरीद, निराई, कटाई, छटाई तथा ढुलाई अथवा दीर्घकालीन उपयोग जैसे कृषि यंत्रीकरण एवं संयंत्रों अथवा सिंचाई में निवेश के लिये ऋण की आवश्यकता होती है। लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकांशतः ऊँची ब्याज दर के ऋण प्राप्ति के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

पिछले कुछ दशकों से, विशेषरूप से 1990-91 से, दीर्घकालीन ऋण के अंको में निरन्तर गिरावट आ रही है जिसका अर्थ है कि कृषक दीर्घकालीन निवेश के लिये ऋण के स्थान पर आवर्ती खर्चों के लिये ऋण ले रहा है। यद्यपि उत्पादन ऋण के प्रवाह में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, किन्तु कृषि निवेश ऋण की भागीदारी में गिरावट तथा पूँजी

निर्माण तथा उत्पादकता वृद्धि की धीमीगति के कारण कृषि उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है।

विगत दस वर्षों में किसानों द्वारा प्राप्त कुल संस्थागत ऋण चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएलीआर) 7.8 प्रतिशत की दरसे से बढ़ा है 2021-22 में मंत्रालय ने किसानों को ₹16.5 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि अपने लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक है। 2022-23 में इसका लक्ष्य ₹18.5 लाख करोड़ के कृषि ऋण वितरण का है। तथापि, 2020-21 में यह 57 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 60 प्रतिशत (दिसम्बर 2022 तक) हो गया अल्पकालिक ऋणों का बढ़ा भाग इंगित करता है कि किसान दीर्घकालिक निवेश के वित्तपोषण के स्थान पर अपनी आवर्ती व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले रहे हैं।

अनुमान है कि कृषि में कुल ऋण का 75 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा अवशेष सहकारिताओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंश कमशः 13 प्रतिशत और 12 प्रतिशत द्वारा अभिदत्त है। तथापि ऋण में प्रतिवेदित वृद्धि अधिकांशतः प्रत्यक्ष ऋण के स्थान पर अप्रत्यक्ष ऋण अथवा कृषि के लिये ऋण से सम्बन्धित है। परिणामस्वरूप भारत के लगभग 1540 मिलियन कृषि परिवारों में से आधे अभी भी औपचारिक ऋण प्रणाली की परिधि से बाहर है। साधारण किसान अभी भी बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त करवाने में कठिनाई अनुभव करता है। वाणिज्यिक बैंकों के आधिपत्य के बावजूद कृषि ऋण के आंकड़ों में सहकारिताये अभी भी 60 प्रतिशत कृषि ऋण का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि ऋण वितरण में कुल ऋण वितरित ऋण में 12 प्रतिशत तथा कुल ऋणी सदस्यों की लगभग 20 प्रतिशत भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सच्चाई यह है कि सहकारिताएं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों ही एक साथ कृषि क्षेत्र के 80 प्रतिशत ऋण वितरण को आच्छादित करती हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र किसानों के लिये मात्र 20 प्रतिशत ऋण वितरण किया जाना शेष बचता है। निस्सन्देह वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को

सीधे दिये जाने वाले ऋण की मात्रा उनके द्वारा यथार्थतः प्रतिवेदित वास्तविक ऋण वितरण से काफी कम होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋणों की अतिगणना के कारण ग्रामीण साख में सरकार की नीतियां निफल हुई है साथ ही सरकारी नीतियों में सहकारिताओं के माध्यम से ऋण प्रवाह के पोषण करने की नीति एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बाधक होने तथा उनके महत्व बहुत तेजी से घटा दिया है।

कृषि पैदावार (औसत प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से) अधिकांश फसलों की सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों जैसे चीन, ब्राज़ील तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से तुलना करने पर काफी कम पायी गई। कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में कृषि जोत का आकार कम होना, निरन्तर अनुपयुक्त सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता के कारण मानसून पर निर्भरता, मृदा पोषक तत्व के उपयोग में असन्तुलन के कारण भूमि उर्वराशक्ति का क्षय, आधुनिक प्रौद्योगिकी की देश के कई भागों में अनियमित उपलब्धता, औपचारिक कृषि ऋण तक अपेक्षित पहुंच का अभाव तथा कृषि में अनुसंधान एवं विकास की धीमी गति के परिणामस्वरूप बीज, कीट एवं रोग की समस्याएं, फसल की स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, तथा सिंचाई समस्याओं आदि को दूर करने में विलम्ब/ असफलता होती है।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि की लाभप्रदता कृषि में निजी निवेश को प्रभावित करता है तथा विभिन्न फसलों की सापेक्षिक लाभप्रदता भूमि एवं अन्य संसाधनों के अन्तर फसल आवंटन को निर्धारित करती है। कृषि की आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश कृषि में लाभप्रदता निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तथापि, कृषि में सार्वजनिक निवेश गत दशकों में तेजी से गिर रहा है। कृषि में वर्तमान संकट तथा किसानों की पीड़ा का हल निकालने के लिये सार्वजनिक निवेश में कृषि के आधारभूत संरचना के गिरते हुये रुझान में बदलाव लाना अनिवार्य है।

कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के मध्य बढ़ती हुई आय असमानताओं के कष्टदायक रुझान को रोकने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र के व्यवसायों में उत्पादन के अवसर सृजन के द्वारा कृषि क्षेत्र के श्रम बल के एक बड़े भाग को अकृषि क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की भी आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहली आवश्यकता किसानों को दीर्घकालीन निवेश करने के लिये उत्प्रेरित किये जाने की है। निससन्देह, जनमानस के समर्थन की आवश्यकता न केवल ऋण के बढ़ते प्रवाह और आधारभूत निवेश सृजन के माध्यम से होगी वरन कृषि बाजारों के विकास तथा को बढ़ा कर वरन कृषि-विपणन तथा कृषि-प्रसंस्करण में निवेश के माध्यम से भी होगी। पूरे देश/क्षेत्र में, कृषि जलवायु आधारित स्थानिक परिस्थितियों एवं कृषि विकास के स्तर पर व कृषकों द्वारा फसल और कृषि सम्बन्धित की जा रही अन्य गतिविधियों के अनुरूप निवेश की आवश्यकताओं में भिन्नता हो सकती है।

साख, उत्पादन प्रक्रिया में, समर्थकारी एवं विवेचनात्मक निवेश के रूप में कार्य करता है। अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संस्थागत स्त्रोंतों, जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारिताओं से निर्गमित ऋण उर्वरकों, बीज तथा अन्य निविष्ट सामग्रियों के सहज उपलब्धता प्रदान कराता है तथा पूँजी निर्माण से बहुत अधिक सम्बन्धित होता है। मांग पक्ष से अवलोकन करने पर, यह दृष्टिगत होता है कि भारत में कृषि निवेश का लगभग 86 प्रतिशत संस्थागत तथा गैर संस्थागत दोनों स्त्रोंतो से उधार लिए गए ऋण के धन के माध्यम से किया जाता है। मौजूदा संस्थागत वित्त तंत्र कुल उत्पादन ऋण आवश्यकताओं का 65 प्रतिशत से अधिक को ही संरक्षित कर रहा है, अवशेष की आपूर्ति निवेश ऋण से होती है। सभी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अल्पकालीन ऋण अधिकांशतः फसल उत्पादन के लिये ही सहायता दे रहे हैं तथा कृषि निवेश ऋण में उनका सहयोग बहुत कम है। इससे कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण प्रभावित हुआ है जिसे वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में इसलिए बढ़ाया जाना चाहिए था

क्योंकि किसानों को संस्थागत ऋण अभिकरणों से प्राप्त ऋणों से उनको अपने निवेश का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।

वर्तमान अनुमान इंगित करते हैं कि दीर्घकालीन साख न केवल कम हो रहा है बल्कि यह कुल कृषि ऋण का एक चौथाई से भी कम रह गया है। अतः नीतिगत दबाव के साथ पर्याप्त बजटीय सहयोग से बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना होगा। इसी प्रकार, सार्वजनिक निवेश का इस क्षेत्र के समग्र जीसीएफ पर गुणक प्रभाव के कारण पुर्नजीवित किया जाना दुसाध्य होगा।

भारत में निवेश निधि आवश्यकताओं का आंकलन राज्य स्तर पर कृषि विकास के लिये नहीं किया गया, वरन इसे केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया गया। योजना आयोग ने अनुमान किया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान 3.5 से 4.2 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को पाने के लिये 20.41 प्रतिशत के निवेश की दर की आवश्यकता थी। 5.32 प्रतिशत की वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) पर आधारित यह निवेश दर की पूर्ति सार्वजनिक एवं निजी (कृषि परिवारों) क्षेत्र से की जानी है। 2007-08 से 2011-12 तथा 2012-13 से 2013-14 तक एवं वास्तविक कृषि आय में 9.23 प्रतिशत के वार्षिक के वृद्धि लक्ष्य पर आधारित वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर), निजी खातों में अपेक्षित निवेश की दर 6.2 प्रतिशत है। सार्वजनिक निवेश के संदर्भ में (कृषि के लिये) निवेश दर 6.92 प्रतिशत वार्षिक आंकलित की गई है। समग्र दृष्टि से, किसानों की वास्तविक आय को कृषि की उच्चतर आय के द्वारा दुगना करने में सक्षम बनाने के लिये भारत में निजी निवेश 2015-16 में US \$296 बिलियन (रु29,559 करोड़) से बढ़ कर 2004-05 के मूल्य पर 2022-23 में US \$463 बिलियन (रु46,299 करोड़) हो जाना चाहिए। पूर्व अवधि के किये गये अध्ययनों ने कृषि में 2.2 और 4 प्रतिशत के मध्य घटते बढ़ते वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) को उच्चतर प्रतिवेदित किया है जो इंगित करता है कि प्रति वर्ष उत्पादन में एक रुपये की वृद्धि के

लिये रु2.2 से रु 4 तक एक मुश्त निवेश किया जाना अपेक्षित है। यदि आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश और सहायक निवेश को भी ध्यान में रखा जाय तो पूँजीगत अपेक्षाएं लगभग दोगुनी हो जाएगी। टुकड़ों में बटे कृषि जोतों की बढ़ती मात्रा के साथ उस स्थिति में जब कि ऐसे निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित न किया गया हो, सीमान्त कृषक के लिये उस पर निवेश ऋण लेना बिल्कुल असम्भव होगा। इस प्रकार, निवेश ऋण पर जोखिम एवं प्रतिफल अनुपात काफी अधिक होने की स्थिति में, ऐसा ऋण जिसमें लाभ भी बहुत कम हो, लघु एवं सीमान्त कृषकों के समक्ष ऊंची दर पर ऋण लेने में संशय रहेगा।

जैसा कि उपर्युक्त इंगित किया गया है जब तक जोखिम लाभ अनुपात सकारात्मक नहीं होते, कृषक संस्थागत अभिकरण से ऋण ले कर अतिरिक्त निवेश करने का कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेंगे।

संस्थागत साख संचरण तंत्र के पास दीर्घकालिक संसाधन नहीं होते हैं। नाबार्ड से प्रदत्त पुनर्वित्त सुविधा केवल बैंकों के तरलता सहयोग के माध्यम से ही सुलभ है। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतया पुर्नभुगतान अवधि को अपने निवेश ऋण समर्थन में दबा देते हैं फलस्वरूप किसानों को उस ऋण के भुगतान के लिये दबाव डालते हैं, जिस पर उन्हें कोई आय सृजित नहीं की है। फिर भी, कृषक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अनौपचारिक स्रोतों से सम्पर्क करने के लिये बाध्य कर दिया जाता है जिनकी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास पर्याप्त दीर्घकालीन संसाधन नहीं होते हैं जिससे वह निवेश ऋण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। एआरडी बैंक अपने सदस्यों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को कभी नाबार्ड के सहयोग से और कभी कभी नाबार्ड के पुनर्वित्त के सहयोग के बिना भी सदस्यों की मांग को पूरा करने वाले केवल एकमात्र स्रोत हैं। यदि एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण के अंश को बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो, तो उन्हें नाबार्ड अथवा अन्य उच्च अभिकरण से उदारीकृत वित्त प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि एआरडी बैंक ही नीति निर्माताओं द्वारा दीर्घकालीन निवेश ऋण प्रदान कराने वाला सृजित केवल उद्देश्यपरक स्रोत है

अतः, नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति, जो एआरडी बैंको को सीमिति ऋण वितरण नीतियों में बाधित करने के स्थान पर उनका समर्थन करते हुये उदारतापूर्वक बिना किसी बन्धन के अग्रसक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सके, के पुनरावलोकन की मांग की जाती है। वस्तुतः नाबार्ड एआरडी बैंकों से सर्वप्राथमिकता के आधार पर अपने पुनर्वित्त बकाये के भुगतान की वसूली कर रहा है जब कि ये बैंक प्रारम्भ से ही अपने ऋणी सदस्यों को दिये गये ऋण की वसूली कर पाने में असमर्थ रहे हैं। नाबार्ड को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तथा इसे लेटर एण्ड रिपेमेण्ट (बाद में – अन्तिम भुगतान) नीति अपनाते हुए अपने पुनर्वित्त की किश्तों की वसूली एआरडी बैंकों से करनी चाहिये। इस प्रकार का दृष्टिकोण एआरडी बैंकों को अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल वसूली परिस्थितियों का सामना करने के लिये पर्याप्त सहायता मिलेगी तथा नाबार्ड भी जोखिम भागीदारी दृष्टिकोण में सहभागी होगा।

एलटीसीसीएस (दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना) का पुनरुद्धार बहुत अधिक समय से लम्बित रखा गया है जिसके कारण इसकी किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हुई है। सरकार को एलटीसीसीएस (दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना) का वैद्यनाथन कार्यबल ॥ द्वारा संस्तुत किये गये पुनरुद्धार पैकेज को अविलम्ब लागू करा देना चाहिए।

किसानों को ऊंची ब्याज दर पर निवेश ऋण की उपलब्धता, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने फसली ऋणों को वहन करने योग्य दरों पर बनाये रखने के लिये कदम उठाये हैं ब्याज में 3 प्रतिशत के अनुदान दिये जाने के उपरान्त फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक है। राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के बाद कुछ राज्यों में फसली ऋण अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद भी कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिये कृषि निवेश के लिये दिये जाने वाले ऋणों हेतु इनमें से कोई भी उपाय नहीं किये गये हैं। नाबार्ड का बैंको को निवेश साख के लिये पुनर्वित्त सहयोग की 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर अन्तिम ऋणी

सदस्य स्तर पर लागत में वृद्धि के साथ ब्याज दर 12 से 14 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाती है। फसली ऋण एवं निवेश ऋण की ब्याज दरों में बहुत बड़ा अन्तर कृषि निवेश के लिये अत्यन्त हतोत्साहित करने वाला हो गया है।

सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों में कृषि हेतु वितरित ऋण में हुई हानियों को देखते हुये नाबार्ड में दीर्घकालीन ग्रामीण साख के लिये एक कोश का सृजन किया है। नाबार्ड इस कोश का उपयोग निवेश ऋण पुनर्वित्त कम ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि हेतु देने के लिये कर रहा है। तथापि, एससीएआरडी बैंकों को उनके अधिकांश ऋण 5 वर्ष से अधिक लम्बी अवधि के होने के कारण एलटीआरसीएफ से बहुत छोटी धनराशि ही प्राप्त कर पा रहे हैं। एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण के अंश को बढ़ाने के लिये कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर तथा दिनांक 6 मार्च 2019 को अध्यक्ष नाबार्ड से विचार विमर्श के बाद, नाबार्ड ने दीर्घकालीन ऋणों के लिये पुनर्वित्त की अवधि 9 वर्ष के लिये बढ़ाई है तथा एलटीआरसीएफ के साथ आंशिक सहयोग के साथ 5 वर्ष तक चार्ज करेगा, तथा अवशेष अवधि के लिये नाबार्ड सामान्य ऋण पर देय ब्याज को लागू होगा। यह छूट लम्बी अवधि तक एआरडी बैंकों को कुछ सीमा तक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित गुंजाईश देते हुये और अधिक पुनर्वित्त प्राप्त कराने में दीर्घ काल तक जारी रहेगी।

कृषि हेतु वित्त पोषण, विशेष रूप से वर्षा सिंचित

परिस्थितियों में, जिसके अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्र का 63 प्रतिशत क्षेत्र है, में बहुत अधिक जोखिम है। वर्तमान में कृषि वित्त पोषण में जो जोखिम सम्मिलित है, वह ऋणदाता संस्था द्वारा वहन किया जाता है जो उनके उच्चस्तरीय एनपीए का कारण है। एआरडी बैंकों सहित सहकारी साख संरचना में बहुत बड़ी संख्या में संस्थाएं जो मुख्य रूप से छोटे एवं सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं, उनका एनपीए सहनीय स्तर से परे है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजनाओं के क्रियान्वयन अभी भी ऋण वसूली के वातावरण को दूषित कर रही है। कृषि बीमा हेतु सरकार का किसानों को दिये गये समर्थन को फसल बीमा के अतिरिक्त कृषि परिसम्पत्तियों के बीमाकरण के लिये भी दिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी कार्यवाही जिससे वसूली का वातावरण दूषित हो, से भी बचना चाहिए तथा एआरडी बैंकों की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से दूर रहना चाहिए।

संस्थागत ऋणों का बहुत बड़ा भाग भारत के दक्षिण व उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ विकसित राज्यों तक ही पहुंचता है। परिणामस्वरूप कृषि विकास की अपार सम्भावनाओंवाले पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्य पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण समुदायों के मध्य ऋण के असमान वितरण पर ध्यान देना ग्रामीण वित्त पोषण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना – विहंगावलोकन

वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक हैं जिन में प्राथमिक स्तर पर 1806 पीसीएआरडी बैंक/एससीएआरडी बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतया कार्यात्मक है। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,08,19,252 ग्रामीण परिवार जिनमें 39,31,575 पर बकाया अवशेष हैं 31.03.2023 को पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों का कुल ऋण अवशेष तथा अदत्त बकाया क्रमशः ₹21,151.91 करोड़ तथा ₹12,573.86

करोड़ था। पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के पास 31.03.2022 को ₹2,286.38 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2023 तक इन बैंकों की कुल जमा राशि ₹2,313.32 करोड़ थी। इनकी कुल वितरित ऋण राशि गत वर्ष के ₹5,092.22 करोड़ के सापेक्ष 2022-23 के दौरान ₹5,426.54 करोड़ थी। इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष के 36.08% की तुलना में 40.59% (31 मार्च 2023 तक) रही।

विगत 2 वर्षों का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष के दौरान	
		2021-22	2022-23*
1.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या		
	i. पूर्णतः कार्यात्मक	13	13
	ii. अन्य	3	3
2.	निस्सरण केन्द्रों का संजाल		
	i. एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं	657	657
	ii. पर्यवेक्षी इकाइयां	43	45
	iii. पीसीएआरडी बैंक और उसकी शाखाएं	1,102	1,104
	योग	1,802	1,806
3.	व्यक्तियों की सदस्यता	1,07,45,776	1,08,19,252
4.	ऋणी सदस्यता	41,53,300	39,31,575
5.	बकाया ऋण	21,124.35	21,151.91
6.	वितरित ऋण	5,092.04	5,426.54
7.	अदत्त उधार राशियां	13,378.88	12,573.86
8.	अदत्त जमा	2,286.38	2,313.32
9.	31 मार्च को ऋण वसूली स्थिति		
A.	अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर	2021-22	2022-23
	i. मांग	16,168.77	16,690.13
	ii. ऋण वसूली	5,833.64	6,775.10
	iii. अवशेष	10,334.91	9,915.03
	iv. ऋण वसूली प्रतिशत	36.08	40.59
B.	एससीएआरडी बैंक स्तर पर	2021-22	2022-23
	i. मांग	14,095.83	13,965.82
	ii. ऋण वसूली	5,998.44	6,177.39
	iii. अवशेष	8,097.17	7,788.44
	iv. ऋण वसूली प्रतिशत	42.55	44.23
10.	लाभ की धनराशि	150.89	280.43
	लाभ अर्जित करने वाली बैंकों की संख्या	10	10
11.	हानियों की धनराशि	72.18	42.08
	हानि अर्जित करने वाली बैंकों की संख्या	3	3
12.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i. एससीएआरडी बैंक स्तर पर	4,219	4,431
	ii. पीसीएआरडी बैंक स्तर पर	4,202	4,004
	योग	8,421	8,435

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) में मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य स्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप इन्हें ऋण वितरण के लिये भारी मात्रा में उधारीकृत निधियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यों के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यों के दीर्घकालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों दीर्घकालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्रोत है।

तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुनर्वित्त सहयोग शनैः शनैः कम होता जा रहा है। इससे एएससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एएससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा आरम्भ किये गये जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित पुनर्वित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर

सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को स्थगित करना पड़ा था। एएससीएआरडी बैंक 0.25 प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक गारण्टी शुल्क वहन कर रहे हैं। इस प्रकार, प्रभावपूर्ण ढंग से एआरडी बैंकों की व्यवहार्यता को प्रभावित करते हुये उनकी उपलब्ध लाभ की सीमान्तता को निरन्तर कम किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों की निवेश ऋण में भागीदारी को बढ़ाने के लिये श्री वाइ. सी. नन्दा की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने एएससीएआरडी बैंको को उनकी भारमुक्त गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियों तथा अन्य गुणात्मक मापदण्डों के आधार पर बिना गारण्टी अथवा जमानत के पुनर्वित्त दिये जाने हेतु पुनर्वित्त की एक नई व अतिरिक्त प्रणाली सृजित करने हेतु नाबार्ड को संस्तुति की है।

दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन उत्पादन ऋण/कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम रहना, एआरडी बैंकों की कार्यपद्धति एक अन्य दूसरा प्रमुख दोष रहा है। अधिनियम में प्रतिबन्ध होने के कारण, सामान्य तौर पर एएससीएआरडी बैंक, अभी हाल ही तक अल्पकालीन उद्देश्य हेतु ऋण वितरित कर पाने में असमर्थ थे। हाल के वर्षों में, अधिकांश राज्यों में एआरडी बैंक अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को भी सदस्यों के जमा संग्रहण से अर्जित कोष तथा एनसीडीसी से अल्पकालीन पुनर्वित्त व बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तथापि, एआरडी बैंक अभी भी फसली ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर देने में असमर्थ हैं क्योंकि भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना को एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।

भारी बकाया तथा शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हानि, लेन-देन और जोखिम लागत में पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अवधि तथा योजना के अन्तर्गत खारिज किये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति किये बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना

के क्रियान्वयन के कारण 90 के दशक से संरचना के संस्थानों में वित्तीय निष्पादन में गिरावट आना शुरू हो गई। वस्तुतः उपर्युक्त कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को भी भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जबकि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं की हानियां सरकार की अनेक पुर्ननिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरित कर दी गई, किन्तु कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) की हानियों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। यद्यपि दीर्घकालिक ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिये प्रोफेसर वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल-2 ने, जिसमें एआरडी बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2006 में एकबार सहायता के लिये पुनरुद्धार पैकेज दिया जाना सम्मिलित है, की सिफारिश की जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सका है।

पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में अनपेक्षित विलम्ब ने अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की इस संरचना की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद यह संरचना अभी भी प्रासंगिक है जिसे कृषि ऋण के कुल प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई तीव्र गिरावट को रोकने के लिए सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार में एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में कृषि में प्रभावी ढंग से पूँजी निर्माण पर केन्द्रित वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाले आत्म-निर्भर सदस्य संचालित संस्थान में रूपान्तरण किया जाना सम्मिलित है।

वसूली की निरन्तर बिगड़ती स्थितियां एआरडीबैंकों के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती है। बुनियादी स्तर पर कुल औसत ऋण वसूली कुछ वर्षों से 50 प्रतिशत के आस-पास ही बनी हुई है। यद्यपि भूमि बंधक किए जाने से ऋण

सुरक्षित हैं किन्तु कुछ राज्यों में कृषि भूमि के विक्रय के द्वारा वसूली करना कठिन है। संरचना की निवेश ऋण के साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी ऋण दे पाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप उन ऋण लाभार्थियों को जो दूसरी अन्य संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण नहीं ले पाते हैं, को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जिन एआरडी बैंकों ने अल्पकालीन ऋण और बचत खाता सुविधायें प्रारम्भ नहीं की हैं, वे अपने ऋण लाभार्थियों से नियमित सम्पर्क बना पाने में असमर्थ हैं जो ऊंची दरों की ऋण वसूली के लिए आवश्यक है। यद्यपि ऋण माफी एक बार के उपाय के रूप में की जाती है किन्तु यही भविष्य में आगे ऋण माफ हो जाने की अपेक्षाओं को भी बढ़ाती है किन्तु इससे कृषि ऋण व्यवस्था, जो संसाधनों के पुनार्वर्तन के बिना कार्य नहीं कर सकती, पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से कोविड 19 वैश्विक महामारी ने एआरडी बैंकों की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। अप्रैल-जून 2020-21 के ऋण वसूली सत्र के साथ रबी की फसलों की कटाई के दौरान लॉकडाउन तथा ऋण स्थगन ने सामान्यतया एआरडी बैंकों को हानि पहुंचाई। यद्यपि, ऋण स्थगन को ऋणी सदस्यों द्वारा देय किशतों की अवधि को बढ़ा दिया गया था किन्तु एससीएआरडी बैंको द्वारा नाबार्ड को भुगतान की जाने वाली किशतों के लिए कोई अधिस्थगन नहीं था। ऋण अधिस्थगन में इस विसंगति के कारण नाबार्ड की मांग को पूरा करने के लिए कई राज्यों में एससीएआरडी बैंकों को महंगा अल्पकालिक ऋण लेना पड़ा। बाद में, नाबार्ड द्वारा कुछ बैंकों को ऐसी देनदारियों का भुगतान करने के लिए विशेष चलनिधि सहायता प्रदान कराई गई। 2020-21 से नाबार्ड द्वारा विशेष चलनिधि सहायता एससीएआरडी बैंको को भी दिए जाने हेतु सम्मिलित कर लिये जाने से संरचना की तरलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, अधिकांश राज्यों में ऋण वसूली अभी भी पूर्व वैश्विक महामारी स्तर पर वापस

नहीं आई है।

नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के समक्ष उठाए गये मुद्दे

नाबार्ड

1. बिना शासकीय गारण्टी वाला वित्तीय सामर्थ्य एवं उपलब्धि के आधार पर एससीएआरडी बैंकों के लिए एक नवीय पुनर्वित्त संसाधन प्रस्तुत करना।
2. शासकीय गारण्टी की शर्त हटाने के लिए नाबार्ड अधिनियम में संशोधन करना तथा एमएससीएस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एआरडी बैंक को पुनर्वित्त उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान करना।
3. बैंक के नियंत्रण से परे के कारणों से कृषि ऋणों के पुनर्भुगतान में कमी को दूर करने के लिए पुनर्वित्त संवितरण तिथि तथा प्रथम मूलधन पुनर्भुगतान के मध्य 2 वर्ष के अन्तराल की अनुमति देना।
4. एससीएआरडी बैंकों हेतु निर्धारित राज्य सहकारी बैंकों के लिए अतिरिक्त मौसमी कृषि कार्यों हेतु आवंटन के साथ राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से एआरडी बैंकों को मौसमी कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को दिशा देना।
5. पुनर्वित्त पात्रता के लिए नाबार्ड निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित करेगा :-
 - i) लम्बी अवधि के ऋणी सदस्यों को उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने लिए चक्रीय ऋण सीमा का निर्धारण।
 - ii) दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने वाले उन ऋणी सदस्यों को, जिनकी समस्त कृषि भूमि एआरडी बैंक में बन्धक है उनके बच्चों को शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराना।

iii) विवाह जैसे परिवारिक आयोजनों के लिए ग्रामीण परिवारों के बड़े एकमुश्त व्ययों के अनौपचारिक स्त्रोंतो पर निर्भरता से बचाने के लिए उनकी भावी आय से ऐसे बड़े व्ययों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए।

iv) ग्रामीण घरेलू ऋण का एक बड़ा भाग गैर-संस्थागत स्त्रोंतों से आता है। गैर-संस्थागत ऋण को संस्थागत ऋण में स्थानान्तरित करना उनके आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक है।

भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक

सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों के साथ निम्नांकित मुद्दें उठाए गये :-

- i) एआरडी बैंको का कंप्यूटरीकरण – फेडरेशन के साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के साथ आहूत संयुक्त बैठकों में लिए गये निर्णयों के आधार पर फेडरेशन ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा योजना के अन्तिम अनुमोदन किए जाने की प्रतीक्षा है।
- ii) एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स दिया जाना— सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, नाबार्ड, नेफकार्ड तथा एससीएआरडी बैंक गुजरात के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स को लागू करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एससीएआरडी बैंकों को लाइसेन्स दिये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित करने का अनुरोध किया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तीन माह के अन्दर मानदण्ड निर्धारित किये जाने की आशा है।
- iii) फसल ऋण ब्याज अनुदान योजना की सुविधा को एआरडी बैंको तक विस्तारित किया जाना

सहकारिता मंत्रालय ने इस संदर्भ को कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय (एमओ एण्ड एफडब्लू) के साथ उठाया है। एमओ एण्ड एफडब्लू का निर्णय प्रतीक्षित है।

iv) एआरडी बैंकों की जमाराशियों को निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारण्टी निगम (डीआईसीजीसी) से

आच्छादित किए जाना – सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा डीआईसीजीसी के साथ उक्त मुद्दा उठाया है।

v) एआरडी बैंको को सिबिल ट्रांसयूनियन सदस्यता-सहकारिता मंत्रालय ने सिबिल ट्रांसयूनियन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखा है।

वर्ष के दौरान प्रमुख विकास गतिविधियों की प्रमुखताएं

एआरडी बैंकों का सम्मेलन 2022 – प्रमुख संस्तुतियां

फेडरेशन ने एआरडी बैंको के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन, 16 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास श्री बी. एल. वर्मा, आईसीए-एपी के अध्यक्ष एवं कृषको के सभापति श्री दिलीप सिंघानी, श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव (सहकारिता), डाक्टर बिजेंदर सिंह, अध्यक्ष नेफेड, श्री के. रविन्द्र राव, अध्यक्ष नेफसकॉब ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। सम्मेलन में संरचना के पूरे देश से 850 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पूर्वान्ह में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के उपरान्त 'एलटीसीसीएस' के पुनरुद्धार के लिए दिशा निर्देश' विषय पर तकनीकी सत्र सम्पन्न हुआ जिसमें निम्नांकित महानुभावों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं :-

1. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबी फेडरेशन
2. श्री डी. एन. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती
3. श्री आर. के. कुलश्रेष्ठ, प्रबन्ध निदेशक उत्तरप्रदेश एसजीवीबी

4. श्री परमिन्दर पाल सिंह, प्रबन्ध निदेशक पंजाब एससीएडीबी का प्रतिनिधित्व श्री जगदीप घई, उप महाप्रबन्धक, पंजाब एससीएडीबी ने किया।

5. श्री वी. एम. चौधरी, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, गुजरात एससीएआरडीबी

6. श्रीमती सिन्धु आर. नायर, महा प्रबन्धक, केरल एससीएआरडीबी।

खुले मंच में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों तथा विचार विमर्ष के आधार पर सम्मेलन की संस्तुतियों को अंतिम रूप दिया गया। संस्तुतियों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:-

- सरकार संरचना में विद्यमान संस्थानों को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करने के लिए तत्काल उपाय करेगी। चूंकि संरचना केवल 16 राज्यों में अस्तित्व में है, अतः अन्य राज्यों में किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहु-राज्यीय एआरडीबी की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा अच्छा कार्य कर रहे एससीएआरडी बैंक अपने पड़ोसी राज्यों, जहां एससीएआरडी बैंक अस्तित्व में नहीं है, की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को बहु-राज्य राज्य सहकारी एआरडी बैंक में परिवर्तित करने पर भी विचार कर सकते हैं। नाबार्ड को

तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, आसम, जम्मू तथा कश्मीर एवं त्रिपुरा राज्यों में पुनर्वित्त सुविधा पूर्ववत् स्थापित कर देने की आवश्यकता है तथा पुनर्वित्त सहायता के पुनरुत्थान करने के लिए इन एससीएआरडी बैंकों द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक शर्तें निर्दिष्ट करनी चाहिए।

- दीर्घकालीन वित्त पोषण को सफल तथा स्थाई बनाने के लिए फेडरेशन तथा एससीएआरडी बैंकों को प्रत्येक राज्य हेतु अपने संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना तथा उसे कार्यान्वित करनी होगी।
- नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंको को बिना गारण्टी पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करानी चाहिए।
- जैसा कि नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री वाई सी नन्दा की अध्यक्षता में गठित निवेश ऋण में एआरडी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु गठित कार्यदल ने अनुशांसा की है कि नाबार्ड को पुनर्वित्त संवितरण तिथि तथा नाबार्ड द्वारा पहली मूल मांग के मध्य दो साल का अंतराल भी देना चाहिए ताकि वसूली एवं पुनर्भुगतान मांग के मध्य के असंतुलन को कम किया जा सके जिसका सामना एआरडी बैंकों को स्थायी आधार पर करना पड़ रहा है।
- केन्द्र सरकार की फसल ऋण पर ब्याज अनुदान योजना तथा ऋण में अनुदान दिये जाने से सम्बन्धित अन्य योजनाओं का विस्तार एआरडी बैंक के लिए भी किया जाना चाहिए।
- ट्रांस यूनिजन सिबिल सदस्यता के लिए एआरडी बैंकों को भी दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए जोकि क्रेडिट अनुपात कम्पनियों के डेटाबेस तथा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट में एआरडी बैंकों द्वारा दिए गये ऋण को सम्मिलित करने में सहायक होगा।

- एआरडी बैंकों की जमा राशि के बीमा आच्छादन को बढ़ाने के लिए प्रावधान को डीआईसीजीसी अधिनियम में सम्मिलित किया जा सकता है।
- एआरडी बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश के लिए केन्द्र सरकार की योजना जो 2017-18 चलन में थी, उसे पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण सहकारी साख समितियों के कम्प्यूटीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार एआरडी बैंकों को भी सम्मिलित कर सकती है।
- जैसा कि कपूर समिति (1999) तथा वैद्यनाथन कार्यदल- II (2006) द्वारा अनुशांसित किया गया है— भारतीय रिज़र्व बैंक को एआरडी बैंकों को पूर्ण बैंक का लाइसेन्स देने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना चाहिए।

प्रमुख संस्तुतियां

1. दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार एवं कृषकों को दीर्घ कालीन वित्त सुविधा को आगे बढ़ाना

माननीय मंत्री महोदय ने अपने सम्बोधन में किसानों की आय प्रत्येक पांच वर्ष में दोगुनी करने के प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए सिंचाई तथा अन्य कृषि की अवसंरचना के विकास के लिए किसानों को दीर्घकालीन वित्त सुविधा बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सहकारी साख संरचना के पुनरुत्थान तथा उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम राज्यों में दीर्घकालीन ऋण संरचना समाप्त हो गई है अथवा निष्क्रिय हो गई है। इसी प्रकार, तमिलनाडु, हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर में एससीएआरडी बैंकों, पुनर्वित्त अनुपलब्धता के कारण ऋण वितरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे

पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित शासकीय गारण्टी सहित अनेक शर्तों को पूरा करवाने में असमर्थ हैं।

उपयुक्त पृष्ठभूमि पर सम्मेलन ने किसानों की दीर्घकालीन वित्त पोषण में वृद्धि के लिए एलटीसीसीएस के पुनरुत्थान के लिए निम्नांकित संस्तुतियां कीं :-

- (i) उन राज्यों में, जहां एलटीसीसीएस वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं, किसानों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान कराने हेतु एक नए बहु-राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन एवं अपने सन्निकट उन राज्यों की दीर्घ कालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां एलटीसीसीएस अस्तित्व में नहीं हैं अथवा निष्क्रिय हैं, को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छे काम करने वाले कुछ एससीएआरडी बैंक को बहु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में रूपान्तरित करना।
- (ii) इस परिप्रेक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय एवं एनसीएआरडीबी फेडरेशन संयुक्त रूप से कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं।
- (iii) वर्तमान में निम्नांकित राज्य नाबार्ड से पुनर्वित्त सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं:-
 1. तमिलनाडु
 2. हरियाणा
 3. उड़ीसा
 4. बिहार
 5. आसाम
 6. जम्मू-कश्मीर
 7. त्रिपुरा
 - नाबार्ड को पुनर्वित्त सहायता पुनर्स्थापित करने के लिए इन एससीएआरडी बैंकों द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक शर्तें निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

- (iv) सहकारिता मंत्रालय नाबार्ड की पुनर्वित्त की पात्रता के लिए तथा किसानों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा पुनः प्रारम्भ कराने के लिए इन एससीएआरडी बैंकों को आवश्यक सहायता प्रदान कराने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध कर सकता है।
- (v) फेडरेशन तथा सम्बन्धित एससीएआरडी बैंक प्रत्येक राज्य के लिए, अपनी दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था को सफल तथा दीर्घकालिक बनाये रखने हेतु गतिविधियों में सुधार करते हुए कार्ययोजना तैयार करे तथा लागू करें। प्रस्तावित कार्य योजना ऋण वितरण व्यवसाय सफल तथा स्थाई बनाने हेतु निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है।-
 - सुदृढ़ ऋण पर्यवेक्षण तथा समय से पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर आधारित समूह ऋण वितरण के प्रभावों का लाभ उठाना।
 - कृषि अवसंरचना में निवेश को कुशल एवं व्यवहार्य बनाने के लिए स्थानीय आधारित कृषक सहकारी समितियों/एफपीओ का गठन।
 - किसानों को उनके लाभ को बढ़ाने तथा ऐसी गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु उत्पादन के बाद मूल्य श्रृंखला गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना।
 - सुरक्षाउन्मुख ऋण के स्थान पर जोखिम पार्श्वदृश्य तथा क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख कर ऋण मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
 - किसी एकल फसल या गतिविधिके वित्तपोषण के स्थान पर स्थाई आधार पर उसके वित्तीय सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए घर के सभी आय सृजन के मार्ग विकसित करने के लिए दीर्घकालीन वित्त विस्तार करना।
 - आदर्श वसूली नीति के आधार पर पुनर्भुगतान/वसूली प्रणाली को सुव्यवस्थित तथा मजबूत करना।

- व्यवसाय विस्तार के अनुरूप गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाना।
- नवीन कार्यप्रणाली को अपनाना जैसे—पहुंच की सीमा को व्यापक और गहन बनाने के लिए कार्य सक्षम क्षेत्रों में एकल संचालित शाखा/उप कार्यालय बनाना, व्यवसाय विस्तार के लिए उपलब्ध कर्मचारियों को सुविधाये प्रदान करने के वैकल्पिक दिवसों में शाखा परिचालन करना।
- इन राज्यों में, जहां एआरडी बैंको की संरचनायें मौजूद नहीं हैं अथवा वर्तमान समय में सक्रिय नहीं हैं, वहां बहु-राज्यीय सहकारी एआरडी बैंक स्थापित करना। फेडरेशन तथा सहकरिता मंत्रालय संयुक्त रूप से इस परिप्रेक्ष्य में पहल कर सकते हैं।
- सदस्यों के जमा संग्रहण के द्वारा वृद्धोन्मुख दर पर आंतरिक संसाधनों को बढ़ाना।

2. नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियों में सुधार

नाबार्ड द्वारा एआरडी बैंकों को वर्तमान में पुनर्वित्त सहयोग निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूरा किये जाने के अधीन मिल पाता है।

- शासकीय गारण्टी तथा सरकार द्वारा गारण्टी विलेख का निष्पादन।
- जोखिम आंकलन पैमाने में एससीएआरडी बैंकों को या तो कम अथवा मध्यम जोखिम आधारित श्रेणी में होना चाहिए।
- सम्प्रेक्षा वर्गीकरण 'ए' अथवा 'बी' वर्ग होना चाहिए।
- एआरडी बैंकों द्वारा निर्गत सभी ऋण भूमि के बन्धक बनाये जाने से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि पुनर्वित्त प्रभावी बन्धक निष्पादन से जुड़े हैं।
- पुनर्वित्त मानक परिसम्पत्तियों से सुरक्षित होने चाहिए।

- एआरडी बैंकों से जोखिम प्रीमियम के लिए, जो कम जोखिम श्रेणी में नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज लिया जाना, उचित नहीं है क्योंकि एआरडी बैंक पहले से ही नाबार्ड के जोखिम प्रमाणित करने के लिए सरकार को गारण्टी शुल्क भुगतान कर रहे हैं।

यद्यपि, नाबार्ड ने समय के साथ जोखिम मूल्यांकन के गुणात्मक मानदण्ड प्रस्तुत किए, पुनर्वित्त पात्रता को सम्प्रेक्षा वर्गीकरण के साथ जोड़ा, पुनर्वित्त को मानक सम्पत्तियों और प्रभावी बन्धक आदि के साथ जोड़ा लेकिन शासकीय गारण्टी की स्थिति में कोई शिथिलता नहीं लाई गई।

शासकीय गारण्टी का एकमात्र विकल्प पुनर्वित्त के 125 की सीमा तक सावधि जमा रसीदों को बन्धक रखना है जो एआरडी बैंकों, जिनके पास संसाधन नहीं हैं, के लिए व्यवहार्य विकल्प नहीं है। अधिकांश राज्य सरकारें शासकीय गारण्टी की सीमा के कारण आवश्यक सीमा तक अतिरिक्त गारण्टी दे पाने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, एआरडी बैंक परिक्षेत्रको अब नाबार्ड के कुल वार्षिक पुनर्वित्त सहयोग का मात्र 5 प्रतिशत से भी कम मिल रहा है, जो 20 वर्ष पहले 50 प्रतिशत से अधिक हुआ करता था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में दीर्घकालीन ऋणों की अधूरी मांग का भारी संचित कार्य हो गया है। एआरडी बैंकों की वर्तमान ऋण निर्गमन क्षमता तथा ऋण की मांग के आधार पर, नाबार्ड द्वारा पात्रता मानदण्डों में छूट दिये जाने तथा कम्प्यूटरीकरण परिचालन व्यवस्था के अधीन, एआरडी बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण आगामी पांच वर्षों में पांच गुना बढ़ाया जा सकता है।

सम्मेलन में, उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर ये संस्तुति की कि—

- (i) नाबार्ड को एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिए शर्तों में छूट देने तथा जोखिम मूल्यांकन, सम्प्रेक्षा वर्गीकरण आदि के गुणात्मक मानदण्डों को पूरा करने वाले बैंकों के लिए, जबकि पुनर्वित्त मानक परिसम्पत्तियों एवं प्रभावी बन्धक द्वारा सुरक्षित होता है, शासकीय गारण्टी की शर्त को समाप्त करने की आवश्यकता है।

- (ii) एआरडी बैंकों द्वारा खराब ऋण वसूली बहुत सीमा तक दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक उत्पादन एवं आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में उनकी असमर्थता से जुड़ी हुई हैं। अधिकांश कृषकों के लिए, भूमि ही एकमात्र ऐसी सम्पत्ति है, जिसके सापेक्ष ऋण लेना सम्भव है। चूंकि उनकी कृषि योग्य भूमि पहले से ही एआरडी बैंक के पास बन्धक हैं, वे सामान्यतया अन्य आवश्यकताओं के लिए अन्य एजेन्सियों से ऋण ले पाने में असमर्थ रहते हैं।
- (iii) कुछ राज्यों में एससीएआरडी बैंको ने दीर्घ अवधि के ऋणी सदस्यों के लिए नकद ऋण सीमा प्रारम्भ की, जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति उपयोग में सुधार तथा ऋण वसूली में महत्वपूर्ण सुधार के कारण किसानों को अधिक प्रतिफल मिला। नाबार्ड को दीर्घकालीन ऋण के ऋणी सदस्यों के लिए उनके ऋण की दीर्घ अवधि के अन्तराल में चक्रीय आधार पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने हेतु एक वांछनीय उद्देश्य के रूप में नकद ऋण सीमा को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
- (iv) फेडरेशन द्वारा श्री वाई.सी.नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष नाबार्ड, की अध्यक्षता में गठित निवेश ऋण में एआरडी बैंकों के अंश बढ़ाने हेतु कार्यसमूह ने सामाजिक राजनैतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल वसूली परिस्थितियोंका सामना करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के लिए एआरडी बैंकों द्वारा नाबार्ड की पुनर्वित्त किस्तों का पुनर्भुगतान अन्तिम बाद में (लेटर-एण्ड रिपेमेण्ट) कराये जाने का सुझाव दिया। तदनुसार, फेडरेशन ने ऋण वसूली तथा पुनर्भुगतान के मध्य असन्तुलन की स्थिति को कम करने के लिए, जिसका सामना एआरडी बैंक स्थायी आधार पर कर रहा है, पुनर्वित्त वितरण तिथि तथा मूलधन की पहली मांग, के मध्य दो वर्ष के अन्तराल का अवसर दिया जाना प्रस्तावित किया। नाबार्ड

को श्री वाई.सी. नन्दा, कार्यकारीदल आख्या की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

3. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से नीतिगत समर्थन

(i) नाबार्ड के बोर्ड में ग्रामीण सहकारी साख संरचना का प्रतिनिधित्व

सहकारी समितियों के संदर्भ में नाबार्ड की नीतियों में वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए सरकार नाबार्ड बोर्ड में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों साख संरचनाओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने पर विचार कर सकती है।

- (ii) कृषि ऋण में अन्य ऋण उत्पादों की तुलना में उच्च जोखिम शामिल होता है। ग्रामीण ऋण प्रणाली के अन्तर्गत कृषि वित्त पोषण में सम्पूर्ण जोखिम ऋण देने वाली संस्थाओं के द्वारा वहन किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिकूल इन संस्थाओं के पास कृषि ऋण देने में उच्च जोखिम लागत को पार करने के लिए पर्याप्त गैर-कृषि पोर्टफोलियों नहीं है।

इस संदर्भ में सम्मेलन में दीर्घकालिक वित्त पोषण में एआरडी बैंकों के ऋण वितरण जोखिम का सामना करने हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं:-

V 1/2 नाबार्ड सहित कृषि ऋण वितरण में सम्मिलित सभी एजेन्सियों द्वारा कृषि ऋण देने में ऋण जोखिम साझा करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

C 1/2 ऋणी सदस्यों, ऋण दाता पुनर्वित्त प्रदान करने वाला एवं सरकार के योगदान से एक जोखिम कोष का सृजन।

I 1/2 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अनुरूप कृषि

परिसम्पत्तियों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना का शुभारम्भ।

- (iii) फसल तथा अन्य सम्बद्ध ऋण माफी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की ब्याज माफी योजना अब केवल बैंकिंग लाइसेन्स वाली ऋण देने वाली संस्थाओं (नियमित बैंकों) को ही उपलब्ध हैं। एआरडी बैंकों के ऋणी सदस्यों को भी लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं को विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- (iv) ट्रांस यूनियन सिबिल सदस्यता से एआरडी बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों को क्रेडिट रेटिंग कम्पनियों के डेटाबेस तथा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट में भी शामिल करने में मदद मिलेगी। तथापि, एआरडी बैंकों को वर्तमान में ट्रांस यूनियन सदस्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक से निर्गत लाइसेन्स नहीं हैं।
- (v) एआरडी बैंकों की जमा राशि के बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रावधान को डीआईसीजीसी अधिनियम में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (vi) एआरडी बैंकों के ऋणपत्रों में राज्य सरकारों के साथ मिलान के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निवेश की एक योजना 2017-18 तक लागू रही। इस योजना को इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन के साथ बहाल किया जा सकता है। इससे एआरडी बैंकों को नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता में कमी को काफी हद तक पूरा करने में मदद मिलेगी।
- (vii) सरकार वर्तमान में पूर्णतः क्रियाशील न होने वाले एससीएआरडी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यकता आधारित महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी।
- (viii) सरकार ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को

कम्प्यूट्रीकृत करने की योजना में एआरडी बैंकों को भी सम्मिलित करने पर विचार कर सकती है।

- (ix) केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन को राज्य स्तर पर कानूनी तथा नीतिगत सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता से जोड़ा जा सकता है।
- (x) एआरडी बैंकों को पूर्ण बैंक में रूपान्तरित करना :— बाहरी संसाधनों पर निर्भर हुए बिना अपने सदस्यों की सम्पूर्ण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एआरडी बैंकों को पूर्ण बैंकिंग संस्थानों में रूपान्तरित करने की आवश्यकता है। आरबीआई को कपूर समिति (1999) तथा वैद्यनाथन टास्क फोर्स II (2006) द्वारा अनुशासित एआरडी बैंक को पूर्ण बैंक के रूप में लाइसेन्स देने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता है।

एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण

एआरडी बैंकों में प्रौद्योगिकी अनुसरण की गति बहुत धीमी रही है। इसका प्रारम्भ लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था जब फेडरेशन ने एनआईसी के साथ सहयोग किया था जिसने विशेषरूप से एआरडी बैंकों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था। इसके बाद पंजाब, कर्नाटक, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में एससीएआरडी बैंकों ने कम्प्यूट्रीकरण के लिए एनआईसी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। अधिकांशतः अन्य पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकें ने भी लगभग उसी समय कम्प्यूट्रीकरण के लिए निजी प्रदाताओं को नियुक्त किया। तथापि, तकनीकी मुद्दों तथा अनुकूलन डेटा माइग्रेशन अनुमोदन आदि में देरी के कारण अधिकांश राज्यों में कम्प्यूट्रीकरण प्रारम्भ नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, आज तक कोई भी एससीएआरडी बैंक पूर्णतः कम्प्यूट्रीकृत नहीं है। यद्यपि उनमें से कुछ आंशिक रूप से कम्प्यूट्रीकृत हैं। तथापि, उन राज्यों में भी कम्प्यूट्रीकरण सामान्य सॉफ्टवेयर पर आधारित नहीं हैं जो संचालन एवं लेखा प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कम्प्यूट्रीकरण के

परिचालन की दक्षता, सेवाओं में गुणवत्ता एवं उत्पाद वितरण में सुधार करने तथा पहुंच का विस्तार करने तथा ऋण वितरण में वांछित वृद्धि पाने में भी सहायक होगी।

एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 ने उपर्युक्त संदर्भ में, एआरडी बैंकों के कम्प्यूट्रीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार से सम्पर्क करने की संस्तुति की। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर, फेडरेशन ने वर्तमान में कार्यान्वयन के अन्तर्गत पैक्स के कम्प्यूट्रीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित परियोजना के अनुरूप एआरडी बैंकों के कम्प्यूट्रीकरण के लिए सहकरिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सहकरिता मंत्रालय ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है तथा इस विषय पर नाबार्ड और नाफकार्ड के साथ तीन संयुक्त बैठकें आहूत की जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये:—

(i) एआरडी बैंकों का कम्प्यूट्रीकरण एक सामान्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। पैक्स के लिए विकसित सामान्य सॉफ्टवेयर में एआरडी बैंकों द्वारा किए गए सभी क्रेडिट एवं गैर-क्रेडिट परिचालन एवं उधार, जमा, निवेश, वसूली, एचआरएम आदि के सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक माड्यूल भी सम्मिलित हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पैक्स के लिए विकसित सामान्य सॉफ्टवेयर अनुकूलन के साथ एआरडी बैंक को भी उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्स के सामान्य सॉफ्टवेयर को अपनाने से भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सॉफ्टवेयर में बदलाव की सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार के पास इसका स्रोत कोड है जिसे नाबार्ड के नियंत्रण में रखा गया है। एआरडी बैंकों को पहले पांच वर्षों के दौरान डेटासेण्टर और सॉफ्टवेयर रखरखाव सहित हैण्ड होल्डिंग समर्थन भी दिया जाएगा।

(ii) नाबार्ड क्रियान्वयन एजेन्सी होगा।

(iii) 13 पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंक के नेटवर्क में 1851 इकाइयां (जिसमें 1712 फुटकर इकाइयां, एससीएआरडी बैंकों की 619 शाखाएं, 606 पीसीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक की 487 शाखाएं, 126 पर्यवेक्षी इकाइयां, तथा 13 मुख्यालय सम्मिलित हैं), का कम्प्यूट्रीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

(iv) कम्प्यूट्रीकरण योजना में सम्मिलित घटक एवं अनुमोदित इकाई लागत निम्नवत है:—

अ. हार्डवेयर एवं सहायक उपकरण	: ₹1,22,158
ब. डिजिटलीकरण एवं समर्थन प्रणाली	: ₹1,86,910
क. सॉफ्टवेयर एवं डेटा सेक्टर का अनुकूलन	: ₹72,103
ड. प्रशिक्षण	: ₹10,198
ई. प्रशासनिक लागत एवं आनुशंगिकताएं (योग)	: 1.46 करोड़

(v) हार्डवेयर तथा सहायक उपकरण एवं डिजिटलीकरण (उपरोक्त अंकित मद संख्या अ और ब) की लागत क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा सम्बन्धित एआरडी बैंक के मध्य 45:30:25 के अनुपात में साझा की जाएंगी। अन्य सभी लागत (मद संख्या क, ड और ई) केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएंगी।

(vi) विभिन्न स्तरों पर हार्डवेयर और सहायक उपकरणों की आवश्यकता का अन्तिम अनुमान नीचे दिया गया है:—

1. खुदरा केन्द्र एससीएआरडी/पीसीएआरडी/पीसीएआरडी बैंकों की शाखाएं	: 2 प्रति
2. पर्यवेक्षक इकाइयां	: 3 प्रति
3. मुख्यालय (औसत)	: 25 प्रति

प्रधान कार्यालय में व्यवसाय की मात्रा तथा औसत

दैनिक लेन-देन के आधार पर वास्तविक पात्रता।
सरकार द्वारा योजना का अन्तिम अनुमोदन प्रतीक्षित।

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा अपने सम्भाषण के दौरान उठाए गये बिन्दु।

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एआरडी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में अपने उद्घाटन भाषण में कुल कृषि ऋण प्रवाह में दीर्घ कालीन एवं अल्पकालीन ऋण के मध्य बढ़ते असंतुलन का उल्लेख किया। कृषकों को निर्गत संस्थागत ऋण में प्रभावशाली वृद्धि अंकित कराते हुए 1999-2000 में 46000 करोड़ से 2021-22 में बढ़कर लगभग 16 लाख करोड़ हो गया है। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कृषि ऋण में दीर्घकालीन घटक का अनुपात 50 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत से भी कम होगया है। इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय ने एससीएआरडी बैंक के दीर्घकालीन वित्त के लिए गतिविधियों के विविधीकरण के दायरे तथा कृषि ऋण प्रवाह में निवेश ऋण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण संरचना के लिए एक संयुक्त वित्त प्रणाली का उल्लेख किया। फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल ने, जिसमें राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा कुछ राज्यों के राज्य सहकारी बैंक, जिनके पास दीर्घकालीन वित्त के लिए अलग संरचना नहीं है, के अध्यक्ष सम्मिलित हैं, सदस्य बैंकों को श्री अमित शाह के सुझाव को लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव दिया। फेडरेशन ने बाद में इन योजनाओं, जो शीघ्र ही अप्रैल 2023 में आरम्भ होने जा रही हैं, को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किये हैं। प्रबन्ध मण्डल ने पाया कि बढ़ते खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के तथा किसानों की आय बढ़ाने के दोनों कारणों के लिए कृषि निवेश में उच्च दर की आवश्यकता है।

गरीबी और भुखमरी के पूर्ण उन्मूलन के लिए दीर्घ अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से अधिक बनाए रखने के लिए कृषि के लिए उच्च विकास दर

भी आवश्यक है। प्रबन्धन मण्डल ने संसाधन दक्षता, पर्यावरण स्थिरता तथा जलवायु अनुकूलन बनाए रखने के लिए कृषि में हरित वित्त पर भी विचार किया। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा प्लास्टिक के उपयोग में कमी/उन्मूलन के लिए कृषि प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ वित्त पोषण भी किया जाना चाहिए। कृषि मूल्य श्रृंखला के साथ सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को महत्व देने एवं कृषि ऋण निर्गमन में अन्य जोखिमों का प्रबन्धन करने के लिए ऋण वितरण नीतियों में पुनः सुधार करने की भी आवश्यकता है। ग्रामीण परिवारों के वित्त पोषण के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। ग्रामीण परिवार आज विभिन्न प्रकार की कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न जटिल आर्थिक इकाइयां हैं। फसल आधारित अथवा गतिविधि आधारित ऋण देने की वर्तमान प्रणाली प्रायः उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होतीं हैं। बैंकों को उनके वित्त पोषण के लिए समग्र विकास क्षमता के आधार पर समग्र ऋण उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है। इससे उन्हें दुष्कर प्रलेखीकरण प्रक्रिया तथा विभिन्न एजेन्सियों की सम्पार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों से बचने में सहायता मिलेगी तथा विभिन्न एजेन्सियों से ऋण प्राप्त करने में उच्च लेन-देन लागत भी बचेगी।

यह भी देखा गया है कि व्यवस्थित ऋण प्रणाली में संस्थानों द्वारा ग्रामीण परिवारों की कुछ महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को उपेक्षित कर दिया जाता है। 'विवाह' आयोजन जैसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वित्त पोषण एक ऐसा उद्देश्य है जिसे वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा नकारात्मक सूची में रखा गया है। परिणामस्वरूप, परिवारों को इस प्रकार के उच्च व्यय को अनौपचारिक ऋण माध्यम से, और यहां तक कि प्राप्त संस्थागत ऋण को अन्य उद्देश्य के लिए गये ऋण को लक्ष्य के विपरीत, इन आकस्मिक पारिवारिक व्ययों के लिए, पूरा करना पड़ता है। पुनर्भुगतान क्षमता एवं सम्पार्श्विक समर्थन की परिधि में जीवन की घटनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण के

प्रावधान से ग्रामीण परिवारों को अपने भविष्य की आय से ऐसे व्ययों का प्रबन्धन करने एवं गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता कम करने में सहयाता मिलेगी। वर्तमान में, ग्रामीण घरेलू ऋण का एक महत्वपूर्ण भाग अनौपचारिक स्त्रोंतो से आता है। गैर संस्थागत ऋण उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में एक बड़ी बाधा है। इसलिए, गैर-संस्थागत ऋण को संस्थागत ऋण में परिवर्तित करने के लिए एक अनुमोदित उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। नाबार्ड को एआरडी बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जिन किसानों ने इन बैंकों के पास अपनी भूमि बन्धक करा रखी है, वे अपने बच्चों के लिए अन्य एजेन्सियों से शिक्षा ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं।

कृषि क्षेत्र में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाने में ऋण देने वाले संस्थानों के लिए दीर्घकालिक कोषों की सीमित उपलब्धता एक बड़ी बाधा बनी हुई है। वर्तमान में, नाबार्ड कृषि के दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिए धन का मुख्य स्रोत है। तथापि, शासकीय गारण्टी सहित कड़ी पात्रता शर्तों के कारण हाल के वर्षों में एआरडी बैंक को नाबार्ड के पुनर्वित्त सहायता में भारी कमी आई है। शासकीय गारण्टी की शर्त हटाने के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। भारत के दीर्घकालीन ऋण बाज़ार की एक उल्लेखनीय विशेषता कृषि वित्त पोषण से सम्बन्धित अवयवों का अभाव होना है। दीर्घकालीन ऋण बाज़ार में शासकीय प्रतिभूतियों एवं बैंकों वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फण्ड, ईपीएफओ, बीमा कम्पनियों तथा कुछ बड़ी व्यावसायिक घरानों सहित मुट्ठी भर निवेशकों का वर्चस्व है। दीर्घ कालीन ऋण बाजार का आकार बहुत छोटा है। जो विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद का 80-100 प्रतिशत है। दीर्घकालिक प्रतिभूति बाज़ार को भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक शासकीय प्रतिभूतियों को नियंत्रित करता है जबकि सेबी कारपोरेट प्रतिभूतियों को

नियंत्रित करता है। वर्तमान में, दीर्घकालीन ऋण बाज़ार सहकारी समितियों के लिए राज्य सरकार द्वारा गारण्टीकृत उनके बॉण्ड एवं ऋण पत्रों तक के लिए भी अगम्य हैं। कृषि ऋण के लिए दीर्घ कालीन कोषों की उपलब्धता बढ़ाने एवं सहकारी समितियों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण बाज़ार में सुधार की आवश्यकता है। व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों सुविधा प्रदान कर बाजार का आकार भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(I) एलटीसीसीएस की गतिविधियों के विविधीकरण का क्षेत्र विस्तार करना

एआरडी बैंकों द्वारा गतिविधियों के विविधीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

सदस्यों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना

- एआरडी बैंकों के सदस्य अधिकांशतः भूमि की सुरक्षा पर दीर्घकालीन ऋण लेते हैं। अधिकांश कृषकों के लिए भूमि ही एकमात्र सम्पत्ति है जिस पर वे ऋण ले सकते हैं। जब भूमि एआरडी बैंक के पक्ष में बन्धक हो जाती है, तो ये किसान अन्य संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए एससीएआरडी बैंक द्वारा ऋण गतिविधियों के विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य अल्प-अवधि ऋण सहित कृषि एवं गैर-कृषि दोनों उद्देश्यों के लिए अपने सदस्यों की अधूरी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- व्यवहार्य व्यवसाय स्तर एवं लाभप्रद कार्यशैली : विविधीकरण में सदस्यों के सामान्य लाभ के साथ-साथ लाभप्रद कार्यों के लिए व्यवहार्य व्यावसायिक स्तर प्राप्त करने के लिए एआरडी बैंक द्वारा सीधे क्रियाकलाप प्रारंभ करना भी सम्मिलित है। भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन एवं मशीनरी तथा संयंत्रों को पट्टे पर देने जैसी गैर-साख विविध गतिविधियां करना इस श्रेणी में आता है।

वर्तमान में एससीएआरडी बैंकों के कार्यकलापों का विस्तार एवं विविधीकरण निम्न कारणों से बाधित है:-

- (i) संसाधनों की कमी तथा
- (ii) पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण उत्पादों की सीमित श्रृंखला।

ऋण उत्पादों का विस्तार

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणपर ध्यान केन्द्रित करते हुए एआरडी बैंकों को निम्नांकित क्षेत्रों में ऋण उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

1. सिंचाई अवसंरचना का विकास

कृषिजोत के कुल 13.0 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से केवल लगभग 7 मिलियन हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। भारत ने विगत 8 वर्षों में 2 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाकर सिंचाई में उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है। तथापि, 14 मिलियन हैक्टेयर की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 50 प्रतिशत अभी भी असिंचित है।

प्रत्येक पांच वर्ष में किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विकास करना उच्च प्राथमिकता है। इसी प्रकार, पानी की बढ़ती कमी के कारण, सिंचाई की अवसंरचना विकास पर दिया जाने वाला दबाव अब जल और ऊर्जा की बचत करने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, जो पारम्परिक सिंचाई प्रणालियों की तुलना में अधिक गहन है।

2. वाणिज्यिक कृषि प्रणाली

पूरे देश में घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों के लिए वाणिज्यिक कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए उच्च पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। एआरडी बैंकों के पास दीर्घकालीन

ऋणों के बकाये के सापेक्ष बन्धक के रूप में ली गई भूमि के विशाल भाग (लगभग 65 लाख हैक्टेयर) पर वाणिज्यिक कृषि प्रणाली विकसित किये जाने की भारी क्षमता है।

3. कृषि अवसंरचना का उन्नयन

घिसी-पिटी कृषि परिसम्पत्तियों के स्थानापन/नवीनीकरण की आवश्यकता और उभरती मांग और प्रौद्योगिकी संचालित विकास क्षमता, सदैव ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऋण वितरण के लिये असीमित सम्भावनायें प्रदान करती हैं। कुल कृषि ऋण में कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी बनाये रखने के लिए कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण को वर्तमान में 16 लाख करोड़ रुपए के कुल कृषि ऋण में से 2.5 करोड़ की आवृत्ति से तीन गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।

4. कृषि सम्बन्धित मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण जिसमें कृषि उपज का भण्डारण, प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन सम्मिलित है।

5. घरेलू कार्यों के लिए वित्त पोषण

ग्रामीण परिवार कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जिनमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। फसल आधारित अथवा क्रियाकलाप आधारित ऋण देने की वर्तमान प्रणाली सामान्यतया घरेलू कार्य को एक विविध आर्थिक इकाई के रूप में देखने में विफल रहती है। परिवार आधारित अपने विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों की विकास क्षमता एवं आय सृजन क्षमता के अनुसार आवश्यकतानुरूप समग्र ऋण उत्पाद तैयार करने से उन्हें जटिल प्रलेखीकरण प्रक्रिया तथा विभिन्न एजेन्सियों की सम्पार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करने उत्पन्न कठिनाइयों से बचने में सहायता मिलेगी तथा वे कई एजेन्सियों से ऋण प्राप्त करने में सम्मिलित उच्च लेन देन लागत से भी बच सकेंगे।

6. गैर-संस्थागत ऋण को संस्थागत ऋण में स्थानान्तरित करना

ग्रामीण घरेलू ऋण का एक महत्वपूर्ण भाग अनौपचारिक स्रोतों से आता है। गैर-संस्थागत ऋण ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार में एक बड़ी बाधा है। इसलिए, गैर-संस्थागत ऋण को संस्थागत ऋण में परिवर्तित करना, दीर्घकालीन वित्त तथा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

7. जीवन के आयोजनों के लिए वित्तपोषण

विवाह जैसे जीवन आयोजनों का वित्तपोषण ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यय है। वर्तमान में, इस प्रकार के उच्च व्यय को अनौपचारिक ऋणों से और यहां तक कि अन्य अनुमोदित उद्देश्यों के लिए प्राप्त संस्थागत ऋण के उद्देश्य को हटाकर पूरा किया जाता है। पुर्नभुगतान क्षमता और सम्पाश्विक समर्थन के अन्दर जीवन के कार्यों के दीर्घकालिक वित्तपोषण के प्रावधान से ग्रामीण परिवारों को अपनी भविष्य की आय से ऐसे व्ययों का प्रबन्धन करने में सहायता मिलेगी और अन्य उद्देश्यों के लिए गए ऋणों को अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने की प्रथा पर अंकुश लगेगा। पुर्नभुगतान बोझ को कम करने के लिए जीवन के आयोजनों के वित्तपोषण को बचत योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है।

8. शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु वित्तपोषण

केरल एससीएआरडी बैंक अपने सीमित संसाधनों से, स्वयं के धन से शिक्षा ऋण दे रहा है। ग्रामीण परिवारों में विशेषकर विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण की मांग अधिक है। यह प्रस्तावित है कि ग्रामीण परिवारों को शिक्षा ऋण नाबार्ड के पुनर्वित्त के लिए एक अनुमोदित उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार की शिक्षा ऋण ब्याज माफी योजना को एआरडी बैंकों तक भी विस्तारित करने की आवश्यकता है।

उन राज्यों में दीर्घकालीन वित्तपोषण जहां एआरडी बैंक संरचना नहीं है

यह प्रस्तावित है कि उन राज्यों की दीर्घकालिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहु-राज्यीय एआरडी बैंक स्थापित किया जा सकता है जहां एआरडी बैंक नहीं है।

कोषीय सहायता

1. एआरडी बैंकों की अपने सदस्यों की दीर्घकालिक वित्त की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तपोषण सहयोग में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है। यद्यपि, पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए शासकीय गारण्टी की शर्त नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा में वृद्धि करा पाने में एक बड़ी बाधा है। **शासकीय गारण्टी के बिना उनकी वित्तीय सामर्थ्य और उपलब्धि पर आधारित एआरडी बैंकों के लिए एक नया अतिरिक्त पुनर्वित्त कोष निर्धारित करने के लिए नाबार्ड अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।**
2. एससीएआरडी बैंकों की क्रियाकलापों के विस्तार हेतु कम लागत की वित्तपोषण सुविधा प्रदान कराने के लिए नाबार्ड के पास ₹10,000 करोड़ के पृथक कॉर्पस कोष का निर्माण।
3. एआरडी बैंकों सहित सहकारी समितियों के लिए किफायती दरों पर एनसीडीसी के पुनर्वित्त की लागत को कम कराने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
4. एआरडी बैंको को बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानदण्ड तैयार करने के प्रस्ताव में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

(II) डीसीसीबी एवं एलटीसीसीएस के लिए संयुक्त वित्तप्रणाली।

नाबार्ड अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार

डीसीसीबी जनपद की प्रमुख सहकारी समिति है। इसलिए डीसीसीबी की सदस्यता में जनपद की सभी सहकारी समितियां सम्मिलित हैं। जनपद में पीसीएआरडी बैंक भी डीसीसीबी के सदस्य हैं तथा विधिक आधार पर डीसीसीबी द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अन्य सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं।

एससीबी/डीसीसीबी नाबार्ड के मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) पुनर्वित्त द्वारा वित्तपोषित फसल ऋण के लिए चैनेलाइजिंग एजेन्सी हैं। वर्तमान में, डीसीसीबी केवल पैक्स के माध्यम से फसल ऋण देते हैं। एआरडी बैंक के ऋणी सदस्यों को सामान्यतः अन्य एजेन्सियों से फसल ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही एआरडी बैंक के पास बन्धक होती है। यद्यपि, रु३ लाख तक के फसल ऋण के लिए सम्पाशिवक की आवश्यकता नहीं होती है, बैंक और यहां तक कि पैक्स भी सामान्यतः उन किसानों को ऋण नहीं देते जिनके प्रतिभूति के सापेक्ष भूमि पर अन्य एजेन्सियों के बकाया ऋण का बोझ होता है। इसके अतिरिक्त, किसान कई एजेन्सियों से ऋण करार करने की परेशानी से बचने के लिए फसल ऋण भी एक ही एजेन्सी से लेना पसन्द करते हैं। इसलिये यह प्रस्तावित है कि डीसीसीबी अपने सदस्यों को फसल ऋण देने के लिए जिले में पीसीएआरडी बैंक के लिए ऋण वितरण कार्य के लिए ऋण की एक पृथक व्यवस्था प्रारम्भ कर सकते हैं। इसी प्रकार, एकात्मक एससीएआरडी बैंक जो एससीबी के सदस्य भी हैं, उन्हें फसल ऋण के लिए एससीबी द्वारा एक पृथक ऋण व्यवस्था दी जा सकती है।

उपयुक्त व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए यह प्रस्तावित है कि नाबार्ड सम्बन्धित डीसीसीबी एवं एससीबी को मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) पुनर्वित्त का विशेष आवंटन कर सकता है जो पीसीएआरडी बैंक/ एकात्मक एससीएआरडी बैंकों के लिए निर्धारित है।

दीर्घकालीन वित्त में एलटीसीएसएस और एसटीसीएसएस के मध्य सहभागिता

वर्तमान में एससीबी तथा एससीएआरडी बैंक को किसानों एवं ग्रामीण वर्गों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान कराने हेतु नाबार्ड द्वारा पृथक पुनर्वित्त का आवंटन किया जा रहा है। एससीबैंक्स, डीसीसीबैंक्स तथा पैक्स के माध्यम से दीर्घकालीन वित्त को व्यवस्थित करते हैं, जबकि संघीय एससीएआरडी बैंक इसे पीसीएआरडी बैंकों के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं। तथा एकात्मक एससीएआरडी बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से किसानों को सीधे ऋण वितरित करते हैं।

जबकि अनुसूचित बैंक की स्थितिवाले एससीबी को शासकीय गारण्टी के बिना नाबार्ड का पुनर्वित्त मिल रहा है, एससीएआरडी बैंक को उनकी वित्तीय सामर्थ्य और उपलब्धि के बावजूद नाबार्ड के पुनर्वित्त के लिए राज्य सरकार की गारण्टी की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक सीमा तक शासकीय गारण्टी प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण, विगत दो दशकों में एससीएआरडी बैंक द्वारा नाबार्ड के पुनर्वित्त के लाभ में बहुत कम वृद्धि हुई है।

दूसरी ओर एससीबी नाबार्ड से पुनर्वित्त की अप्रतिबन्धित निर्गमन के लिए पात्र है। तथापि, सामान्यतया एससीबी, पैक्स की ऋण प्रणाली के माध्यम से, जो दीर्घ अवधि के लिए दिये जाने वाले ऋण की बंधक सम्बन्धी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्तर की उसकी संगठक एजेन्सी है, में कमियों के कारण नाबार्ड के पुनर्वित्त का लाभ उठाने में अधिक वृद्धि अंकित नहीं कर पाई है, क्योंकि उनकी ऋण प्रणाली मुख्य रूप से अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के (रूपान्तरिता) ऋणों के वितरण एवं उनकी ऋण वसूली व्यवस्था के अनुरूप ही नियोजित है।

उपरोक्त आधारित वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन वित्त में एसटीसीसीएसएस तथा एलटीसीसीएसएस

के मध्य सहभागिता के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिए गए हैं:-

1. एससीएआरडी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक पीसीएआरडी बैंक दीर्घकालीन ऋण वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करते रह सकते हैं।
2. पीसीएआरडी बैंक उन क्षेत्रों में दीर्घकालीन वित्त के लिए डीसीसीबी के व्यवसाय संवाददाता के रूप में कार्यकर सकते हैं, जहां पैक्स उस क्षेत्र की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन वित्तपोषण कर पाने में असमर्थ हैं।
3. नाबार्ड एआरडी बैंक और पैक्स दोनों के तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए एलटीसीसीएस और डीसीसीबी के लिए जिला स्तर पर दीर्घकालिक वित्त के लिए एक सामान्य तकनीकी सेल स्थापित कर सकता है।

एआरडी बैंकों में सुधार, पुर्नगठन एवं नवपरिवर्तन पर अध्ययन समूह

सहकारिता मंत्रालय ने निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ एआरडी बैंक में सुधार, पुर्नगठन तथा नवपरिवर्तन पर एक उच्चस्तरीय अध्ययन दल का गठन किया है।

संदर्भ की शर्तें।

1. विभिन्न राज्यों में एआरडी बैंकों के कार्यकलापों का अध्ययन करना, संरचनात्मक और कार्यात्मक मुद्दों, चुनौतियों का सामना करना तथा उनका निदान करने के लिए विधिक, नीतिगत एवं अन्य सुधारों का सुझाव देना; अन्तर्राष्ट्रीय मॉडलों के अनुरूप अच्छी तुलनात्मक कार्यप्रणाली समझना।
2. बेहतर ऋण मूल्यांकन कौशल के लिए श्रम शक्ति की क्षमता निर्माण सहित एससीएआरडी बैंक एवं पीसीएआरडी बैंक के व्यापार संविभाग के विस्तार के उपाय सुझाना।

3. नवीन पद्धतियों, प्रक्रियाओं, प्रचलित कार्यप्रणाली, प्रौद्योगिकी आदि का सुझाव देना, जिन्हें अपनाने से एआरडी बैंक (वर्तमान में गैर – जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं) आत्म-निर्भर एवं जीवन्त संस्थान बन सकें।
4. सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकता का आंकलन करें तथा एआरडी बैंको के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना का सुझाव दें।
5. एसटीसीबी/अन्य के साथ कन्सोर्टियम व्यवस्था में यदि आवश्यक हो तो कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं सहित कृषि मूल्य श्रृंखला अवसंरचना तथा फसल के बाद के मूलभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए एआरडी बैंकों को समर्पित संस्थानों के रूप में विकसित करने के व्यावहारिक पहलू का विश्लेषण करना।

अध्ययन दल ने फेडरेशन के कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्ष के लिए 3 मार्च 2023 को फेडरेशन के कार्यालय में भ्रमण किया तथा अपने संदर्भ के विभिन्न बिन्दुओं पर फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन चर्चा भी की। अध्ययन दल ने मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान सभी एससीएआरडी बैंकों, सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भ्रमण का भी कार्यक्रम निर्धारित किया है और तीन माह के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि अध्ययन दल की आख्या दीर्घकालीन साख संरचना के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने का आधार बनेगी।

नई राष्ट्रीय सहकारी नीति प्रलेख हेतु राष्ट्रीय स्तरीय प्रारूपण समिति

भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय ने श्री सुरेश प्रभु, सांसद एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति का गठन किया है। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए केन्द्रीय

मंत्री जिसमें फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक भी सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

समिति ने अपना प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया है जिसके शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने और घोषित किये जाने की आशा है।

बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम संशोधित किए जाने का प्रस्ताव

सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन के लिये प्रारूप – विधेयक प्रसारित किया था तथा सभी राष्ट्रीय महासंघों से इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

विधेयक में प्रस्तावित बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम में प्रमुख संशोधन निम्नवत हैं:-

- 1) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के चुनाव कराने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन।
- 2) सामान्य निकाय द्वारा उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा अपनाये गये प्रस्ताव के आधार पर बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के विलय और विभाजन का प्रावधान का समावेशन।
- 3) बहु राज्यीय सहकारी समितियों के प्रबन्धन मण्डल को निर्देश देने हेतु केन्द्र सरकार को अधिकार देना, जिसमें सरकार की बहुमत की भागीदारी है अथवा जहां सरकार ने ऋण, अनुदान आदि दिये है।
- 4) सरकार या अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा योगदान किए गये अंश धन का मोचन केवल ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त ही भुनाया जा सकता।
- 5) प्रबन्धन मण्डल में निदेशकों की संख्या 21 होगी, जिनमें से एक सदस्य एससी/एसटी से होगा और दो सदस्य महिलाएं होंगी।

- 6) रुग्ण बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए लाभ अर्जित करने वाली बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के शुद्ध लाभ में 1% की दर से योगदान से सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा विकास कोश का गठन करना।
- 7) शिकायतों के निवारण के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी लोकपाल की नियुक्ति।
- 8) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्टाफ पैटर्न तथा भर्ती ऐसे नियमों के अधीन होगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 9) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के शुद्ध लाभ के 1 से बनाई गई सहकारी शिक्षानिधि का रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

फेडरेशन ने प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से कुछ सहकारी समितियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। दिसम्बर 2022 में संसद में प्रस्तुत किए गया विधेयक विस्तृत जांच और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के लिए संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति ने नेफकार्ड सहित राष्ट्रीय महा संघों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा मूल विधेयक के अनुसार समग्र रूप से संशोधनों का समर्थन करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की।

सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय डेटा बेस पृष्ठभूमि

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 सितम्बर 2022

को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर परामर्श की बैठक आयोजित की थी जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, महासंघों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय संस्थानों और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। उस बैठक में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अभय कुमार सिंह ने एक प्रस्तुति के माध्यम से “अखिल भारतीय सहकारी डेटाबेस” बनाने की प्रासंगिकता को साझा करके बैठक का संदर्भ निर्धारित किया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को डेटाबेस से अवगत कराया गया कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के योगदान को समझने तथा सहकारी क्षेत्र के अन्दर और बाहर मानक स्तर का आंकलन में सहायता करने में कैसे सहायक हो सकता है।

सहकारिता सचिव ने डेटाबेस विकसित करने के पीछे का विचार साझा किया, जो अनिवार्य रूप से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था में फैले सहकारी क्षेत्र की आधार वास्तविकताओं की योजना बनाने और समझने के लिए है। विचार यह था कि डेटाबेस एक ऐसा मंच हो सकता है जहां डेटा का संकरण सहकारी समितियों द्वारा स्वयं किया जा सकता है और सम्बन्धित निबन्धक अथवा संघ उन्हें मान्य कर सकते हैं।

इस संदर्भ में, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने नाबार्ड से विभिन्न क्षेत्रों से डेटा संग्रह के आकार पट्ट साझा करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर पहली परामर्शदात्री बैठक के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

- सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- अधिकांश आंकड़े निबन्धक सहकारी समितियां, विभिन्न महासंघों जैसे नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य अनेक संस्थाओं के पास उपलब्ध है, इसलिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए हितधारकों के मध्य सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

- आंकड़े एकत्र करने के लिए एजेन्सियों, राज्य सरकार के विभागों, नाबार्ड द्वारा उठाए गये विभिन्न कदमों को ध्यान में रखना होगा और इन हित धारकों से आंकड़े प्राप्त करने के लिए एपीआई (इण्टरफेस) का सृजन करना होगा।
- सहकारी क्षेत्रों की विविधता तथा कुछ क्षेत्रों में आंकड़ों की आंशिक उपलब्धता को देखते हुए क्षेत्रीय भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के लिए सामान्य मानदण्ड विकसित करना होगा।
- आंकड़ा प्रविष्टि का भी रचना तंत्र स्थापित करना होगा।
- सभी हितधारकों द्वारा कई अन्य मुद्दे उठाये गये हैं तथा मंत्रालय उनमें से प्रत्येक पर ध्यान देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने विशिष्ट विवरण एकत्र करने के लिए कार्य बिन्दुओं को अलग करने की सिफारिश भी की है, जो प्रथमिक स्रोत से होनी चाहिए और दोहराव से बचने के लिए सभी डेटाबेस को जोड़ना चाहिए।

परामर्शदात्री बैठक में चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निर्णय हितधारकों को सूचित किए गये। :-

- 1 डेटा बेस एक मंच पर लाया जा सकता है जिसे सरकार के विभिन्न डेटा प्रणाली से जोड़ा जा सकता है।
- 2 डेटा प्राथमिक स्रोत के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है अर्थात् सहकारी समितियां स्वयं डेटा फॉर्म भर सकती हैं। इसे निबन्धक कार्यालय या उपयुक्त सम्बन्धित कार्यालयों/संघों आदि द्वारा उच्चस्तर पर मान्य किया जा सकता है।
- 3 ऐसे प्रारूप जिनमें आंकड़े सुव्यवस्थित ढंग से रखे जा रहे हैं, यदि कोई हों, राज्य उन्हें साझा कर सकते हैं।

- 4 सहकारी समितियों के सभी पंजीकृत अधिकारी अपने कार्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनके अन्तर्गत वैमनिकॉम को एक सूची तैयार करने के लिए पंजीकरण किया जाता है। इन कार्यों का उपयोग डेटाबेस के उतार-चढ़ाव में पर किया जा सकता है।

इसके बाद, सहकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2022 के ऋण क्षेत्र के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया तथा फेडरेशन से फेडरेशन और सदस्य बैंकों के उपयुक्त अधिकारियों को नामित करने का अनुरोध किया। फेडरेशन के अनुरोध पर, फेडरेशन के मुख्य निदेशक तथा अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात एससीएआरडी बैंक के प्रतिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला के उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- खण्ड-विशिष्ट क्षेत्रों/ऋण की आवश्यकतावाले क्षेत्रों के मापदण्डों का सुझाव देने हेतु इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटाबेस में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न स्तरों पर सहकारी आंकड़ों की उपलब्धता, इसकी संरचना और परिमाण (प्राथमिक सहकारी समिति से राष्ट्रीय संघ तक)।
- आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसका सत्यापन, आवृत्ति और इसमें सम्मिलित तौर-तरीके, जिसमें फेडरेशन और यूनियन की भूमिका भी सम्मिलित है।

वर्तमान में, मंत्रालय राष्ट्रीय महासंघों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए महासंघ ने पहले ही निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण प्रस्तुत कर दिया।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को आगे बढ़ाने में, आलेख प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए निविष्ट/प्रतिपुष्टि पर चर्चा करने के लिए डेटाबेस पर सलाहकार समिति की दूसरी

बैठक 27 दिसम्बर 2022 को उन्नत माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें नैफकार्ड के प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया था।

एआरडी बैंको की व्यापार विकास योजनाएं

फेडरेशन ने एससीएआरडीबी को अगले 5 वर्षों के लिए और अमृत काल के दौरान 2047-48 तक प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के लिए 5 साल महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ अपनी व्यवसाय विकास योजना (बीडीपी) तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। बीडीपी में ऋण तथा गैर ऋण व्यवसायों के प्रमुख क्रियाशील क्षेत्रों में विकास लक्ष्य सम्मिलित होंगे। संसाधन जुटाना, ऋण वसूली और एनपीए में कमी, नेटवर्क विस्तार, सदस्यता विस्तार तथा ग्रामीण ऋण देने में एआरडी बैंको की भागीदारी को बढ़ाना। बीडीपी अनुमानों को कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लिए कार्य योजनाओं द्वारा भी पुनर्वित्त को आच्छादित करने वाले संसाधन जुटाने को बढ़ाना, जमा संग्रहण को तेज करना, वसूली कार्य योजना, मूल्यांकन और ऋण अनुवर्ती तथा वसूली क्षमता पर ध्यान देने के साथ गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में मानव संसाधनों को उन्नत करना।

एससीएआरडी बैंकों को अप्रैल 2023 में अपने बीडीपी तैयार करने और अग्रेसित करने का निर्देश दिया गया है।

एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स

सचिव, सहकारिता मंत्रालय ने एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स देने के लिए मानदण्ड तैयार करने के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, तथा फेडरेशन एवं गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 6.12.2022 को एक बैठक बुलाई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि लाइसेन्स देने के लिए गुजरात एससीएआरडी बैंक के प्रस्ताव के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन दिशा निर्देशों का संदर्भ जो निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के

लिए उनकी मांग के अनुसार तुरन्त लाइसेन्सिंग के लिए जारी दिशा निर्देश गुजरात एससीएआडी बैंक के प्रस्ताव के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। सरकार एक नीति के रूप में किसी सहकारी समिति को निजी कम्पनी में बदलने का समर्थन नहीं करती है। इसलिए, सचिव ने भारतीय रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित सहकारी विधि की परिधि में गुजरात एससीएआरडी बैंक के अनुरोध को पुनः जांच करने का आग्रह किया।

डीएमडी नाबार्ड ने तमिलनाडु के डीसीसीबी तथा टीएआइसीओ बैंक की संरचना के अनुरूप एससीएआरडी बैंक को बैंकिंग लाइसेन्स देने की सम्भावना की जांच करने का सुझाव दिया। बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक, ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी समितियों के सामने आने वाले मुद्दों की जांच के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी गई है, तथा बैठक में उठाए गए मुद्दों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की सीमा में उचित समाधान के लिए प्रधान कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

बैंकिंग लाइसेन्स निर्गमन पर फेडरेशन का दृष्टिकोण

फेडरेशन ने सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2022 में उल्लिखित बैंकिंग लाइसेन्स निर्गमन से सम्बन्धित दृष्टिकोण के बारे में एआरडी बैंको को अवगत करा दिया।

उपरोक्त पत्र में फेडरेशन ने एससीएआरडी बैंक को प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में बैंकिंग लाइसेन्स जारी करने का सुझाव दिया। वर्तमान में प्राथमिक सहकारी बैंक लाइसेन्स केवल बाहरी क्षेत्रों में दिया जाता है और इसलिए प्राथमिक सहकारी बैंकों को वैकल्पिक रूप में नगरीय सहकारी बैंक कहा जाता है। फेडरेशन ने एससीएआरडी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में लाइसेन्स देने का सुझाव दिया है और इन्हें नगरीय बैंकों की तुलना में ग्रामीण सहकारी बैंक कहा जा सकता है।

सहकारिता मंत्रालय ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक को ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में एससीएआरडी बैंकों को लाइसेन्स देने के मानदण्ड तैयार करने का सुझाव दिया है। फेडरेशन ने यह भी बताया कि वर्तमान में, एससीएआरडी बैंक सहकारी समितियों के निबन्धक के माध्यम से बैंकिंग लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को औपचारिक आवेदन देने में असमर्थ हैं, क्योंकि 2004 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों की लाइसेन्सिंग रोक दी गई है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए लाइसेन्सिंग को फिर से खोलने की आवश्यकता है तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में एससीएआरडी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस देने के मानदण्ड भी तैयार करने की आवश्यकता है।

एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स से लाभ

वर्तमान में एआरडी बैंकों को अपने कार्य संचालन में अनेक बाधाओं, जो नीचे उल्लिखित हैं, का सामना करना पड़ रहा है :-

- 1) जनता के साथ-साथ बाज़ार से भी ऋण देने के संसाधन जुटाने की अनुमति का अभाव।
- 2) संचित किये गये जमा धन पर बीमाकरण की सुविधा का अभाव।
- 3) फसल ऋण ब्याज माफी योजना सहित भारत सरकार की ब्याज माफी ऋण योजनाओं का विस्तार एआरडी बैंकों तक नहीं।
- 4) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सम्पत्ति पुनर्निर्माण एजेन्सी के माध्यम से सिक्योरिटीकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम (सरफेसी) के अन्तर्गत ऋण वसूली के लिए भी पात्र नहीं है।
- 5) सिबिल ट्रांसयूनियन सदस्यता के लिए पात्र नहीं। सिबिल ट्रान्स यूनियन सदस्यता से ऋण

पुर्नभुगतान में अपेक्षित सुधार होगा क्योंकि एआरडी बैंकों में बकाया बैंकों या वित्तीय संस्थानों के ऋण आवेदकों की ऋण देयता स्थिति रिपोर्ट में दिखाई देगी।

- 6) बैंकिंग लाइसेन्स के कारण ऋण वितरण की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत में जमा के रूप में अल्पकालीन कोष उपार्जित करने में सहायक होगा।
- 7) बैंकिंग लाइसेन्स से धन हस्तान्तरण एवं प्रेषण सुविधा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, ऋण के साथ बचत योजनाओं के विभिन्न आकर्षक आयामों को प्रस्तुत कर सकने आदि के साथ विभिन्न वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में सहायक होगा।
- 8) बैंकिंग लाइसेन्स एआरडी बैंकों के व्यापार विस्तार एवं विविधीकरण को प्राप्त करने तथा साध्य व्यवसाय स्तर बनाए रखने में भी सहायता करेगा तथा नियामक अनुकूलता के स्तर पर वित्तीय अनुशासन एवं व्यावसायिकता के मानकों में भी सुधार करेगा।

संघीय एससीएआरडी बैंकों का लाइसेन्सीकरण

संघीय एससीएआरडी बैंक प्राथमिक स्तर पर पीसीएआरडी बैंक के माध्यम से संचालित होता है। चूंकि पीसीएआरडी बैंक स्वायत्त संस्थाएं हैं, एससीएआरडी बैंक बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त पीसीएआरडी बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार नहीं कर सकता है। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए एससीएआरडी बैंकों को या तो अपनी शाखाएं खोलनी होंगी या स्वयं को एकात्मक प्रणाली में रूपान्तरित करना होगा। बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त एससीएआरडी बैंक को एकात्मक प्रणाली में रूपान्तरित करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसे पीसीएआरडी बैंक, जो गैर-बैंकिंग संस्थायें हैं, का विलय बैंकिंग संस्था में किया जाना

होगा। ऐसे प्रकरणों में, बैंकिंग लाइसेन्स के लिए आवेदन करने से पहले सघीय एससीएआरडी बैंकों को एकात्मक संरचना में परिवर्तित कर लेना, एक अपेक्षाकृत अच्छा विकल्प होगा।

केन्द्रीय बजट 2023-24 तथा सहकारिताएं

‘सहकार से समृद्धि’ तथा सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास केन्द्रीय बजट 2023-24 के प्रमुख विषयों में से है। बजट में आर्थिक विकास में तेजी लाने और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों एवं अन्य गरीब वर्ग की जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

सरकार ने ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भण्डारण क्षमता निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिससे किसानों को कटाई के बाद अपनी उपज का भण्डारण करने तथा अधिकतम परिणाम अर्जित करने के लिए उचित समय पर उसके विक्रय में सहायता मिलेगी। सहकारी भण्डारण किसानों को फसल कटाई के मौसम के दौरान, जब फसल का मूल्य सबसे कम होता है, पर उपज बेचने के स्थान पर अपनी तात्कालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदामों से निर्गत प्राप्ति पावना के सापेक्ष सहकारी समितिसे ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान कराता है।

सरकार देश भर की सभी अनाच्छादित पंचायतों और गाँवों की बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के साथ-साथ दुग्ध और मत्स्य पालन समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। बहुउद्देश्यीय समितियां सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की गैर-ऋण सम्बन्धी क्रियाकलापों को करने के लिए भी तैयार की जायेंगी, जिनमें भण्डारण, उत्पादक सामग्री की आपूर्ति, कृषि उपज का प्रसंस्करण, उपकरण एवं संयंत्रों का स्वामित्व तथा पट्टे, सुपर मार्केट परिचालन आदि सम्मिलित हैं। सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों

को बहु-उद्देश्यीय समितियां बनाने के लिए पहले ही सामान्य उपनियम परिचालित कर दिए हैं तथा ₹2516 करोड़ की लागत से सभी विद्यमान पैक्स का कम्प्यूट्रीकरण करने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार ने सहकारी समितियों तथा उनकी गतिविधियों के मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी निर्मित किया है। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ग्राम स्तरीय बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की वर्तमान संख्या 63000 से बढ़ कर आगामी पांच वर्षों में लगभग 3 लाख हो जाएगी और इससे इन समितियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य के अवसर सृजित हो जाएंगे। समितियां कृषकों को उनकी उपज के लिए अधिक मात्रा में प्रतिफल उपलब्ध करा कर उन्हें सीधे लाभान्वित करेंगी।

बजट में सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाने तथा सहकारी समितियों द्वारा व्यापार करने में सरलता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कई परिवर्तनों की घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नई सहकारी विनिर्माण गतिविधियों को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों पर लागू 15 प्रतिशत से कम कर दर का लाभ मिलेगा।

प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) एवं उनके सदस्यों के मध्य नकद लेन-देन की सीमा भी ₹20,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। इससे सदस्यों को ₹2 लाख तक नकद जमा करने या ऋण भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और साथ ही सहकारी समिति को ₹2 लाख तक का ऋण नकद में वितरित करने की सुविधा मिलेगी। आईटी नियमों में इन परिवर्तनों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तथा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की जमा योजनाओं एवं ऋण वसूली को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा नकद आहरण के लिए धारा 194 (एन) के अन्तर्गत टीडीएस छूट सीमा को भी बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ कर दिया गया है।

बजट सहकारी चीनी समितियों को कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले उनके सभी बकाया कर धनराशि को व्यय के रूप में परिवर्तित करके एक बड़ी वित्तीय राहत प्रदान करता है जिससे वित्तीय वर्ष 2015-16 तक उनकी सम्पूर्ण कर देनदारियां प्रभावी ढंग से समाप्त हो जाती हैं। इस पैकेज के अन्तर्गत चीनी क्षेत्र को कर राहत की कुल धनराशि ₹10,000 करोड़ होने का अनुमान है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन तथा डेढ़ वर्ष की छोटी अवधि में मंत्रालय द्वारा किए गये उपायों से, जैसा कि विगत दो केन्द्रीय बजटों से परिलक्षित होता है, सहकारिता आन्दोलन भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय रूपान्तरण में केन्द्रीय भूमिका निर्वहन में सहायक सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन की 2023-24 के दौरान आभासी बैठकें (ऑनलाइन मीटिंग्स)।

1. एआरडी बैंकों की जमा योजनाओं को नया स्वरूप प्रदान करना विषय पर सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षों के लिए दिनांक **7 जून 2022** को फेडरेशन ने एक वेबिनार का आयोजन किया।
2. 16 जुलाई 2022 को एआरडी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के सम्बन्ध में व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने के लिए **7 जुलाई 2022** को सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक।
3. नाबार्ड द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में योजना एवं व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए दिनांक **5 दिसम्बर 2022** को एआरडी बैंकों के कम्प्यूट्रीकरण पर सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक।

4. एमओसी द्वारा एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार पैकेज पर की गई पहल के सम्बन्ध में अद्यतन कार्यवाही पर विचार विमर्श हेतु दिनांक **3 फरवरी 2023** को सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक।
5. सहकारिता मंत्रालय ने "एआरडी बैंकों में सुधार पुनर्गठन एवं नवाचार" पर अध्ययन करने तथा विभिन्न राज्यों में एआरडी बैंकों को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाने के लिए नाबार्ड की परामर्शी सेवाओं एनएबीसीओएनएस के माध्यम से एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल ने **3 मार्च 2023** को फेडरेशन के कार्यालय का भ्रमण किया तथा फेडरेशन के अधिकारियों के साथ उनकी संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर विचार विमर्श किया यथार्थतः फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया।
- 2) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए सामग्री तैयार करने हेतु सदस्य बैंकों द्वारा साप्ताहिक आधार परराज्यस्तरीय घटनाओं, रिपोर्ट, छायाचित्रों, वीडियो आदि को फेडरेशन को अग्रेसित करना। समाचार, रिपोर्ट, वीडियो क्षेत्रीय समाचारों के साथ साथ क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य विषयों से भी जुड़े हो सकते हैं।
- 3) कर्मचारियों एवं सदस्यों, विशेष रूप से ऋणी सदस्यों की अधिकतम समर्थकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध सहकारी समितियों को सोशल मीडिया अकाउण्ट्स की लिंक अग्रसारित करना।
- 4) बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निदेशकों से सहकारिता क्षेत्र की नई जानकारियों के लिये पोस्ट की लिंक को देखने/समर्थन करने हेतु अनुरोध करना।
- 5) फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस क्षेत्र से सम्बन्धित नये साप्ताहिक विषयवस्तु तैयार किया जाना तथा उसे तदनु रूप साप्ताहिक आधार पर पोस्ट करना।
- 6) फेडरेशन ने राज्यों से उनसे सम्बन्धित विषयवस्तु को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया सम्पर्ककर्ताओं का एक व्हाट्स एप समूह खोला है जिसे फेडरेशन अपने सोशल मीडिया अकाउण्ट्स से प्राप्त सामग्री को पोस्ट करेगा।

राष्ट्रीय सहकारी संघों की सोशल मीडिया पर पहुँच

सहकारिता मंत्रालय बाहरी संगठनों के साथ सहकारी समितियों की सोशल मीडिया पहुँच को बढ़ाने के लिए उनके अन्दर एवं बाहर कुशल संचार स्थापित कराने सहकारिताओं की दृष्टता बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया है तथा सहकारी संघों को सोशल मीडिया खाते खोलने और नियमित सोशल मीडिया पर विचार विनिमय पोस्ट के साथ इसे बनाए रखने तथा सोशल मीडिया अकाउंट के समर्थक बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित एवं सदस्य बैंकों को सूचित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना निम्नानुसार है:—

- 1) प्रत्येक एससीएआरडी बैंक द्वारा सोशल मीडिया से सम्बन्धित विषय वस्तु विचार विनिमय हेतु अधिकारी नियुक्त किया जाना।

सोशल मीडिया अकाउण्ट का नाम तथा उसकी यूआरएल रूपरेखा –

1. फेसबुक अकाउण्ट

नाम : nafcard.coop

यूज़रनेम : NAFCARD.COOP

यूआरएल रूपरेखा

—<https://www.facebook.com/NAFCARD.COOP>

2. इन्स्टाग्राम अकाउण्ट

नाम - NAFCARD.COOP

यूज़रनेम— nafcard.coop

यूआरएल रूपरेखा —

<https://www.instagram.com/nafcard.coop>

3. यू ट्यूब अकाउण्ट

नाम - NAFCARD WORLD

यूज़रनेम—@nafcard_world

यूआरएल रूपरेखा —

https://www.youtube.com/@nafcard_world

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें

1. एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियों पर विचार विमर्ष करने हेतु **17 अगस्त 2022** को नाबार्ड, नेफकार्ड तथा वाणिज्य मंत्रालय की संयुक्त बैठक।
— फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में भाग लिया।
2. वाणिज्य मंत्रालय ने **26 अगस्त 2022** को लिनाक, गुडगाँव हरियाणा में राष्ट्रीय डेटाबेस पर क्षेत्र आधारित कार्यशाला का आयोजन किया।
— फेडरेशन के 2 अधिकारियों सहित सदस्य बैंको से 5 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
3. **28 सितम्बर, 2022** को एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियों पर विचार विमर्ष हेतु दूसरी बैठक
— फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में भाग लिया।
4. नई सहकारिता नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की पहली बैठक **3 अक्टूबर 2022** को माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में वैमनिकॉम पुणे में सम्पन्न हुई।
5. “सहकारी क्षेत्र में सोशल मीडिया की पहुँच के माध्यम

से सूचना प्रसार की रणनीति” पर **19 अक्टूबर 2022** को सचिव, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक।

6. सोशल मीडिया पहुँच से सम्बन्धित राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन के आईटी एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के साथ निदेशक (आईटी), वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक **3 नवम्बर 2022** को बैठक।
7. एआरडी बैंको में कम्प्यूटीकरण पर नाबार्ड एवं नेफकार्ड के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक **18 नवम्बर 2022** को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ।
8. देश में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने तथा इसकी पहुँच को आधार स्तर तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी संघ/समितियों द्वारा लाये जानेवाले सोशल मीडिया, नियतकालिक पत्रिकाओं प्रकाशनों आदि के द्वारा सीमा, सघनता और पहुँच में वृद्धि करने पर विचार विमर्ष हेतु **23 नवम्बर 2022** को सचिव वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक।
9. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रारूपण— **25 नवम्बर 2022** को राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों की बैठक। (मिश्रित)
10. राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस (हाइब्रिड) फेज़—। से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्ष हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक **25 नवम्बर 2022** को अतिरिक्त सचिव (सहकारिता) एवं केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियों की अध्यक्षता में सम्पन्न।
फेडरेशन के प्रतिनिधि श्री कवलजीत सिंह राणा, सिस्टम एनालिस्ट ने बैठक में भाग लिया।

11. एआरडी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण पर ऑन लाइन बैठक में लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य निदेशक ने श्री के. वी. शाजी, अध्यक्ष, नाबार्ड (तत्कालीन डीएमडी) से **29 नवम्बर 2022** के साथ बैठक की।
 12. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की प्रारूपण समिति की थीम-।। पर गठित उप समिति की दिनांक **5 दिसम्बर 2022** को सम्पन्न ऑन लाइन बैठक में श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया।
 13. राष्ट्रीय सहकारी समिति/संघ से प्राप्त उत्पाद सामग्री/प्रतिक्रिया पर विचार विमर्ष करने हेतु अतिरिक्त सचिव (सहकारिता) एवं केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियों की अध्यक्षता में **21 दिसम्बर 2022** को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक (हाइब्रिड) राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस के फेज़-। के अन्तर्गत संग्रहीत किए जानेवाले डेटा फील्ड को अन्तिम रूप देने के लिए समिति/संघों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गये खाके का प्रारूप तैयार करने हेतु आयोजित की गई।
 14. गुजरात एससीएआरडी बैंक तथा एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्ष करने के लिए सचिव, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **06 दिसम्बर 2022** को बैठक का आयोजन।
 15. फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने नाबार्ड के अध्यक्ष श्री के. वी. शाजी के साथ दिनांक **28 दिसम्बर 2022** को नाबार्ड के मुख्यालय पर एआरडी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में बैठक की।
 16. राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक **12 जनवरी 2023** को बैठक।
 17. सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में एआरडीबैंकों में कम्प्यूटरीकरण पर विचार विमर्ष हेतु दिनांक **20 जनवरी 2023** को नई दिल्ली में बैठक।
 18. एमएससीएस (बहुराज्यीय सहकारी समिति) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना की सूचना के व्यापक प्रसार हेतु **20 जनवरी 2023** को सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में बैठक।
 19. एमएससीएस (बहुराज्यीय सहकारी समिति) अधिनियम 2022 की धारा 24 तथा सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन हेतु **23 जनवरी 2023** को बैठक।
 20. सहकारिता मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के लिए निविष्ट सामग्री के सदर्थ में दिनांक **10 फरवरी 2023** को बैठक।
 21. एमएससीएस (बहुराज्यीय सहकारी समिति) अधिनियम 2022 पर दिनांक-**13 फरवरी 2023** को संयुक्त बैठक- एमएससीएस संशोधन विधेयक 2022 के परीक्षण से सम्बन्धित विशेषज्ञों के मौखिक साक्ष्य।
 22. 'सहकार से समृद्धि' पर उप समिति की दिनांक **24.02.2023** को बजट वेबिनार जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
 - सदस्य बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारियों ने भी बजट वेबिनार में भाग लिया।
- योजना, अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की वर्ष 2022-23 की गतिविधियां**
- (ए) सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठी एवं अध्ययन
- (1) एआरडी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022**
- फेडरेशन ने सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में एआरडी

बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में किया, जिसमें माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री बी. एल. वर्मा, माननीय राज्य सहकारिता मंत्री भारत सरकार, तथा शासन एवं सहकारिता आन्दोलन एवं सम्बन्धित संस्थाओं के अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य महानुभावों ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। दिनांक 16 जुलाई को उद्घाटन सत्र के उपरान्त मध्याह्न में दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना को पुनर्जीवित करने के दिशानिर्देश विषय पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने उद्बोधन में नाबार्ड, एआरडी बैंक तथा फेडरेशन सहित कृषकों को दीर्घकालीन ऋण वितरण की विद्यमान संस्थागत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अनेक बहुमूल्य टिप्पणियां कीं। तदनु रूप, तकनीकी सत्र में वार्ता हेतु निर्धारित विषय के अग्रगणी विशेषज्ञों तथा एआरडी बैंकों के उच्चाधिकारियों सहित प्रतिनिधियों ने दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना (एलटीआरसीएस) को पुनर्जीवित करने तथा और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुझाव दिये।

(2) एलटीसीसीएस में आंतरिक सुधारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

फेडरेशन विगत कुछ वर्षों से दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के आंतरिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, जिसमें ऋण वसूली तथा अनर्जक सम्पत्तियों की प्रबन्धन प्रणाली में सुधार करना, विशेष रूप से जमा संग्रहण के माध्यम से संसाधन जुटाने के नये आयामों का विस्तार करना तथा पहुँच बढ़ाने व ऋण वितरण नीतियों एवं प्रणालियों की पुनर्स्थापना के साथ ऋण वितरण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना सम्मिलित हैं। फिर भी, यह देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर प्रमुख कर्मियों में, विशेषरूप से संघीय ढांचे में, संवेदनशीलता की कमी के कारण सुझाये गये सुधारों को अपनाये जाने की दर में

अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सुझाये गये सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रधान कार्यालय में सम्बन्धित अधिकारियों एवं नियंत्रण अधिकारियों के साथ-साथ एकात्मक एससीएआरडी बैंकों के शाखा प्रबन्धकों तथा संघीय ढांचे के पीसीएआरडी बैंकों के सचिवों सहित संरचना के प्रमुख कर्मियों को तैयार करना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर फेडरेशन ने 8-10 दिसम्बर 2022 के दौरान एनआईआरबी बैंगलुरु में पीसीआरडी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कर्नाटक एससीएआरडी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एलटीसीसीएस में आंतरिक सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्नाटक एससीएआरडी बैंक के 27 अधिकारियों ने भाग लिया। माह मार्च 2023 में 3 और कार्यक्रम निर्धारित हैं।

(3) एससीएआरडी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का अन्य राज्यों में भ्रमण अध्ययन हेतु केरल एससीएआरडी बैंक का भ्रमण

विगत कुछ वर्षों में केरल एससीएआरडी बैंक केवल एक उद्देश्य से गैर संसाधन आधारित ऋण वितरण करनेवाला, दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के स्वरूप से जुड़ी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कमियों का सामना करने वाले एक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहे अपने समतुल्य अन्य राज्यों के इन संस्थाओं के लिए एक आदर्श बन चुका है। निरन्तर नवीनीकरण एवं सुधारों के माध्यम से केरल एससीएआरडी बैंक आज अपने सदस्यों की सम्पूर्ण वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने केरल एससीएआरडी बैंक द्वारा ऋण वितरण, वसूली तथा संसाधन संग्रहण के क्षेत्र में उसकी उल्लेखनीय सफलता तथा श्रेष्ठ कार्यप्रणाली को संज्ञान में लेते हुए सुझाव दिया है, कि अन्य राज्यों में एससीएआरडी बैंकों को अपने व्यापार विस्तार तथा

दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस माडल का अध्ययन करना चाहिए तथा तदनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ने 14 से 18 दिसम्बर 2022 तक का एक भ्रमण अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया। 3 सदस्य बैंकों के 20 अधिकारियों, यथा राजस्थान आरएसबीवी बैंक, पंजाब एससीएडी बैंक तथा गुजरात एससीएआरडी बैंक ने सक्रिय रूप से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जिससे बैंक को व्यवसाय विविधीकरण एवं ऋण वसूली सहित अपने कार्यों को सुधारने में सहायता मिलेगी।

(बी) सुधार पहल के लिए प्रमुख समूह (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सुधार पहल के लिये प्रमुख समूह (सीजीआरआई) की अधिकांश बैंकों में नियमित बैठकें होती रहती हैं। सीजीआरआई ज़मीनी स्तर पर स्व-चालित सुधारों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सीजीआरआई अनेक स्तरों पर सुसंगत नीतियां तथा सुप्रलेखित प्रक्रिया, निर्दिष्ट प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की भावना के साथ-साथ वसूली एवं अनर्जक परिसम्पत्ति प्रबन्धन विकसित करने की दृष्टि से संसाधनों के जुटाने, नए उत्पादों के शुभारम्भ, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने, एससीएआरडी बैंकों के मानक मूल्यांकन में सुधारात्मक कार्यवाही करने, विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक क्षेत्रों पर नियमावली तैयार करने के मुख्य क्षेत्रों में पहले से प्रारम्भ किये गये सुधारों के प्रभाव की भी समीक्षा करता है।

(सी) प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल

फेडरेशन लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन 1962 से कर रहा है। जरनल में शोध लेख तथा कृषि एवं ग्रामीण साख तथा

सहकारिता पर समाचारों का प्रकाशन होता है। हम इस प्रकाशन में क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, सदस्य बैंकों की गतिविधियां एवं रिपोर्ट का भी प्रकाशन करते हैं। लैण्ड बैंक जरनल के मार्च 2022, जून 2022 सितम्बर 2022, दिसम्बर 2022 तथा मार्च 2023 का प्रकाशन 2022-23 में किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2023 से लैण्ड बैंक जरनल को मासिक पत्र में रूपान्तरित करने का निर्णय लिया गया है जिसका पुर्नप्रकाशन क्षेत्रीय भाषाओं में द्विमासिक आधार पर किया जाएगा।

वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों के संचालन से सम्बन्धि आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन तथा सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। आधार स्तर पर आंकड़ों को प्राप्त करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए फेडरेशन रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को अद्यतन बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वर्ष 2020-21 की वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन एवं वितरण किया जा चुका है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन अपने स्तर पर समीक्षा और भारत सरकार को सूचनाएं सम्प्रेषित करने के लिए मासिक आधार पर सदस्य बैंकों के प्रमुख क्रिया कलापों पर आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका संकलन करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट में सम्मिलित मुख्य क्षेत्र, ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, ऋण एवं जमा संग्रहण हैं। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का वितरण किया जा चुका है।

सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। श्री के. शिवदासन नायर एनसीयूआई की सामान्य सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में एनसीयूआई की संचालक परिषद के सदस्य हैं तथा उपाध्यक्ष हैं।

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सीओबीआई)

फेडरेशन सीओबीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलर कोटेचा को सीओबीआई की सामान्य सभा में नामित किया गया और वह निदेशक मण्डल के निर्वाचित सदस्य भी हैं।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफ्फाक)

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलर कोटेचा नेफ्फाक की सामान्य सभा तथा निदेशक मण्डल में फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के. के. रविन्द्रन को भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए है:-

इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)

इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)

इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन (आइएसएससी)

इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि (आइटीसी)

सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआइसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य परिषद के सदस्य हैं।

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर

इण्टर नेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का सदस्य है। फेडरेशन का आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री डोलर कोटेचा, फेडरेशन अध्यक्ष, आइसीए सामान्य सभा और क्षेत्रीय सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री के. के. रविन्द्रन फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक को आइसीए-एपी की नवम्बर 2019 में सम्पन्न महासभा द्वारा निर्वाचित आइसीए-एपी की कमेटी ऑन बैंकिंग एवं क्रेडिट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आईआरयू का सदस्य है। श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं, जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:-

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., (बिहार-झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बेंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नै।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलॉंग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20 (iii) के अनुसार फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में सामान्य निकाय से निर्वाचित 19 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक, प्रबन्ध निदेशक जो फेडरेशन का पदेन सदस्य है, के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजित 2 निदेशक होते हैं।

क्रम संख्या	प्रबन्धन मण्डल के सदस्य का नाम	सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
1.	श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
2.	श्री के रविन्द्र राव, उपाध्यक्ष	तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.
3.	श्री मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
4.	श्री आर. परिमलअजागन, उपाध्यक्ष	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
5.	श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

6.	डा बिजेन्द्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.
7.	श्री बिजय कुमार सिंह	बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार-झारखण्ड)
9.	श्री ए. आर. शिवराम	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
9.	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
10.	श्री डब्लू. के किन्डिया	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.
11.	श्री संजय सिंह चौहान	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
12.	श्री के शिवदासन नायर	सहयोजित
13.	श्री के. के. रविन्द्रन	प्रबन्ध निदेशक एनसीएआरडीबी फेडरेशन

कार्यकारिणी समिति

उपविधि संख्या 26 (ए) के अनुसार, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

1. श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष

(गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

2 श्री के रविन्द्र राव, उपाध्यक्ष

(तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.)

3 श्री मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष

(पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

4 श्री परिमलअझगन, उपाध्यक्ष

(तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

5 श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष

(पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.)

6. डा बिजेन्द्र सिंह

(दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.)

7. श्री दलीप सिंह यादव

(हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

8. श्री डब्लू. के किन्डिया

(मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.)

9. श्री ए. आर. शिवराम

(निदेशक, कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

10. श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक,

एनसीएआरडीबी फेडरेशन

प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27(ए) के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक होंगे। 31.03.2023 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्यगण हैं :-

(1) श्री डोलर कोटेचा, अध्यक्ष

(2) श्री के. रविन्द्र राव, उपाध्यक्ष

(3) श्री मोइनुल हसन, उपाध्यक्ष

(4) श्री परिमलअझगन, उपाध्यक्ष

(5) श्री सुरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष

(6) श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक तिथि स्थान के साथ प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक नीचे सूचीबद्ध हैं:-

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय	मुम्बई	२६ सितम्बर २०२२
(बी) विशेष सामान्य निकाय बैठक (प्रबन्धन मण्डल एवं पदाधिकारियों का चुनाव)	मुम्बई	२७ मार्च २०२३
(सी) प्रबन्धन मण्डल		
१६७ वां बोर्ड	नई दिल्ली	११ अप्रैल २०२२
१६८ वां बोर्ड	नई दिल्ली (हाईब्रिड)	११ जुलाई २०२२
१६९ वां बोर्ड	मुम्बई	२६ सितम्बर २०२२
१७० वां बोर्ड	अहमदाबाद (गुजरात)	२४ जनवरी २०२३
(डी) कार्यकारिणी समिति	अहमदाबाद (गुजरात)	२४ जनवरी २०२३

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर निदेशक मण्डल की बैठकों में विचार किया गया।

बोर्ड की बैठकें, सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अलावा नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये अभी भी प्रमुख वाक्पीठ है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रिया कलापों तथा नाबार्ड से पुनर्वित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की :-

- १) पुनरुद्धार के लिए आंतरिक पहल।
- २) केन्द्रीय बजट २०२२-२३ में कृषि एवं सहकारिता।
- ३) आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के परिप्रेक्ष्य में एआरडी बैंकों का जन सम्पर्क कार्यक्रम।
- ४) सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय नीति- संस्तुतियां।
- ५) सहकारी समितियों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण गारण्टी योजना (सीजीएससी) पर अवधारणा पत्र।
- ६) राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना पर

अवधारणा नोट।

- ७) एआरडी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन- प्रमुख संस्तुतियां।
- ८) एआरडी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव।
- ९) फेडरेशन की व्यवसाय योजना।
- १०) १७ अगस्त २०२२ को एनसीएआरडीएफ तथा नाबार्ड के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त।
- ११) बहु राज्यीय सहकारी अधिनियम २००२ के संशोधन हेतु प्रस्ताव।
- १२) नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति अभिलेख के प्रारूपण हेतु राष्ट्रीय स्तर समिति का संविधान।
- १३) दीर्घकालीन साख संरचना में आंतरिक सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- १४) वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिये कार्यक्रमों का कैलेंडर।
- १५) ऋण वसूली तथा व्यवसाय विविधीकरण पर अन्तर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण-एनसीयूआई द्वारा सीईएफ सहायता के अन्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किये गये।

- 16) दिनांक-16 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में सम्पन्न एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के व्ययों की भागीदारी।
- 17) एआरडी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण – स्तर एवं स्थिति।
- 18) एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की संस्तुतियों पर विचार विमर्ष के लिए नाबार्ड, नेफकार्ड तथा सहकारिता मंत्रालय की संयुक्त बैठक।
- 19) एआरडी बैंको को बैंकिंग लाइसेन्स दिया जाना।
- 20) राष्ट्रीय सहकारी संघ की सोशल मीडिया पर पहुँच।
- 21) मासिक समाचार पत्र।
- 22) एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 24 तथा सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन।
- 23) नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रारूपण।
- 24) बहु-राज्यीय सहकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2022।
- 25) माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा अपने अभिभाषण के दौरान उठाये गये बिन्दु।
- 26) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को “विक्रेता” के रूप में जीईएम में सम्मिलित करना।
- 27) सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस।
- 28) 2022-23 (अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022) के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के कार्यों की प्रगति समीक्षा।

वित्त एवं लेखा

वर्ष २०२२-२३ हेतु परिसम्पत्ति तथा देयता एवं आय व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है :

परिसम्पत्ति तथा देयता

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम संख्या	देयता	इस तिथि को		क्रम संख्या	परिसंपत्ति	इस तिथि को था	
		३१.३.२३	३१.३.२२			३१.३.२३	३१.३.२२
1.	आरक्षित एवं अन्य निधियां	2247.47	2260.56	1.	नकद एवं बैंक अवशेष	1.47	3.34
2.	सुरक्षित ऋण	8.87	15.53	2.	निवेश	1933.04	2005.11
3.	अन्य देयतायें एवं प्रावधान	132.00	190.67	3.	स्थिर सम्पत्तियां	212.93	217.51
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित किया गया अधिशेष	—	15.16	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य	132.09	180.90
				5.	ऋण एवं अग्रिम	5.84	4.47
				6.	विविध जमा एवं प्रिपेड व्यय	4.30	4.25
				7.	आयकर (अग्रिम कर एवं टीडीएस तथा टीसीएस प्राप्य)	14.40	66.34
				8.	आय एवं व्यय खाते से हस्तान्तरित घाटा	84.27	—
	योग	2388.34	2481.92		योग	2388.34	2481.92

आय एवं व्यय

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
		२०२२-२३	२०२१-२२
	आय		
1.	सदस्य बैंकों से एएमएस तथा अतिरिक्त योगदान	91.86	75.38
2.	ब्याज और लाभांश आय	120.12	174.86
3.	प्राप्त अनुदान (भारत सरकार, एनसीयूआई एवं नाबार्ड)	7.00	3.31
4.	विकास निधि तथा विशेष आकस्मिक निधि से हस्तान्तरण	28.52	—
5.	बीडीडीआर/पूर्व अवधि की आय/अतिरिक्त प्रावधान उलटे गये/पूँजीगत लाभ आदि	13.85	52.03
6.	विविध आय	1.23	0.15
	योग (1 से 6)	262.58	305.73
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	147.09	139.55
2.	अन्य कार्यालय व्यय	30.32	24.63
3.	बैठक/सेमिनार/संगोष्ठी व्यय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	40.28	4.14
4.	परिसर रख-रखाव व्यय	6.50	5.61
5.	प्रावधान/निधियों में योगदान	93.50	116.64
6.	अन्य विनियोग	29.17	—
	योग(1 से 6)	346.86	290.57
	अधिशेष घाटा (+)(-)	(-) 84.27	15.16

सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूर्णतः क्रियाशील एससीएआरडीबी

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009			
ईमेल—info@gscardbank.org.		दूरभाष — 079-26585365 / 70 / 71	
अध्यक्ष : श्री डोलर वी. कोटेचा ईमेल : dollar.kotecha@jcombank.com मोबाइल: 9924118900		प्रबन्ध निदेशक: श्री के. बी. उपाध्याय आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) ईमेल : kbupadhyay@gscardbank.org मोबाइल : 7069029988	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
शाखाओं की संख्या	176	176	176
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	674720	294712	294138
वितरित ऋण	11776.58	15128.33	27553.15
अदत्त ऋण	53644.64	55043.07	64250.15
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	304	282	624
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	—	—	—
कुल प्रदा पूंजी	4318.51	4263.48	4707.27
निर्बाध आरक्षित निधियां	23726.57	24802.97	24803.26
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	73.84	62.51	एनआर
एनआर - सूचना अप्राप्त			

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
सहकारिता भवन, बे संख्या 31-34, सेक्टर 2, पंचकुला-134 112			
ईमेल— dev.incharge@gmail.com		दूरभाष — 0172-2587058	
अध्यक्ष : एनआर ईमेल : एनआर मोबाइल : एनआर		प्रबन्ध निदेशक: श्री नरेश गोयल ईमेल : pa2md.hscardb@gmail.com मोबाइल : 9466520383	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	19	19	19
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	734448	733499	730556
निर्गत ऋण	3496.16	4043.99	9592.25
बकाया ऋण	181341.64	173938.84	172710.64
कर्मचारियों संख्या			
i. एससीएआरडी बैंकों में	56	71	52
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	640	551	474
कुल प्रदत्त पूंजी	4361.02	4361.02	4281.02
निर्बाध आरक्षित निधियां	51130.92	51143.20	47644.90
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
एनआर - सूचना अप्राप्त			

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
ब्लाक नम्बर डी-3, एसडीए काम्प्लेक्स, कसुमपटी, शिमला-171 009			
ईमेल- ho.shimla@hparadb.in		दूरभाष - 0177 2621137/437	
अध्यक्ष : श्री संजीव सिंह चौहान ईमेल: chairmanaradb2023@gmail.com मोबाइल : 9418400033		प्रबन्ध निदेशक : श्री सचिन कंवल ईमेल : mdhpscldb@gmail.com मोबाइल : 9418400033	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	30	30	30
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	95655	95872	96122
वितरित ऋण	6275.58	10561.60	11663.14
अदत्त ऋण	42993.19	44955.92	47316.43
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	165	162	179
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	57	52	57
कुल प्रदत्त पूंजी	2572.11	2664.29	2769.36
निर्बाध आरक्षित निधियां	1797.75	1792.75	1792.75
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	7.45	7.89	7.74

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
12, पोस्ट आफिस लेन, हैदरपुरा, मुबारक अस्पताल के पास, श्रीनगर-190 014			
ईमेल- scardjk@rediffmail.com		दूरभाष - 0911 942431965 / 942431892	
अध्यक्ष : श्रीमती यशा मुदगल (आईएएस) ईमेल: jkcooperative@gmail.com मोबाइल : सूचना अप्राप्त		प्रबन्ध निदेशक : श्री मोहम्मद असलम भट्ट ईमेल : scardbjk@rediffmail.com मोबाइल : 9419003161	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
शाखाओं की संख्या	51	51	51
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	98933	99293	99535
वितरित ऋण	793.62	478.84	649.30
अदत्त ऋण	5713.30	5191.80	4775.10
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	209	206	201
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	2991.36	2956.10	2928.17
निर्बाध आरक्षित निधियां	237.63	237.63	237.63
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	-101.96	-139.48	-181.28

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चमराजपेट, पी.ओ.बॉक्स नम्बर 1811, फोर्ट, बेंगलोर-560 018			
ईमेल- kscardbank@yahoo.com		दूरभाष - 080 26702024	
अध्यक्ष : श्री के. शदाक्षरी, एमएलए ईमेल : president.sldb@yahoo.com मोबाइल : 9448273393		प्रबन्ध निदेशक : श्री बी. सी. सतीश, केसीएस एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार ईमेल : md.kscardbank@gmail.com मोबाइल : 9740962869	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
शाखाओं की संख्या	25	25	25
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1189495	1226496	1177280
वितरित ऋण	41112.78	44320.76	25993.41
अदत्त ऋण	178424.22	195681.79	209313.20
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	265	257	242
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	438	408	403
कुल प्रदत्त पूंजी	8728.39	9002.42	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	4451.15	6920.85	एनआर
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	9.19	9.37	एनआर

एनआर - सूचना अप्राप्त

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
लैण्ड बैंक बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स नम्बर 56, स्टेचू जंक्शन, थिरुवनन्थपुरम - 695 001			
ईमेल-ho.cardbank@gmail.com		दूरभाष - 0471 2460595	
अध्यक्ष : श्री ज्योति प्रसाद आर ईमेल : सूचना अप्राप्त मोबाइल: 9446077011		प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती पार्वती नायर, के. एल. ईमेल : md.kscardb@gmail.com मोबाइल : 9495901573	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	76	76	76
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1365238	1869623	1892698
वितरित ऋण	267394.16	275902.92	280836.26
अदत्त ऋण	765277.47	803081.82	783396.78
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	157	144	174
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	1265	1232	एनआर
कुल प्रदत्त पूंजी	21738.96	22887.70	23161.05
निर्बाध आरक्षित निधियां	45935.55	48675.63	49472.73
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	12.02	11.10	13.79

एनआर - सूचना अप्राप्त

द पॉण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड

पी. 106 नम्बर 24, कोलासनगर, पुडुचेरी-605 001

ईमेल-pccldb@bank@gmail.com

दूरभाष - 0413 2357985/2358827

प्रबन्ध निदेशक :
श्री सी. सरावनाने, कोआपरेटिव ऑफिसर
ईमेल : pccldb@bank@gmail.com
मोबाइल : 9442357641

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
शाखाओं की संख्या	1	1	1
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	19971	20275	एनआर
वितरित ऋण	2534.59	3719.44	3957.39
अदत्त ऋण	3702.00	4439.21	4824.26
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	29	29	29
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	-	-	-
कुल प्रदत्त पूंजी	519.85	541.09	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	407.42	430.19	एनआर
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर

एनआर - सूचना अप्राप्त

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड

एससीओ नम्बर 51-54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160 017

ईमेल-sadbmd@bank@gmail.com

दूरभाष - 0172 2708134 / 5011708

अध्यक्ष :
श्री सुरेश कुमार गोयल
ईमेल : sadbchairman@bank@gmail.com
मोबाइल: 9815842233

प्रबन्ध निदेशक :
श्री गुलप्रीत सिंह औलख, आईएएस
ईमेल : sadbmd@bank@gmail.com
मोबाइल : 9888522222

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	89	89	89
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	828668	835277	834268
वितरित ऋण	5078.42	9256.10	507.22
अदत्त ऋण	213635.87	205861.91	186926.34
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	176	173	112
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	605	581	594
कुल प्रदत्त पूंजी	7888.15	7888.15	7888.15
निर्बाध आरक्षित निधियां	23165.63	23438.81	एनआर
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	14.27	15.12	एनआर

एनआर - सूचना अप्राप्त

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड			
नेहरू सहकार भवन, वेस्टर्न ब्लॉक 22, गोदाम सर्किल, बी.एस.रोड, जयपुर-302 005			
ईमेल-rsldbaf@yahoo.in		दूरभाष - 0141 2740440	
प्रशासक : श्रीमती शिल्पी पाण्डे ईमेल: addl2ho.coop@rajasthan.gov.in मोबाइल: 9799393809		प्रबन्ध निदेशक : श्री विजय कुमार शर्मा ईमेल: rajslbjaipur@yahoo.co.in मोबाइल: 9784237155	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	36	36	36
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1377930	1239628	1162102
वितरित ऋण	15272.80	15676.95	15141.91
अदत्त ऋण	150467.52	154929.12	158998.35
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंको में	56	50	44
ii. पीसीएआरडी बैंको में	240	221	201
कुल प्रदत्त पूंजी	4056.06	4069.56	4134.55
निर्बाध आरक्षित निधियां	64623.11	71249.26	77969.54
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	15.59	14.42	14.96

तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
नम्बर 181, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई-600 004			
ईमेल-sldbchn@yahoo.co.in		दूरभाष - 044 24993854	
अध्यक्ष: श्री आर परिमल अज्ञागन ईमेल: सूचना अप्राप्त मोबाइल: 9444044345		प्रबन्ध निदेशक: श्रीमती ए. के. सिवमलार ईमेल: सूचना अप्राप्त मोबाइल: 7338850010	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडीबैंकों की संख्या	180	180	180
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	1330887	1266666	1672713
वितरित ऋण	69195.00	76744.83	105536.34
अदत्त ऋण	106698.95	73310.57	86085.39
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंको में	119	118	117
ii. पीसीएआरडी बैंको में	444	435	415
कुल प्रदत्त पूंजी	5131.63	5255.10	5277.60
निर्बाध आरक्षित निधियां	8008.83	8148.31	17257.69
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	22.43	22.74	एनआर

एनआर - सूचना अप्राप्त

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
द्वितीय तल, ०/० द आरसीएस, पैलेस कम्पाउण्ड, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम, पिन - ७९९ ००१			
ईमेल—tcardbltd.2012@gmail.com		दूरभाष - ०३८१ २३२३७२	
अध्यक्ष : श्री प्रमोद रियांग ईमेल: pramodmla.reang@gmail.com मोबाइल : ९३६६४७३७५५		महा प्रबन्धक : श्री मनिक दास गुप्ता, टिसिएस ईमेल: tcardbltd.2012@gmail.com मोबाइल : ८७८७५०६९०५	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	२०२०-२१	२०२१-२२	२०२२-२३
शाखाओं की संख्या	५	५	५
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	९९५०१२	९८८१९७	९५५७०६
वितरित ऋण	०.००	०.००	१३.५०
अदत्त ऋण	९७१.०६	८८५.४७	७८४.८०
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	२१	२०	२०
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	—	—	—
कुल प्रदत्त पूंजी	९७०.७५	९६३.९३	९५५.७१
निर्बाध आरक्षित निधियां	८.६७	८.६७	८.६७
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
एनआर - सूचना अप्राप्त			

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड			
१० माल एवेन्यू, लखनऊ -२२६ ००१			
ईमेल—upsgvb@yahoo.in		दूरभाष - ०५२२-२२३८८४४ / २२३८८५५	
अध्यक्ष : श्री संतराज यादव ईमेल: santrajyadav@gmail.com मोबाइल: ९४१५३५६४७८		प्रबन्ध निदेशक: श्री शशी रंजन कुमार राव ईमेल: upsgvb@yahoo.in मोबाइल: ६३९१५२२२२२	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रु. में)	
विवरण	२०२०-२१	२०२१-२२	२०२२-२३
शाखाओं की संख्या	३२३	३२३	३२३
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	१४५७३१५	१४८२४९६	१४२११२०
वितरित ऋण	२३२७.९२	२४७४८.९४	२७०६६.६३
अदत्त ऋण	२५६३३७.५२	२५९०२८.७९	२५७८६२.२८
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंकों में	२७३२	२६१८	२५६०
ii. पीसीएआरडी बैंकों में	—	—	—
कुल प्रदत्त पूंजी	२७४१३.९५	२७६३०.३६	२७५३६.५२
निर्बाध आरक्षित निधियां	२५१७८.११	२५५९४.५९	२६१४५.९५
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	३१.९२	१८.०६	३१.८२

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
आइसीएमएआरडी बिल्डींग, 6 मंजील, ब्लाक 14/2, सीआयटी स्कीम VIII(M), कोलकता -700 067			
ईमेल—wbcardb@gmail.com		दूरभाष — 033-23560028 / 0065	
विशेष अधिकारी: श्री मोइनुल हसन ईमेल: moinulhassan@hotmail.com मोबाइल: 9434100000		प्रबन्ध निदेशक: श्री मानसीज मुखोपाध्याय ईमेल: md@wbcardb.com मोबाइल: 9748513071	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	24	24	24
प्राथमिक स्तर पर सदस्यता	428109	436053	450560
वितरित ऋण	29489.21	27604.67	29196.97
अदत्त ऋण	129483.78	133608.90	134878.75
कर्मचारी			
i. एससीएआरडी बैंको में	79	83	77
ii. पीसीएआरडी बैंको में	596	597	592
कुल प्रदत्त पूंजी	4253.55	4264.10	4264.10
निर्बाध आरक्षित निधियां	658.28	969.41	1245.06
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	6.39	6.77	7.08

राज्य सहकारी बैंक

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड			
31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002			
ईमेल— bkg.dscb@gmail.com		दूरभाष: 011-41705038	
अध्यक्ष : डा. बिजेन्द्र सिंह		प्रबन्ध निदेशक श्रीमती अनिता रावत	
कर्मचारियों की स्थिति एससी बैंक पर: 481 प्रधान कार्यालय पर: 27 शाखाओं पर: 434		ब्याज दर: ऋणों पर: 7% से 18.50% जमा संग्रहण पर: 3% से 7.05%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
अदत्त ऋण	82557.15	83191.64	89513.49
वितरित ऋण	17253.20	14275.23	27775.86
कुल प्रदत्त पूंजी	1630.54	1889.53	2016.51
निर्बाध आरक्षित निधियां	30093.48	31058.73	33083.20
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	51.00	57.06	53.78
अदत्त जमा ग्रहण	139460.53	136629.60	134549.02
अदत्त उधार राशियां	—	—	—
शुद्ध लाभ	*3496.70	*2645.60	*2714.39
संचित हानि यदि कोई है	—	—	—

* कर से पहले

मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड			
एम.जी.रोड, प्रधान कार्यालय, षिलॉंग-793 001			
ईमेल : headoffice@megcab.com		दूरभाष : 0364 2224160 / 66	
अध्यक्ष : श्री वैभा के. किन्डिया ईमेल: waibhak@gmail.com मोबाइल: 9436118213		प्रबन्ध निदेशक: श्री ओसमाण्ड ई.जे. नोंगरी ईमेल: md@megcab.com मोबाइल: 9402306321	
कर्मचारियों की स्थिति शाखा स्तर पर : 384 प्रधान कार्यालय पर : 122		ब्याज दर: ऋणों पर: 7% से 12.45% जमा संग्रहण पर: 3.25% से 7.30%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
अदत्त ऋण	168777.29	170989.96	169160.67
वितरित ऋण	7344.49	9223.66	13636.29
कुल प्रदत्त पूंजी	958.12	959.17	1005.62
निर्बाध आरक्षित निधियां	15184.49	16361.68	17663.72
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	4.36	4.20	4.47
अदत्त जमा ग्रहण	309681.38	348923.10	351060.09
अदत्त उधार राशियां	4457.63	5480.90	5233.81
शुद्ध लाभ	1203.57	1327.86	1979.59
संचित हानि यदि कोई है.	—	—	—

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड			
# 4-1-441 बैंक स्ट्रीट टुप बाज़ार, हैदराबाद - 500 001			
ईमेल: mdoffice@tscab.org / plg&dev@tscab.org		दूरभाष : 040-24685528	
अध्यक्ष : श्री कोण्डूरु रविंदर राव ईमेल: presidentsoffice@tscab.org मोबाइल: 7702331133		प्रबन्ध निदेशक: डा. नेती मुरलीधर ईमेल: mdoffice@tscab.org मोबाइल: 9666576576	
कर्मचारियों की स्थिति शाखा स्तर पर : 231 प्रधान कार्यालय पर : 239			
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
अदत्त ऋण	777928.00	933476.00	1161848.00
वितरित ऋण	858532.68	900791.57	1080501.46
कुल प्रदत्त पूंजी	23064.00	28924.00	33086.00
निर्बाध आरक्षित निधियां	55653.00	61577.00	72857.00
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	9.90	10.42	10.46
अदत्त जमा संग्रहण	546641.00	694195.00	740291.00
अदत्त उधार राशियां	541342.00	626180.00	850878.00
शुद्ध लाभ	4583.00	7154.00	9631.00
संचित हानियां यदि कोई है	—	—	—

2022-23 के दौरान सदस्य बैंकों के कियाकलाप

2022-23 के दौरान पूर्णतया सक्रिय 13 एससीएआरडी बैंकों की गतिविधियों के आंकड़े इस रिपोर्ट के अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

1. ऋण वितरण

31 मार्च 2023 तक पूर्णतया कार्यात्मक 13 एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल वितरित धनराशि गत वर्ष वितरित ऋण ₹5092.22 करोड़ की तुलना में ₹5426.54 करोड़ थी। वर्ष के दौरान एससीएआरडी बैंकों द्वारा कुल ऋण वितरित ऋण में 6.57 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए ₹334.32 करोड़ की वृद्धि हुई। 13 पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों में से 10 बैंकों के ऋण वितरण में वृद्धि अंकित हुई। जबकि राजस्थान एससीएआरडी बैंक ने गत वर्ष के लगभग समान स्तर को बनाये रखा। पंजाब तथा कर्नाटक में काफी अधिक गिरावट आई

2. अदत्त ऋण

31.03.2023 को एससीएआरडी बैंकों के कुल अदत्त ऋण ₹ 21151.91 करोड़ था, जबकि गत वर्ष के दौरान यह ₹21124.58 करोड़ था जो समग्र व्यापार स्तर में ₹27.33 करोड़ (0.13 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

3. कुल उधार राशियाँ

पूर्णतया कार्यात्मक 13 एससीएआरडी बैंकों की गत वर्ष 2021-22 के दौरान कुल उधार राशि ₹3078.00 के सापेक्ष 2022-23 में ₹3043.82 करोड़ रही। विभिन्न अभिकरणों से जुटाये गये संसाधनों की संरचना से यह ज्ञात होता है कि 85 प्रतिशत पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया गया था जबकि एनसीडीसी एवं बैंकिंग व्यवस्था द्वारा अवशेष पुनर्वित्त का दायित्व वहन किया गया। इसके अतिरिक्त 13 पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों में से 5 ने वर्ष के दौरान नाबार्ड पुनर्वित्त नहीं प्राप्त

करने वाले संस्थान होने की पुष्टि हुई। अवशेष 8 में से 5 एससीएआरडी बैंकों ने पुनर्वित्त के आहरण में वृद्धि की।

4. बकाया उधार राशियाँ

पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की कुल बकाया उधार राशियाँ गतवर्ष के ₹13378.88 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2023 को ₹12573.86 करोड़ रहीं। वर्ष के दौरान नाबार्ड की बकाया उधार राशियाँ ₹10495.32 करोड़ थीं जो कि कुल बकाया उधार राशियों का 84 प्रतिशत है, 2021-22 के ₹11456.28 करोड़ से कम हो कर वर्ष 2022-23 में ₹10495.32 करोड़ के निचले स्तर पर आने से इनमें 9.37 प्रतिशत की गिरावट आई।

5. जमा संग्रहण बकाया

एससीएआरडी बैंकों का कुल जमा संग्रहण बकाया 31 मार्च 2022 को ₹2286.38 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2023 को ₹2313.32 करोड़ था। कर्नाटक तथा केरल एससीएआरडी बैंक जमा संग्रहण में प्रथम दो स्थानों पर हैं, इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गति पाना शेष है। कुल 13 एससीएआरडी बैंकों में से 7 बैंकों ने 2022-23 के अन्त में अपने जमा संग्रहण में वृद्धि की है तथा 5 बैंकों को गत वर्ष की तुलना में कमी का सामना करना पड़ा।

6. ऋण वसूली की स्थिति

एससीएआरडी बैंकों की मांग बकाया एवं ऋण वसूली में शीर्ष एवं भू-स्तर पर सुधार पाया गया। शीर्ष स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की कुल औसत ऋण वसूली गत वर्ष के 42.55 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष में 44.23 प्रतिशत थी। अन्तिम ऋणी सदस्य के स्तर पर भी वर्ष के दौरान 36.08 प्रतिशत से 40.59 प्रतिशत तक सुधार देखा गया।

i. शीर्षस्थ स्तर पर

शीर्षस्थ स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की कुल मांग गत वर्ष के ₹14095.83 करोड़ के सापेक्ष 2022-23 के दौरान ₹13965.82 करोड़ थी। वसूली की कुल धनराशि में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹5998.44 करोड़ से बढ़कर वर्ष में ₹6177.39 करोड़ हो गई। एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया ₹8097.17 करोड़ से वर्ष के दौरान घटकर ₹7788.44 करोड़ पर आ गया जो मांग में वृद्धि होने के बावजूद एक स्वागत योग्य रुझान है।

ii. बुनियादी स्तर पर

अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर, कुल मांग 2021-22 के ₹16168.77 करोड़ के सापेक्ष 2022-23 में 3.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹16690.13 करोड़ थी। इसके सापेक्ष ऋण वसूली में 2021-22 के ₹5833.64 करोड़ की तुलना में 2022-23 में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए ₹6775.10 करोड़ रही। अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर बकाये में भी 2021-22 के ₹10334.91 करोड़ की तुलना में 2022-23 में 4.06 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए ₹9915.03 करोड़ थी।

7. गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए)

13 पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की सकल

गैर निष्पादित आस्तियां, गत वर्ष के 33.89 प्रतिशत से कुछ कम होकर 2022-23 में 33.40 प्रतिशत हो गया। केवल केरल और तमिलनाडु ही एनपीए को कमशः 8.25 प्रतिशत तथा 11.54 प्रतिशत के सहनीय स्तर पर रोक सके। जबकि अन्य सभी एससीएआरडी बैंकों का सकल एनपीए 20 प्रतिशत से अधिक था, त्रिपुरा एससीएआरडी बैंक को छोड़ कर क्योंकि बैंक ने बकाया ऋणों की वसूली में असमर्थता देखते हुए 98 प्रतिशत पर एनपीए अंकित किया था। कर्नाटक तथा पाण्डिचेरी एससीएआरडी बैंक के संदर्भ में 2021-22 के एनपीए स्थिति पर समीक्षा के लिए विचार किया जाना है क्योंकि उन्होंने 2022-23 के लिए अपनी स्थिति की सूचना नहीं दी थी।

8. वित्तीय विवरण

2022-23 के लिए पूर्णतया कार्यशील एससीएआरडी बैंकों द्वारा प्रस्तुत पूर्व-लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार 10 बैंकों ने वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा अर्जित कुल लाभ गत वर्ष में 10 बैंकों द्वारा प्रदर्शित गत वर्ष के ₹153.83 करोड़ से बढ़ कर 2022-23 में ₹280.43 करोड़ हो गया। 13 बैंकों में से तीन बैंकों ने 2022-23 में ₹42.08 करोड़ के घाटे के साथ घाटे में ₹72.18 करोड़ की वृद्धि अंकित की। हिमाचल प्रदेश एससीएआरडी बैंक जो विगत वर्ष लाभ पर था, इस वर्ष घाटे में रही।

आभार

फेडरेशन, संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सदस्य बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के अपने प्रयासों के साथ भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एनसीडीसी., एनसीयूआई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थानों के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये हैं। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थानों द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल सहकारिता मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए नई तकनीक अपनाने के माध्यम से आर्थिक पुनरुद्धार के लिए उनके द्वारा निरन्तर दिए जा रहे नीतिगत मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिये आभार प्रदर्शित करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एससीएआरडी. बैंकों को पुनर्वित्त सहयोग के साथ प्रगति में सहयोग प्रदान करता रहा है। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एससीएआरडी. बैंकों को उसके सतत पुनर्वित्त सहयोग तथा दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण फेडरेशन प्रतिवेदित वर्ष के दौरान क्षेत्र के

विकास के लिए अपनी सेवाएं दे पाने में सक्षम हो सका है। प्रबन्धन मण्डल फेडरेशन के सक्षम नेतृत्व तथा भारत सरकार एवं अन्य अभिकरणों के साथ दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से सम्बन्धित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डोलर कोटेचा के बहुमूल्य योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। हम माननीय उपाध्यक्षों श्री के. रवीन्द्रर राव, श्री मोइनुल हसन, श्री परिमलअज्जागन तथा श्री सुरेश कुमार गोयल के साथ साथ भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बिजय कुमार सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना क्षेत्र को अपना प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया।

प्रबन्धन मण्डल फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष एवं सहयोजित माननीय सदस्य श्री के. शिवदासन नायर के प्रति उनके बहुमूल्य समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए आभार एवं हार्दिक सराहना व्यक्त करता है।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्णनिष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

हस्ता / -
डोलर कोटेचा
अध्यक्ष

तालिका 1 – ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

(रुं लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	2022-23 में वितरित ऋण			2021-22 में वितरित ऋण	31 मार्च 2023 को ऋण बकाया			ऋण बकाया 31 मार्च 2022 को
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएएस/एस.टी ऋण/अन्य सहित)	कुल वितरित ऋण (3+4)		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएएस/एस.टी ऋण/अन्य सहित)	कुल ऋण बकाया (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गुजरात	21581.48	5971.67	27553.15	15128.33	54172.69	9464.37	63637.06	55043.07
2.	हरियाणा	4561.10	5031.15	9592.25	4043.99	111600.39	60425.24	172025.63	173147.88
3.	हिमांचल प्रदेश	8624.47	3038.67	11663.14	10561.60	26945.05	10653.66	37598.71	35653.28
4.	जम्मू एवं कश्मीर	197.48	451.82	649.30	478.84	3032.54	1742.56	4775.10	5191.80
5.	कर्नाटक	29568.26	749.76	30318.02	45269.87	208459.86	2793.31	211253.17	197444.36
6.	केरल	131206.35	149629.92	280836.27	275902.93	310768.73	472628.04	783396.77	803078.24
7.	पाण्डिचेरी \$	एनआर	एनआर	3957.39	3719.44	एनआर	एनआर	4824.26	4439.21
8.	पंजाब	264.42	242.80	507.22	9256.51	114174.96	72751.38	186926.34	205861.92
9.	राजस्थान	14276.79	865.12	15141.91	15676.95	132067.90	26930.45	158998.35	154929.12
10.	तमिलनाडु	0.00	106158.46	106158.46	76829.43	2115.21	95137.23	97252.44	84145.70
11.	त्रिपुरा	0.00	13.50	13.50	0.00	228.53	556.27	784.80	885.47
12.	उत्तर प्रदेश	20378.45	6688.18	27066.63	24748.94	213992.72	43869.55	257862.27	259028.79
13.	पश्चिम बंगाल	25417.02	3779.95	29196.97	27604.67	101482.47	34373.71	135856.18	133608.90
	योग (1 से 13)	256075.82	282621.00	542654.21	509221.50	1279041.05	831325.77	2115191.08	2112457.74

टिप्पणी : (1) एनआर - सूचना अप्राप्त।

(2) \$ मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2023 के आंकड़े समीक्षा हेतु विचारणीय हैं।



६३वां
वार्षिक रिपोर्ट
२०२२-२०२३

तालिका २ – उधार राशियां वर्ष के दौरान

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	2022-23 में बढ़ाई गई				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि)	2022-23 (3+4+5+6)	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.	हरियाणा	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	7500.00
3.	हिमांचल प्रदेश	8488.07	0.00	0.00	0.00	8488.07	8095.29
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	40000.00	0.00	1500.00	0.00	41500.00	36000.00
6.	केरल	140154.89	0.00	0.00	0.00	140154.89	162200.00
7.	पाण्डिचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
8.	पंजाब	2137.24	0.00	0.00	0.00	2137.24	9674.27
9.	राजस्थान	11420.00	0.00	0.00	32202.56	43622.56	27845.10
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	115.25	115.25	23.47
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	25557.56	0.00	0.00	4656.44	30214.00	23062.90
13.	पश्चिम बंगाल	29719.55	0.00	0.00	3930.47	33650.02	33398.93
	योग (1 से 13)	257977.31	0.00	5500.00	40904.72	304382.03	307799.96

टिप्पणी : एनआर – सूचना अप्राप्त।

तालिका ३ – उधार राशियों का अवशेष

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	31 मार्च 2023 को बकाया ऋण				कुल योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि)	31.03.2023 को (3+4+5+6)	31.03.2022 को
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	9100.00	0.00	0.00	9.56	9109.56	11825.27
2.	हरियाणा	0.00	3441.00	101485.22	0.00	104926.22	116320.26
3.	हिमांचल प्रदेश	24164.32	632.56	20.40	0.00	24817.28	23947.98
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	114360.22	651.69	3737.01	0.00	118748.92	125044.25
6.	केरल	627139.34	31.95	31.95	0.00	627203.24	615112.50
7.	पाण्डिचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
8.	पंजाब	63717.26	56.11	0.00	13543.66	77317.03	147962.39
9.	राजस्थान	60411.07	464.68	464.68	33451.46	94791.89	96740.25
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.87	22.50	6412.37	7020.51
11.	त्रिपुरा	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	46583.90	0.65	27200.65	11671.33	85456.53	88016.34
13.	पश्चिम बंगाल	104046.38	0.02	0.02	3930.47	107976.89	105282.18
	योग (1 से 13)	1049532.25	5557.94	139666.52	62628.98	1257385.69	1337887.93

टिप्पणी : एनआर – सूचना अप्राप्त।

तालिका ४ - जमा संग्रहण

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस तिथि को जमा अवशेष			
		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
1.	गुजरात	26711.86	24588.71	23810.08	23285.78
2.	हरियाणा	528.64	673.95	346.25	11.31
3.	हिमांचल प्रदेश	10375.29	11501.78	12513.05	14372.83
4.	जम्मू एवं कश्मीर	16022.56	16409.65	16465.20	17284.16
5.	कर्नाटक	34290.63	42670.56	48431.17	50805.67
6.	केरल	40963.75	38408.41	39613.71	43840.73
7.	पाण्डिचेरी \$	3317.81	3813.82	4108.59	4767.43
8.	पंजाब	25485.80	26981.95	24895.05	18050.73
9.	राजस्थान	579.70	244.63	177.48	172.46
10.	तमिलनाडु	24662.92	29231.91	29956.56	31787.00
11.	उत्तर प्रदेश	5269.50	4199.18	3052.00	1407.70
12.	पश्चिम बंगाल	22784.28	24495.48	25268.81	25546.46
	योग (1 से 12)	210992.74	223220.03	228637.95	231332.26

टिप्पणी : \$ मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2023 के आंकड़े समीक्षा हेतु विचारणीय है।

तालिका 5 - लाभ/हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस तिथि को लाभ/हानि		इस तिथि को संचित हानि	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1.	गुजरात	5364.70	2929.04	0.00	0.00
2.	हरियाणा	(2091.96)	(4897.04)	43642.40	41550.44
3.	हिमांचल प्रदेश	(164.83)	184.93	942.58	774.04
4.	जम्मू एवं कश्मीर	(1951.03)	(2283.39)	15927.60	13976.57
5.	कर्नाटक *	2929.00	2929.00	0.00	0.00
6.	केरल	4127.64	2942.90	0.00	0.00
7.	पाण्डिचेरी *	38.61	38.61	453.48	453.48
8.	पंजाब	425.10	273.18	0.00	0.00
9.	राजस्थान	411.32	667.00	0.00	0.00
10.	तमिलनाडु	4219.38	4018.46	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	18.55	(37.80)	1876.07	1894.62
12.	उत्तर प्रदेश	9808.06	490.98	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	700.35	614.72	0.00	0.00

टिप्पणी :- (1) कोष्ठक में अंकित धनराशि हानि दर्शाती है।

(2) *31.03.2022 की स्थिति समीक्षा हेतु विचारणीय है।

तालिका 6 – गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए)

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी बैंक का नाम	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
		कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए
1.	गुजरात	63637.06	28311.17	44.49	55043.07	32127.27	58.37
2.	हरियाणा	172710.64	86225.58	49.92	173938.84	89579.39	51.50
3.	हिमांचल प्रदेश	40377.72	15308.60	37.91	38770.56	16504.44	42.57
4.	जम्मू एवं कश्मीर	4775.10	2191.26	45.89	5191.80	2566.62	49.44
5.	कर्नाटक*	197444.37	65246.55	33.05	197444.37	65246.55	33.05
6.	केरल	783678.24	64666.60	8.25	803078.24	88881.56	11.07
7.	पाण्डिचेरी*	4439.21	358.19	8.07	4439.21	358.19	8.07
8.	पंजाब	186926.34	110000.00	58.85	205861.91	93352.96	45.35
9.	राजस्थान	158998.35	88355.80	55.57	154929.12	83326.68	53.78
10.	तमिलनाडु	97252.44	11218.84	11.54	84145.70	18521.34	22.01
11.	त्रिपुरा	784.80	771.41	98.29	885.47	880.72	99.46
12.	उत्तर प्रदेश	227940.47	186787.75	81.95	227746.63	182619.73	80.19
13.	पश्चिम बंगाल	135856.18	33520.70	24.67	133608.90	32747.08	24.51
	योग (1 से 13)	2074820.92	692962.45	33.40	2085083.82	706712.53	33.89

टिप्पणी : *31.03.2022 की स्थिति समीक्षा हेतु विचारणीय है।

तालिका 7 – मांग, वसूली, बकाया की स्थिति

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	शीर्षस्थ बैंक स्तर पर 31 मार्च 2022 की स्थिति				31 मार्च 2022 को वसूली प्रतिशत	अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर 31 मार्च 2023 को				31 मार्च 2022 को वसूली प्रतिशत
		मांग	ऋण वसूली	अधिशेष	वसूली प्रतिशत (%)		मांग	वसूली	अधिशेष	वसूली प्रतिशत (%)	
1.	गुजरात	61505.62	27661.34	33844.28	44.97	32.54	61505.62	27661.34	33844.28	44.97	32.54
2.	हरियाणा	208250.00	24888.00	183362.00	11.95	11.61	214037.00	31482.00	182555.00	14.71	10.21
3.	हिमांचल प्रदेश	19522.13	5488.92	14033.21	28.12	34.25	21083.26	7050.05	14033.21	33.44	46.74
4.	जम्मू व कश्मीर	3681.35	1193.25	2488.10	32.41	30.73	3681.35	1193.25	2488.10	32.41	30.73
5.	कर्नाटक	133739.22	17077.51	116661.71	12.77	31.70	82526.50	47486.50	35040.00	57.54	58.04
6.	केरल	319041.99	275835.87	43206.12	86.46	83.99	411119.66	261195.79	149923.87	63.53	57.51
7.	पाण्डिचेरी	4124.26	3690.08	434.18	89.47	89.56	4124.26	3690.08	434.18	89.47	89.56
8.	पंजाब	82600.00	35000.00	47600.00	42.37	25.68	275538.64	23276.00	252262.64	8.45	13.56
9.	राजस्थान	119411.79	21748.92	97662.87	18.21	20.82	106217.64	34597.92	71619.72	32.57	29.47
10.	तमिलनाडु	106313.48	94621.98	11691.50	89.00	77.80	132580.86	124759.13	7821.73	94.10	77.64
11.	त्रिपुरा	885.47	114.17	771.30	12.89	8.81	885.47	114.17	771.30	12.89	8.81
12.	उत्तर प्रदेश	250953.61	72967.04	177986.57	29.08	25.52	250953.61	72967.04	177986.57	29.08	25.52
13.	पश्चिम बंगाल	86553.44	37451.44	49102.00	43.27	41.25	104759.11	42036.87	62722.24	40.13	37.86
	योग (1 से 13)	1396582.36	617738.52	778843.84	44.23	42.55	1669012.98	677510.14	991502.84	40.59	36.08

तालिका 8 - कर्मचारियों की स्थिति

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	एससीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति						पीसीएआरडीबी में कर्मचारियों की स्थिति						
		2022-23			2021-22			2022-23			2021-22			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	
1	गुजरात	539	85	624	274	14	288	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2	हरियाणा	48	4	52	57	14	71	431	43	474	505	46	551	
3	हिमाचल प्रदेश	128	51	179	120	42	162	49	8	57	97	24	121	
4	जम्मू एवं कश्मीर	168	33	201	173	33	206	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
5	कर्नाटक	162	80	242	175	82	257	273	130	403	297	135	432	
6	केरल*	72	102	174	78	66	144	687	578	1265	687	578	1265	
7	पाण्डिचेरी *	एनआर	एनआर	29	एनआर	एनआर	29	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
8	पंजाब	83	29	112	132	41	173	538	56	594	528	53	581	
9	राजस्थान	40	4	44	44	6	50	एनआर	एनआर	201	एनआर	एनआर	221	
10	तमिलनाडु	66	51	117	67	51	118	334	81	415	346	89	435	
11	त्रिपुरा	17	3	20	17	3	20	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
12	उत्तर प्रदेश	2279	281	2560	2344	274	2618	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	
13	पश्चिम बंगाल	63	14	77	70	13	83	521	74	595	520	76	596	
	योग (1 से 13)	3665	737	4431	3551	639	4219	2833	970	4004	2980	1001	4202	

टिप्पणी : (1) एनए - लागू नहीं।
(2) एनआर - सूचना अप्राप्त।
(3) * 31.03.2022 की स्थिति समीक्षा हेतु विचारणीय है।

तालिका 9 – संगठनात्मक संजाल

(संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	(एकात्मक / मिश्रित ढांचा) एससीएआरडीबी शाखाओं की संख्या		पर्यवेक्षी इकाइयों की संख्या (क्षेत्रीय/मण्डलीय/आंचलिक)		(एकात्मक / मिश्रित ढांचा) पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या		(संघीय ढांचे में) पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या		कुल संजाल	
		31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023
1.	गुजरात	176	176	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	176	176
2.	हरियाणा	0	0	0	0	19	19	70	70	89	89
3.	हिमांचल प्रदेश	51	51	0	0	1	1	30	30	82	82
4.	जम्मू एवं कश्मीर	51	51	2	2	एनए	एनए	एनए	एनए	53	53
5.	कर्नाटक	25	25	1	1	178	180	0	0	204	206
6.	केरल	14	14	0	0	76	76	175	175	265	265
7.	पाण्डिचेरी	1	1	0	0	एनए	एनए	एनए	एनए	1	1
8.	पंजाब	0	0	0	0	89	89	0	0	89	89
9.	राजस्थान	0	0	2	2	36	36	124	124	162	162
10.	तमिलनाडु	0	0	19	21	180	180	0	0	199	201
11.	त्रिपुरा	5	5	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	6	6
12.	उत्तर प्रदेश	323	323	18	18	एनए	एनए	एनए	एनए	341	341
13.	पश्चिम बंगाल	11	11	0	0	24	24	100	100	135	135
	योग (1 से 13)	657	657	43	45	603	605	499	499	1802	1806

टिप्पणी : एनए - लागू नहीं।

तालिका 10 – सदस्यता तथा निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल का विवरण (एससीएआरडीबी) (संख्या)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	ऋणी सदस्य		गैरऋणी सदस्य		कुल सदस्यता (ऋणी तथा गैर ऋणी)		क्या एससीएआरडीबी का निर्वाचित बोर्ड है (हां/नहीं)		निर्वाचित बोर्ड वाली पीसीएआरडीबी की संख्या	
		31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023	31.3.2022	31.3.2023
1.	गुजरात	294712	294138	11270	12179	305982	306317	Yes	Yes	एनए	एनए
2.	हरियाणा	99305	76988	729186	653568	828491	730556	Yes	Yes	19	19
3.	हिमांचल प्रदेश	39216	39912	56656	56210	95872	96122	Yes	Yes	1	1
4.	जम्मू एवं कश्मीर	77710	77836	21583	21699	99293	99535	No	No	एनए	एनए
5.	कर्नाटक *	687306	663271	539190	514009	1226496	1177280	Yes	Yes	176	179
6.	केरल	1283756	1283756	608942	608942	1892698	1892698	No	No	71	75
7.	पाण्डिचेरी *	3520	3520	16755	16755	20275	20275	एनआर	एनआर	एनए	एनए
8.	पंजाब	69787	62752	765490	771516	835277	834268	Yes	Yes	64	81
9.	राजस्थान	729902	610093	538078	552009	1267980	1162102	No	No	12	10
10.	तमिलनाडु	140353	153908	1126313	1518805	1266666	1672713	Yes	Yes	179	179
11.	त्रिपुरा	24264	24269	963933	931437	988197	955706	Yes	Yes	एनए	एनए
12.	उत्तर प्रदेश	445286	419186	1037210	1001934	1482496	1421120	Yes	Yes	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल	258183	221946	177870	228614	436053	450560	No	No	16	7
	योग (1 से 13)	4153300	3931575	6592476	6887677	10745776	10819252	—	—	538	551

टिप्पणी : (1) एनए – लागू नहीं।
(2) एनआर – सूचना अपाप्त।
(3) * 31.03.2022 की स्थिति समीक्षा हेतु विचारणीय है।

LIST OF MEMBERS (31.03.2023)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd., (Bihar- Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची (31.03.2023)

- 1 असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
- 2 बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार – झारखण्ड), पटना।
- 3 गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
- 4 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
- 5 हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
- 6 जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
- 7 कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर।
- 8 केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
- 9 उड़ीशा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
- 10 पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
- 11 पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
- 12 राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
- 13 तमिलनाडू सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
- 14 त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
- 15 उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
- 16 पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
- 17 दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
- 18 मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलांग।
- 19 तेलंगाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वी मंज़िल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय): ०२२-२७८१ ४११४/२२६
फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२३
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
वेबसाईट : www.nafcard.org

701, 7th Floor, BSEL Tech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703
Telephone (Office) : 022-2781 4114 / 226
Fax : (022) 2781 4223
E-mail : nafcard.org@gmail.com /
ncardbf.org@gmail.com
Website : www.nafcard.org